तृतीय माला, खण्ड १८--अंक ५६

बुधवार, १ मई, १९६३
११ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या* ११०६ से १११९, १११३ से १११८ और ११२० से ११२२ ५६२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १११२, १११६ और ११२३ से ११३१ ५६५१–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५२ से २६३५ और २६२५-क ५६५६–६२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ५६६२—६५

पंजाब में ढलाई के कारखानों को दिये गये ढलवां लोहे के कोटे में की गई कथित अत्यधिक कटौती ५६६५–६६

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में ५५६६–६७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५६६६–६७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५६६७

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव ५६६८—५७००

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ ५७००—३३

संयुक्त समिति द्वारा, प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ५७००

श्री अ० कु० सेन. ५७००—०७

खण्ड २ से १२ और १ ५७०७—३३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५७३३

श्री अ० कु० सेन ५७३३

सभा के कार्य के बारे में ५७३३

मत विभाजन के बारे में ५७३३–३४

दिल्ली में खाद्य-पदार्थों में मिलावट के बारे में आधे-घंटे की चर्चा ५७३४—३८

श्री हिर विष्णु कामत ५७३५–३५

डा० सुशीला नायर ५७३५—३८

दैनिक संक्षेपिका ५७३९—४४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १ मई, १९६३

२१ वैशाख, १८८५ शक

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

बरौनी में शैल-रासायनिक विकास

†*११०९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली की ई० एन० आई० के टैक्निकल विशेषज्ञों का एक दल बरौनी में शैल-रासायनिक (पैट्रो केमिकल) विकास की सम्भावना का अध्ययन कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना सर्वेक्षण समाप्त कर दिया है और इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर ली है ; और

(ग) क्या उन्होंने शैल-रासायनिक विकास की सम्भावना का कोई संकेत दिया है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में शैल-रासायनिक (पैट्रो केमिकल) विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये ई० एन० आई० से प्रार्थना की गई थी।

(ख) ई० एन० आई० से प्रारम्भिक प्रतिवेदन मार्च, १९६३ में प्राप्त हो गया था।

(ग) प्रारम्भिक अध्ययन में बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखानों पर उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित दो शैल-रासायनिक सन्यन्त्रों के लिये योजना बनाने का प्रयत्न किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : ई० एन० आई० द्वारा दिये गये प्रारम्भिक प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए क्या यह सच है कि इस देश में शैल-रासायनिक उद्योग की स्थापना करने में सहायता देने के लिये पांच अमरीकी फर्मों ने प्रस्ताव किये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं । गुजरात तथा बरौनी में शैल-रासायनिक उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी भी अमरीकी अथवा अन्य फर्म से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं आया है। इस सारे प्रश्न की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच की जा रही है तथा जैसे ही ई० एन० आई० के प्रतिवेदन की जांच का कार्य पूरा हो जायेगा हम बरौनी में तथा अन्य स्थानों पर शैल-रासायनिक उद्योगों के विकास के लिये एक योजना तैयार करेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या प्रारम्भिक प्रतिवेदन अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब संयंत्र के अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी जांच के लिये उचित समय आयेगा तो अवश्य ही योजना आयोग तथा अन्य मन्त्रालय उस जांच से सम्बद्ध किये जायेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि इस बीच फ्रेंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने भारत में शैल-रासायनिक उद्योग के सम्बन्ध में अपना विस्तृत प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो क्या उनके प्रतिवदनों पर यहां विचार कर लिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह बात भी ठीक है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने फ्रेंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट से शैल-रासायनिक उद्योगों के सम्पूर्ण स्वरूप का सर्वेक्षण करने के लिये कहा था और उन्होंने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया है। मुझे खेद है कि मैंने पहले यह बताया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ई० एन० आई० से जांच करने के लिये कहा था। ई० एन० आई० ने बरौनी के लिये एक सामान्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन दे दिया है। परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की एक विशिष्ट मांग पर फ्रेंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर दिया है और वह भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि पेट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ के अन्तर्गत कौन कौन से उद्योग लगाए जा रहे हैं और उनका प्रबन्ध सार्वजनिक (पब्लिक) सैक्टर में होगा या निजी (प्राईवेट) सैक्टर में और किस तरह से होगा ।

श्री के० दे० मालवीय : पेट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ के अन्तर्गत बहुत से उद्योग-धंधे हैं, जैसे आर्टिफ़िशल फ़र्टिलाइज़र, सिन्थेटिक रबर और इण्टरमीडिएट प्राडक्ट्स जिनसे प्लास्टिक इण्डस्ट्री के तमाम सामान तैयार होते हैं। इसी किस्म की और भी बहुत सी इण्डस्ट्रीज़ हैं। पेट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा उद्योग है और सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसको किस तरह से संगठन किया जाये। जहां तक पेट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ का सम्बन्ध है, जो रॉ मैटीरियल हम से, यानी आयल एण्ड नैटरल गैस कमीशन से और पब्लिक सैक्टर की आयल रिफ़ाइनरीज़ से उसको मिलेगा जाहिर है कि वह सब पब्लिक सैक्टर में होगा, लेकिन गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि पैट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ के संगठन के समय हम तमाम मसलों पर ग़ौर करें और जहां तक पब्लिक सैक्टर कर सकत है, पब्लिक सैक्टर करे और अगर प्राईवट सैक्टर का भी एसोसिएशन हो सके, तो उस पर हम विचार करेंगे और उसका भी हम स्वागत करेंग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि बर्मा शैल कम्पनी ने गैर-सरकारी पत्र में एक शैल-रासायनिक उद्योग चलाने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह बरौनी के विषय में है ?

†**डा० रानेन सेन** : जी हां, बरौनी के निकट ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो बर्मा-शैल का प्रस्ताव बम्बई में एक शैल-रासायनिक संयंत्र (पेट्रो-कैमिकल प्लान्ट) स्थापित करने के सम्बन्ध में था । उसका बरौनी के शैल-रासायनिक उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि एक माननीय सदस्य द्वारा पहले पूछे गये एक प्रश्न से थोड़ा सा ही भिन्न है । क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि शैल-रासायनिक विकास कार्य का करना आर्थिक रूप से सुकर होगा बरौनी की पैट्रोलियम की सम्भाव्य क्षमता के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर लिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बरौनी तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में ऐसा मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है क्योंकि बरौनी के तेल शोधक कारखाने से कच्चे माल की जो मात्रा तथा किस्म हमें उपलब्ध होगी उसे अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाना है । अतएव, इन सब प्रश्नों पर इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है और जैसे ही हम किसी अन्तिम निश्चय पर पहुंचेंगे तैसे ही हम आवश्यक कदम उठायेंगे ।

श्री शिव नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि इस टीम के कितने मेम्बर हैं और क्या उसमें कोई इंडियन मेम्बर भी शामिल है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री के० दे० मालवीय : यह तो डा० हैनिक की रिपोर्ट है, जिसका ज़िक्र फ्रैंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट के सिलसिले में किया गया। डा० हैनिक के साथ उनकी अपनी टीम थी। उन्होंने यहां आकर सर्वनिरीक्षण किया था और उनकी रिपोर्ट हमारे पास अभी आखरी के महीने में आई है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मद्रास में अनिवार्य हिन्दी परीक्षा

*१११०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मन्त्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में हिन्दी की अनिवार्य परीक्षा को फिर से चालू कराने के बारे में वहां की राज्य सरकार के साथ जो विचार विमर्श किया जा रहा था, उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ल०० श्रीमाली) : मद्रास राज्य-सरकार ने हिन्दी परीक्षा की ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके अनुकूल हिन्दी में पाए गए नम्बर विद्यार्थी के परिमितता के अंकों में काम में लाए जा सकेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहले परिवर्तन किया गया था, उससे पहले क्या व्यवस्था थी और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: पहले यह स्थिति थी कि छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त किये जाते थे उन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययनों के पाठ्यक्रमों की पात्रता के प्रयोजनों के लिये नहीं गिना जाता था। यह विषय अनिवार्य नहीं था। यद्यपि ८० प्रतिशत छात्र परीक्षा में बैठते थे, परन्तु बताया जाता है कि बहुत से विद्यार्थी अपनी कापियां कोरी छोड़ आते थे। अतएव, मद्रास सरकार ने इस परीक्षा को समाप्त करने का निश्चय किया। स्थिति का हाल ही में पुनर्विलोकन किया गया था और उन्होंने परिमितता के साथ परीक्षा को चालू करने का अब निश्चय किया है। परिमितता का यह अर्थ है कि विद्यार्थियों को रियायती अंक देने के लिये अनुमति है तथा यह रियायती अंक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल अंकों के योग को गिनने के पश्चात् मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों को हिन्दी को अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिये प्रेरणा मिलेगी तथा वह इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

इसलिये, माननीय सदस्य यह देखेंगे कि परीक्षा में हिन्दी के प्रश्नपत्रों के लिए परिमितता पद्धति का लागू किया जाना पुरानी पद्धति में एक सुधार रूप में है तथा मेरा विचार है कि मद्रास राज्य में किये गये इस विकास पर हम सभी को प्रसन्न होना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो नयी व्यवस्था की गई है या की जा रही है, उस का स्वागत करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे कब चालू किया जायेगा। क्या उस को अगले शैक्षिक सत्र से चालू कर दिया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सम्भवतः अगले सत्र से उस को प्रारम्भ कर दिया जायेगा मुझे ठीक तो मालूम नहीं है, लेकिन इस बारे में सरकार का हुक्म हो गया है।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में हिन्दी को अनिवार्य बानाने के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो थ्री लैंग्वेज फ़ार्मूला है, वह सिवाय काश्मीर के सभी राज्यों में अब लागू हो गया है। मद्रास ने हिन्दी को कम्पलसरी नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस फ़ार्मूले के बाद अधिकतर लड़के हिन्दी को लेंगे और उस को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। सिवाय काश्मीर के और मद्रास के सब प्रान्तों में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जाती है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : इस से पहले जब मद्रास में हिन्दी की अनिवार्य शिक्षा थी और उस को बन्द किया गया तो उस समय सरकार के सामने क्या कठिनाइयां थीं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: इस के बारे में मैं ने निवेदन कर दिया है। कठिनाई यह थी कि हिन्दी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती है मद्रास में। परीक्षा ली जाती है हिन्दी में। लड़कों को आप्शन था, देना चाहें तो दें, न देना चाहें तो न दें। लेकिन अस्सी परसेंट लड़के हिन्दी लेते थे। लेकिन चूंकि जो अंक मिलते थे परीक्षा के, उन को परीक्षा के लिए नहीं गिना जाता था इसलिए लड़के उस को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब मद्रास गवर्नमेंट ने यह जो माडरेशन का तरीका इस में ला दिया है, इस से लड़के हिन्दी को ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : त्रि-भाषी सूत्र कम से कम सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में त्रि-भाषायी सूत्र लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो क्या पाठचर्चा तथा पढ़ाने के समय का इस प्रकार समायोजन कर दिया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि वहां भाषायें उतने ही घंटे पढ़ाई जायें जितने घंटे कि उन प्रान्तों में जहां कि त्रि-भाषायी सूत्र लागू हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक हिन्दी-भाषी राज्यों का सम्बंध है, उत्तर प्रदेश में तथा मेरा विश्वास है कि अन्य कुछ राज्यों में भी उन्होंने संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में चालू कर दिया है। इस मामले पर मंत्रालय द्वारा चर्चा की जाती रही है। वास्तव म इस पर चर्चा हुई थी। हाल ही मैं हुए . . .

†**श्री रंगा** : उस भाषा को वे अब ला रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस बात की आगे व्याख्या कर रहा था। त्रि-भाषायी सूत्र के अनुसार, हिन्दी-भाषी राज्यों को दूसरी भाषा; आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी पड़ेगी । उपाय यह है कि उन्हें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना चाहिये। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मैं इस बात पर जोर दिया गया था कि उन्ह एक दूसरी भारतीय भाषा सीखनी चाहिये। इस-लिये उन्हों ने एक आधुनिक भारतीय भाषा के बदले मैं संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप मैं चालू कर दिया है। इस विषय पर शिक्षा मंत्रियों की समिति द्वारा चर्चा की गयी थी जिस की एक बैठक हाल ही मैं सम्पूर्ण प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिये हुई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। यद्यपि उत्तर प्रदेश तथा अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों के सामने इस मामले मैं कुछ कठिनाइयां है परन्तु हम ने उन से यह प्रार्थना की है कि वे शनः शनः सभी शिक्षण संस्थाओं मैं एक आधुनिक भारतीय भाषा को चालू कर दूं। सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश सर सरकार ने अनेक क्षेत्रों मैं आधुनिक भारतीय भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था कर दी है। मुझे आशा है कि यदि सहायता उपलब्ध होगी, जैसी सहायता कि हम अहिन्दी-भाषी राज्यों को दे रहे है, तो आधुनिक भारतीय भाषाय विशेष रूप से दक्षिण की भाषायें हिन्दी भाषी राज्यों मैं भी अधिकाधिक चालू कर दी जायेंगी। न तो हम मद्रास सरकार पर ही जोर दे सकते है

†**श्री रंगा** : क्या वह भाषा विधेयक पर बोल रहे हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब वह कहते हैं कि "मैं भाषा विधेयक पर बोल रहा हूं" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले ही मैंने गलती की क्योंकि यह प्रश्न यहां सुसंगत नहीं था।

†**कुछ माननीय सदस्य** : क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल मद्रास राज्य के सम्बन्ध में ही था, अन्य राज्यों के सम्बन्ध में नहीं। यह सुसंगत नहीं है। मैंने उस की अनुमति इसलिये दी थी क्योंकि इस ओर से उस पर गम्भीरता से प्रतिरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न। उत्तर बहुत लम्बा रहा है।

†**एक माननीय सदस्य** : उस से अन्य प्रश्न उठे हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के लिए रुपया-ऋण

†*१११११. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कोयला खानें रुपया-ऋण प्राप्त करने में असफल रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक ने निक्षेप-ऋण अनुपात के मामले में सीमा निर्धारित कर दी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाणिज्यिक बैंक कोयला उद्योग को मध्यम तथा दीर्घकालीन आधार पर ऋण देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसे विनियोजन में खतरा है ; और

(घ) सरकार ने इस उद्योग को रुपया प्रतिरूप ऋण प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) यह कहा जाता है कि कुछ कोयला खानें पर्याप्त प्रतिभूतियों के अभाव के कारण विश्व बैंक ऋण के अधीन संयंत्र तथा मशीनों का आयात करने के लिये रुपयों के बराबर ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव करती रही हैं।

(ख) निक्षेप-ऋण के अनुपात के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) जैसाकि कोयला उद्योग द्वारा समाचार दिया गया है, कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने उन को ऋण देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

(घ) ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कोयला समवायों को दिये जाने वाले ऋणों की आंशिक रूप में सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने की एक योजना मंजूर कर ली गई है। ऋण देने वाली संस्थाओं के लिये उन के मध्यम कालीन ऋणों के सम्बन्ध म पुनर्वित्तीकरण सुविधाओं की पुनर्वित्त निगम व्यवस्था करेगा। जब ऋणों के लिये "गारंटी योजना" के अन्तर्गत गारंटी दी जायेगी तो अल्प-कालीन आधार पर कोयला उद्योग को अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के विरुद्ध रिजर्व बैंक भी उन बैंकों को कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधायें देगा। इन सुविधाओं से कोयला उद्योग रुपया-ऋण को प्राप्त कर सकेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : भारत के औद्योगिक विकास में कोयला उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरल शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या सुविधाय उपलब्ध की गयी हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० द० मालवीय)** : सामान्यतया सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि अपनी खानों के यंत्रीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऋण ले चुकने के पश्चात् कोयला उद्योग की बैंकिंग संस्थाओं से रुपयों के बराबर ऋण की सहायता सुविधायें प्राप्त करने के लिए अवसरों का लाभ उठाने में सहायता की जाये। हम केवल इस बात के लिये सहमत हुए हैं कि हम उस ऋण के कुछ माल की गारंटी देंगे जिसे कि वह उस स्रोत से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। वित्त निगम तथा जो विशिष्ट कोयला खान ऋण, लेना चाहती है उन दो दलों के बीच समझौता वार्ता द्वारा ब्यौरे तय किये जाने हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने में हिचकिचाहट को वित्त निगम ने किस सीमा तक दूर कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भावना व्यक्त की है कि सामान्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्यिक बैंक सामान्यतया ऋण देने में हिचकिचाहट करते है । फिर वह बैंकों को ऋण दिये जाने की अतिरिक्त सीमा का विस्तार करने के लिए तथा पुनर्वित्त निगम को भी जोकि कोयला उद्योग को ऋण दे सकता है पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करने के लिए सहमत हो गये हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या विश्व बैंक का एक विशेषज्ञ एक सर्वेक्षण कर रहा है और क्या विश्व बैंक द्वारा किया जाने वाला ऋण का वितरण उस विशेषज्ञ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं । कोयला उद्योग की ऋणों को प्राप्त करने की वास्तविक इच्छा का सर्वेक्षण से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । वे समस्त सिद्धान्त पहले ही तय कर दिये गये थे । अब ऋणों के लिए प्रार्थनापत्र देना कोयला उद्योग का कार्य है जिसे कि वह कर भी रहे हैं ; और उन्हों ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तथा सामान्य ढंग से चलने के लिये औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच है कि सरकार की गारंटी योजना के अधीन, ऋण देने वाली संस्थायें कुछ प्रभार लगा रही हैं ? यदि हां, तो इस का क्या औचित्य है ?

†**श्री तिम्मय्या** : ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों पर गारंटी देने वाली संस्थाओं को गारंटी देने के लिये ऋण देने वाली संस्थायें ३/४ प्रतिशत ब्याज देती हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि कुछ कोयला खानों ने पहले ही विदेशी ऋणों के लिये व्यवस्था कर ली है और क्या यह भी सच है कि उस के लिये उन्हों ने सरकार से गारंटी देने की प्रार्थना की है, यदि हां, तो वे कितने रुपयों के ऋणों की व्यवस्था कर सके हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या कोयला खानों को ऋण देने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन० आई० डी० सी०) जैसी संस्थाओं को गठित करने का सरकार ने निश्चय किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं ; ऐसी सुविधाओं के लिये कोई विशिष्ट संस्था नहीं बनाई गई है सिवाय इस के कि पुनर्वित्त निगम के नाम से पुकारी जाने वाली पहले ही से एक संस्था है जोकि ऋणों की व्यवस्था करेगी ।

मद्रास में तेल शोधक कारखाना

+

†*१११३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री मुरारका :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसके लिये कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० ०दे मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठत ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन कितना इनवैस्ट कर रहा है और हमारी सरकार द्वारा ५१ परसेंट शेयर खरीदने की बात जो चलाई जा रही थी, उस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री के० दे० मालवीय : आपने मद्रास रिफाइनरी के बारे में पूछा था, उसका जवाब मैंने दे दिया है ।

सान्द्रित मिश्रित खाद्य

†*१११४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर, ने अत्यधिक पोषक तत्वों वाले तथा 'खाये जाने के लिये तैयार' सांद्रित मिश्रित खाद्य बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्य पदार्थ पहले पका लिये जाते हैं, फिर उन्हें सुखाया जाता है और आवश्यक विटामिन उनमें मिश्रित किये जाते हैं, उन्हें सुगन्धित किया जाता[1] है तथा उपयुक्त रूप से डिब्बों में बन्द किया जाता है ।

(ग) संबंधित दलों को प्रक्रिया के ब्योरे बता दिये गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले अथवा कम ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा इस खाद्य का उपयोग किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उस माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि उनके इतने निकट हैं, परन्तु मैं भी प्रश्न सुनना चाहता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह खाद्य अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों जैसे कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा यह मैदानों में कम ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों तथा केवल असैनिक व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : यह खाद्य उन लोगों के लिये है जो कि पहले पका पकाया खाना चाहते हैं तथा जहां कि खाना पकाने में कठिनाइयां होती हैं । स्वभावतः ही सेनायें इनमें रुचि लेती हैं तथा प्रतिरक्षा मुख्यालय में प्रदर्शन पहले ही किये गये हैं और इसमें वायु सेना कर्मचारी भी रुचि रखते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]concentrated to compoiste foods.

अधिक मात्रा में सम्भरण करने के लिये हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस खाद्य का बड़ी मात्रा में निर्माण करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : जैसा कि मैंने अभी बताया है, प्रतिरक्षा मुख्यालय में इस खाद्य के प्रदर्शन किये गये हैं और जब वे अपनी आवश्यकतायें हमें बता देंगे तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इस बीच 'हिन्दुस्तान लीवर्स' तथा 'ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी' ने, जिन्होंने कि संस्था से ब्यौरे बताने के लिये प्रार्थना की थी, कुछ पूछताछ की थी, उन्हें सुसंगत जानकारी दे दी गई है।

†**श्री त्यागी** : क्या खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्था ने यह हिसाब फैलाया है कि यह उपभोक्ताओं को अनुमानतः किस भाव पर उपलब्ध हो सकेगा और क्या यह उस सामान्य खाद्य की तुलना में जिसका लोग उपयोग करते हैं अनुकूल उतरता है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मेरा विचार है कि यह कुछ सस्ता होगा क्योंकि ऐसे ही आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। बिरियानी के मामले में मूल्य लगभग ३ रुपये ५० नये पैसे प्रति किलो है तथा मिठाई की चीजों के संबंध में भी यह लगभग इतना ही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : खाद्य मंत्री क्या कहते हैं?

†**श्री हुमायून कबिर** : इसलिये, सामान्यतया वे थोड़े सस्ते होंगे तथा उनका खाद्य मान भी कुछ अधिक है। उसका कैलोरी मान लगभग ५ कैलारी प्रति ग्राम है जो कि अन्न अथवा दाल के कैलारी मान से कुछ अधिक है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : जिन किस्मों का उन्होंने उल्लेख किया है उनके संबंध में ऐसे खाद्य के निर्माण के लिये क्या उन्होंने कारखाने स्थापित करने प्रारम्भ कर दिये हैं ? अब ऐसे कारखानों को स्थापित करने के क्षेत्र में क्या क्या निश्चित तथा व्यवहारिक कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर** : प्रश्न स्पष्ट नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि दो दलों ने हमसे ब्यौरे देने के लिये प्रार्थना की थी और हमने उनको ब्यौरे दे दिये हैं। जहां तक बड़े कारखाने पर उत्पादन करने के लिये हमारे द्वारा किसी कारखाने को स्थापित करने का संबंध है, यह प्रश्न तभी उठेगा जबकि प्रतिरक्षा मुख्यालयों से हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाये कि उन्हें ऐसे खाद्य की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है।

†श्री **श्याम लाल सर्राफ** : उन अन्य लोगों के संबंध में क्या स्थिति है जिन्होंने कि पहले ही आपसे जानकारी ले ली है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : उन्होंने हमसे जानकारी देने के लिये कहा था, हमने उन्हें जानकारी दे दी है। यदि और भी कोई हमसे प्रार्थना करेगा हम उन्हें भी जानकारी दे देंगे।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रारम्भ में इस खाद्य का केवल सैनिक व्यक्तियों के उपभोग के लिये ही निर्माण किया जाये अथवा यह असैनिक व्यक्तियों के उपभोग के लिये भी होगा ?

†**श्री त्यागी** : कुंवारों तथा विधुरों के लिये भी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून कबिर :** यह उन सभी के लिये होगा जो कि सूखे खाद्य का पैकेट चाहते हैं। क्योंकि इसे बार बार पकाने की आवश्यकता नहीं होती है अतः कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह देखने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि यह नया खाद्य उन लोगों की विशेष रूप से सैनिक कर्मचारियों की, जिनके लिये कि इसका निर्माण किया जा रहा है खाने की आदतों के अनुकूल है अथवा नहीं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** स्पष्ट ही, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। संस्था के ही कुछ कर्मचारियों के ऊपर कुछ प्रयोग किये गये हैं और उन्होंने इस खाद्य के प्रति अपना सन्तोष प्रकट किया है।

श्री काशी राम गुप्त : यह खुराक कितने अर्से तक बिगड़ने नहीं पायेगी और एक आदमी के लिये कितना वजन काफी होगा ?

श्री हुमायून कबिर : यह काफी दिन तक रहेगी, लेकिन कितने दिन तक रहेगी, यह कहना अभी मुश्किल है। शायद छः महीने या साल भर तक रह सके। लेकिन इसके लिये एन्क्वायरी करनी पड़ेगी।

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या विवाहों को निरुत्साहित करना तथा इस प्रकार जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी इस खाद्य को निर्माण करने के उद्देश्य में से एक है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं यह नहीं जानता कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से किस प्रकार सम्बद्ध है।

श्री काशी राम गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि एक आदमी के लिये कितना वजन काफी होगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैंने यह उत्तर पहले ही दे दिया था जब मैंने कहा था कि प्रत्येक ग्राम में पांच कैलॉरिज होंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि उन्होंने उत्तर दे दिया है तो उन्हें फिर वह क्यों दुहराना चाहिये ?

मिनिकाय द्वीप

†*१११५. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनीकाय द्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में २५ नया पैसा प्रति अविवाहित स्त्री, ३७ नया पैसा प्रति अविवाहित पुरुष और ७५ नया पैसा प्रति दम्पत्ति प्रति व्यक्ति कर (पौल टेक्स) लिया जाता है ;

(ख) यह कर वयस्कों पर कब से लागू है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में इस से कितनी आय हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस कर को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) मिनीकाय द्वीप में प्रति व्यक्ति कर उल्लिखित दरों पर कमाने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाता है।

(ख) यह चिरकाल से इकट्ठा किया जा रहा है।

(ग) इस शीर्ष के अन्तर्गत १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में आय क्रमशः ७४३.५७ रुपये, ६४८.३४ रुपये, ६६६.०२ रुपये, ६८८.४५ रुपये तथा ७०८.५० रुपये थी।

(घ) दीपों में सर्वेक्षण कार्य हो रहा है और उसके बाद बन्दोबस्त कार्य तथा आधुनिक भू-राजस्व पद्धति आरम्भ किये जायेंगे जो वर्तमान मतदान कर का स्थान लेंगे।

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद १४ के निर्देश से कमाने की क्षमता या आय को ध्यान में रखे बिना इस कर को समान दर के अनुसार एकत्रित करने पर विचार किया गया है और यदि हां, तो क्या यह वैध है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह कर चिरकाल से चला आ रहा है और इस के स्थान पर करारोपण को एक आधुनिक पद्धति लानी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि सब से पहले भूमि ही करारोपण का आधार होगी। इस प्रयोजन के लिये हम भूमि का सर्वेक्षण कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह हमारे संविधान के अनुसार सांवैधानिक है ? क्या इस पर विचार किया गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं नहीं समझता कि प्रत्यक्षतः कोई चीज संविधान के विरुद्ध है।

†**श्री अ० व० राघवन** : मैं पूछ रहा हूं कि क्या हमारे संविधान के अनुच्छेद १४ के निर्देश से इस कर को एकरूप दर पर इकट्ठा किये जाने की जाँच कर ली गई है। क्या यह वैध है ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं ने कहा है कि प्रत्यक्षतः यह हमारे संविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करता।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि करारोपण में विवाहित लोगों के विरुद्ध जाने वाला प्रत्यक्ष विभेद परम्परागत पद्धति का ही अंग है या इस को इस सरकार द्वारा किसी उद्देश्य से आरम्भ किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चिरकाल से चला आया है . . . **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री कपूर सिंह** : इस विभेद को कम किया जाना चाहिये।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि यह पोल टैक्स और विवाहित टैक्स किन किन राज्यों में लिया जाता है ?

श्री हजरनवीस : सिर्फ मिनिकाय में लिया जाता है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस बात की विधि विभाग द्वारा जाँच करवाई है और यदि हाँ, तो कब उन्हों ने जाँच करवाई थी और क्या कार्यवाही की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : मेरे विचार में हम ने विधि मंत्रालय से परामर्श नहीं किया परन्तु प्रत्यक्षत: मुझे नहीं लगता कि कानूनी दृष्टिकोण से इस में किसी जाँच की आवश्यकता है। हम शीघ्र ही इस के स्थान पर एक अन्य तथा अधिक आधुनिक करारोपण पद्धति ला रहे हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : तो फिर वह जानकारी परीक्षण के बाद सभा-पटल पर रख दी जाय।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारा संविधान इस द्वीप पर लागू किया गया है और यदि हाँ, तो यह कर कैसे लिया जा सकता है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह हमारे देश के सभी भागों पर लागू होता है।

†**श्री त्यागी** : मतदान कर कैसे लिया जाता है ? यह तो एक पुराना मुगल कर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : [उन्होंने उत्तर दे दिया है कि संविधान अवश्य लागू होता है और प्रत्यक्षत: यह कर असांवैधानिक नहीं है तथा उन्हों ने कोई जाँच नहीं करवाई है।

†**श्री त्यागी** : परन्तु पोल टैक्स क्या असांवैधानिक नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तर्क कर रहे हैं जबकि उत्तर मिल चुका है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : लोगों को मताधिकार देने से इन्कार करने के लिये सरकार की व्याख्या क्या है जबकि वह चिरकाल से उन से कर इकटठे कर रही है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मताधिकार का कर भुगतान के दायित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

राजनीतिक पीड़ित

†*१११६. **श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के सेनानी राजनीतिक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्यवार कितनी राशि स्वीकृति की ; और

(ख) अनुदान पाने वालों का चयन करने और अनुदान की राशि निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

†**गृह-कार्य संत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२६७/६३]**

(ख) राजनीतिक पीड़ितों से वित्तीय सहायता के लिये आने वाले प्रार्थना-पत्र सामान्य रूप से राज्य सरकारों को उन को अपनी सहायता योजनाओं के अधीन विचार के लिये भेज दी जाती हैं। राज्य सरकार की सिफारिशों, प्रार्थी के साधन तथा दायित्व और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए गृह-कार्य मंत्री के स्वविवेकीय अनुदान में से छाटे छाटे एकमुश्त नकद अनुदानों के रूप में सहायता दी जाती है।

†**श्री गो० महन्ती** : क्या मैं प्रत्येक राज्य के अनुदान पाने वालों की संख्या जान सकता और इस के अतिरिक्त और क्या याजना है ?

---

†मूल अग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : प्रश्न का दूसरा भाग मैं ने नहीं सुना । परन्तु जहाँ तक पहले भाग का सम्बन्ध है, विवरण में प्रत्येक राज्य को दी गई राशि बताई गई है । प्रार्थियों की संख्या के बारे में मुझे राज्य सरकारों से आंकड़े नहीं मिले हैं ।

†**श्री गो० महन्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आर्थिक अंशदान के अतिरिक्त सरकार के पास पुनर्वास की और कोई याजना है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : राजनीतिक पीड़ितों के बचों को राज्य सरकारों में शिक्षात्मक सहायता दी जा रही है और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रार्थियों को तो पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है । यदि प्रार्थी राज्य सरकारों से हों तो व्यय का ५० प्रतिशत केन्द्रय सरकार द्वारा दिया जाता है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची मंगवाई है जिन्होंने विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है और यदि हाँ, तो क्या इन लागों को वित्तीय सहायता देने के लिये काई अलग तरीका है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : कोई अलग तरीका नहीं है । जानकारी मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें देश के सभी राज्यों से काफी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं । अत: जानकारी मंगवाने के लिये किसी उपाय के करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री तुलसी दास जाधव : यह जो आप ने स्टेटमेंट में आँकड़े दिए हैं इन से पता चलता है कि कुछ राज्यों में आँकड़े बहुत कम हैं। क्या इस का यह अर्थ है कि उन प्रान्तों में एप्लीकेशस कम आई थीं या उन पर ध्यान नहीं दिया गया इस कारण आँकड़े कम हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं है । यह तो राज्य सरकारों से हमें मिलने वाले प्रार्थनापत्रों की संख्या, हमारी सिफारिशों तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों की मान्यता पर निर्भर करता है ।

†**डा० गायतोंडे** : क्या सरकार जानती है कि गोआ की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गोआनी राजनीतिक पीड़ित हैं और यदि हाँ, तो सरकार उन के पुनर्वास के लिये क्या उपाय कर रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम ने गोआ के लोगों को भी कुछ सहायता दी है और कोई प्रार्थना-पत्र भेजा जायगा तो उस पर उस के गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या सरकार को शिकायतें मिल रही हैं कि वास्तविक राज-नीतिक पीड़ितों को जिन्हों ने काँग्रेस छोड़ दी है कोई सहायता नहीं मिल रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है । यह गलत आरोप है ।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : मैं ने देखा है कि राजनीतिक पीड़ितों को दी जा रही राशि के बारे में कुछ राज्यों में बड़ा विशाल विभेद है । उदाहरणार्थ, त्रिपुरा के लिए ४६,७०० रुपये की राशि दी गई है जबकि गोआ के लिए २०० रुपये और गुजरात के लिये ५०० रुपये हैं । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या राज्य सरकारों को नाम भेजने का पूर्ण प्राधिकार दिया गया है या कोई ऐसी समिति अथवा निकाय है जो मामलों की सिफारिश करती है या इसे राज्य सरकारों की मनमानी पर छोड़ दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : माननीय सदस्या का प्रश्न कुछ भ्रामक सा है। विवरण से पता चलता है कि ४६,७०० रुपये की राशि त्रिपुरा के आगे दिखाई गई है। उस में यह भी कहा गया है कि इस में राजनीतिक पीड़ितों को छोटे ऋणों के रूप में दी गई ४४,१०० रुपये की राशि सम्मिलित है। यह सहायक अनुदान नहीं है, यह ऋण है। पहले तो प्रश्न ही बहकाने वाला है। दूसरे, जैसाकि मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, जब भी प्रार्थना-पत्र आते हैं गुण-दोषों के आधार पर उन पर विचार किया जाता है। अतः जिन राज्यों को केवल थोड़ी सी धनराशि मिली है यदि वहाँ से और अधिक प्रार्थना-पत्र आयेंगे तो उन पर गुण-दोषों के आधार पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोई सीधे ही प्रार्थना-पत्र भेज सकता है अथवा यह सदा ही राज्य सरकारों से आयेगा और राज्य सरकारें केवल उन्हीं प्रार्थना-पत्रों को भेजेंगी जो उन की कल्पना के अनुसार सहायता के पात्र हैं।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यदि वे सीधे भेजे जाते हैं तो भी हम प्रायः यह जानने के लिए कि क्या उन में दी गई बातें ठीक हैं उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज देते हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आई० एन० ए० के लोगों को पोलीटिकल सफरर मान कर उन की पेंशन का रुपया वापस देने की कोशिश की जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कोई पेंशन नहीं दी जाती। विशेष अनुदान किसी आवर्ती भत्ते के दिए जाने की अनुमति नहीं देता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बात भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक पीड़ितों के ध्यान में कैसे लाई जाती है कि राजनीतिक पीड़ित ऋण भी ले सकते हैं और वित्तीय सहायता भी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम ने देखा है कि स्वविवेकीय अनुदान के अन्तर्गत आवंटित राशि वर्ष के अन्दर ही उपयोग की जा रही है। इस से प्रकट होता है कि जो लोग राजनीतिक पीड़ित हैं वे इस जानकारी को जानते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को आजाद हिन्दी फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को देश के अन्दर के स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर रखा गया है और यदि हाँ, तो कितनो को ऐसे लाभ दिये गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन्हें पूर्णतः उन्हीं के बराबर रखा गया है। उन्हें बिल्कुल अन्य राजनीतिक पीड़ितों की तरह ही समझा जाता है और वही सुविधायें उन्हें दी जा रही हैं।

श्री सरजू पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या केवल उन्हीं लोगों को पोलीटिकल सफरर माना जाता है जिन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया था या बाकी दूसरी पार्टियों के सदस्यों को भी.....

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल तो किया गया था और उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री सरजू पांडेय : सहायता देने के बाद भी बहुत बड़ी तादाद राजनीतिक पीड़ितों की अभी बाकी है, और उनसे कहा जाता है कि अब प्रार्थना पत्र इसलिये नहीं लिये जायेंगे कि समय समाप्त हो गया। इसके बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रार्थना पत्र लेने के लिये कोई समय बंधा हुआ नहीं है। जहां तक भारत सरकार की बात है, कोई भी किसी भी समय प्रार्थना पत्र दे सकता है। मेरा ख्याल है कि अभी हाल ही में श्री सरजू पांडेय जी की सिफारिश पर मैंने एक साहब को सहायता दी है। इसलिये इसमें साम्यवादी दल या किसी दल का सवाल नहीं पैदा होता।

एक फर्म के मामले पर महा-न्यायवादी की सलाह

†*१११७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महा न्यायवादी ने एक निर्यात-फर्म के बहीखाते में हुये इन्दराज से संबंधित मामले के बारे में, जिसमें कुछ राजनीतिज्ञों का भी हाथ था, अपनी अन्तिम या अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें महान्यायवादी द्वारा उल्लिखित कारणों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों का उल्लेख हो ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** इस बात को देखते हुये कि इन जन प्रतिवादों को लम्बा खींचने से सैनिकवाद की भावना तीव्र हो जाती है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सलाह को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; विशेषतः इस तथ्य को देखते हुये कि अनिवार्य बचत योजना विधेयक पर महान्यायवादी की सलाह २४ घंटों के अन्दर अन्दर मिल सकती थी ? इस सलाह को उतनी ही शीघ्रता से क्यों प्राप्त नहीं किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर** शास्त्री : माननीय सदस्य यह प्रश्न महान्यायवादी से ही कर सकते हैं क्योंकि इस विषय में आखिर बहुत से कागज पत्र थे जोकि उन्होंने देखने थे। दूसरी चीज यह कि उन्हें निस्सन्देह कुछ विनिर्देश आदि भी देखने थे। कुछ भी हो, मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि इस पर और आगे चर्चा करना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं आशा करता हूं कि महान्यायवादी शीघ्र ही अपनी सलाह देंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या मैं जान सकता हूं कि महान्यायवादी के पास कौन से सुतथ्य निर्देश पद और दस्तावेज निर्देशाधीन हैं और क्या इस सलाह को प्राप्त करने तथा उसे सभा पटल पर रखने के लिये कोई अन्तिम तिथि निर्धारित कर दी गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** नहीं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मैं यथार्थता निर्देश पद जानना चाहता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** महान्यायवादी की सलाह मांगी गई है। वह और क्या निर्देश पद जानना चाहते हैं ? श्री कामत।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृहकार्य मंत्री राजधानी में फैल रही इस आशय की सूचनाओं से पक्की तरह से इन्कार करने की स्थिति में हैं कि प्रधान मंत्री या सरकार को भेजी गई महा न्याय-वादी की अन्तरिम राय––हो सकता है कि यह प्रतिवेदन न हो, बल्कि अन्तरिम राय हो–– संबंधित मंत्री के प्रतिकूल है***

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। उसका इससे क्या वास्ता है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** पहले प्रश्न का ही उत्तर दे दिया जाये कि क्या वह उस सूचना से इन्कार करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर उन्हें दूसरा भाग पूछना ही क्यों चाहिये ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आप इसे काट सकते हैं, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले भाग का उत्तर दे दिया जाये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कटाक्ष करना माननीय सदस्य के लिये बहुत बुरा है। मैं कहता हूं कि यह एक तरह का कटाक्ष है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक कटाक्ष है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं आप से प्रार्थना करता हूं. ...

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भी मानते हैं कि इसे काट दिया जाये। उसे निकाल दिया जाये। परन्तु वह ऐसा करें ही क्यों ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मैं जान सकता हूं कि इसे किन कारणों से निकाला गया है ? जब तक यह मानहानि कारक या अपराधारोपक या अश्लील या इसी तरह का कुछ न हो, इसे निकाला नहीं जा सकता। मैं नियम उद्धृत करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम तो उन्होंने मुझे इतनी बार बताये हैं कि अब मैंने भी उन्हें याद रखना शुरू कर दिया है। यह तो साफ तौर पर एक कटाक्ष है और उसकी मैं आज्ञा नहीं दूंगा। उसे निकाल दिया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** केवल कटाक्ष होने से ही बात को निकाला नहीं जाता। सभी कटाक्ष तो निकाल नहीं दिये जाते।

†**अध्यक्ष महोदय :** जिसकी आज्ञा नहीं देता, जो अनुमति योग्य नहीं ह, उसे निकाला ही जायेगा। इसको निकाल देने का भी मैं आदेश दे सकता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आप जो चाहें निकाल सकते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि नियमों के अधीन इसे निकाला नहीं जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले भाग का उत्तर दे दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्षपीठ के आदेशानसार निकाल दिया गया।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** अब मैं पहला भाग भूल गया हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग दोहरा देता हूं । क्या मंत्री महोदय.....

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** नहीं, नहीं अब मैं इसका उत्तर दे सकता हूं । कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और मैं नहीं जानता कि इस तरह की अफवाह फैलाने या गप्प उड़ाने में किस की दिलचस्पी है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** स्वयं सवाल करने वाले की ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** ऐसा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं आया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, क्या मैं पूछ सकता हूं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । श्री द्विवेदी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महान्यायवादी को केवल कानूनी सलाह देने के लिये कहा गया है या इस मामले में जो औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है वह भी उन्हें निर्दिष्ट किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** श्रीमान्, महान्यायवादी को कुछेक बातों की जांच करने को कहा गया है और यह देखना उनका काम है किजिस तरह से वह सब से अच्छा समझें अपनी सलाह दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** महान्यायवादी का इससे कोई सरोकार नहीं कि यह उचित है कि नहीं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका इससे कोई वास्ता नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या गृह-कार्य मंत्री इस अफवाह से अवगत हैं कि कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिये राजधानी में इस प्रकार का प्रचार आरम्भ करने के लिये एक ऐसी फर्म द्वारा बहुत सा रुपया दिया गया है जो सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के विरूद्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय मंत्री.....

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** इसे भी निकाल दिया जाये क्योंकि यह भी कटाक्ष है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस की भी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इसे निकाल देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस दायरे में नहीं आता ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न पर उठता हूं ।

†**श्री रंगा :** श्रीमान्, आपने यह स्पष्ट करने की कृपा की थी कि जब आप यहां किसी बात की आज्ञा नहीं देते तो वह हमारी कार्यवाही में स्थान नहीं पाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी तो नहीं। कई बार हम प्रश्न करते रहते हैं। हर एक चीज निकाली नहीं जाती (**अन्तर्बाधा**) हां, हर एक सवाल निकाल नहीं दिया जाता।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि जो बातें हम कहते हैं उन्हें निकाल देने में आप बड़े कृपालू रहे हैं। जब कभी भी कोई सीधी साधी और अनपकारी तुलना भी होती है, जो कि मैंने कुछ समय हुआ की थी, उसे सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया गया है, और लोग हैरान रह जाते हैं, यदि मैं ऐसा कह सकूं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने केवल उसका पहले का आधा हिस्सा निकाला था, दूसरा नहीं जो कि प्रश्न से संबंधित था।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं जानता हूं। इस विशेष मामले में, एक विशेष राजनैतिक दल पर छलावरणीय आक्रमण है—जो कोई भी राजनैतिक दल हो (**अन्तर्बाधा**)। इससे एक राजनैतिक दल की बदनामी होती है इसलिये इसे निकाल देना चाहिये। और इसका किसी तरह का कोई साक्ष्य भी नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** बहुत सी चीजें साक्ष्य के बिना कही जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं इस पर एक प्रश्न, एक अनुपूरक पूछ सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बैठ गये थे। मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** आज मैंने कोई भी प्रश्न नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** और भी कई प्रश्न आयेंगे और मैं उनको अनुमति दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान, मैं एक औचित्य प्रश्न पर उठता हूं। क्या मैं आप का ध्यान नियम ३८० की ओर दिला सकता हूं जिस में वाद-विवाद अथवा किसी और चीज के दौरान कहे गये शब्दों या टिप्पणियों को निकालने के बारे में लिखा हुआ है ? उस में "कटाक्ष" शब्द नहीं आता है। नियम में कहा गया है :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।"

अब, श्रीमान, आपने कटाक्ष होने के नाते निकाल देने की आज्ञा दी है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पहले के नियम का अनुसरण करेंगे या अब आप कोई और विनिर्देश देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम विस्तृत नहीं हैं मुझे यहां कार्यवाही को विनियमित करना पड़ना है। यहां कही गई बातों में यदि मैं देखूं कि कुछ को निकाल दिया जाना चाहिये तो मुझे ऐसा करने का प्राधिकार है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि अन्तिम प्रश्न, जिसे निकाल देने की मांग की गई थी, इसी श्रेणी में आता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह साफ साफ कटाक्ष है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस के विरुद्ध ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी है जो प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस में बाहर के किसी व्यक्ति की ओर निर्देश था । यदि निर्देश यहां के किसी सदस्य की ओर होता तो मैं उस पर आपत्ति करता ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : राजनीतिज्ञों में संसद्-सदस्य भी आ जाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैंने 'सदन के अंदर' नहीं कहा था । वे कह रहे थे कि राजधानी में एक विशेष अफवाह है । मैंने बस यह कहा था कि राजधानी में एक और भी अफवाह है जो कि इसके बिल्कुल उलट है । बस यही है जो मैंने कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, मैं सभी माननीय सदस्यों से ऐसी टिप्पणियों,ऐसे कटाक्षों, मान हानिकारक वक्तव्यों, अशिष्ट टिप्पणियों से परहेज करने की प्रार्थना करूंगा । ऐसा करने वाला सदस्य चाहे कोई भी हो, इस से सदन की गरिमा में वृद्धि नहीं होती । सभी माननीय सदस्यों को उसका ध्यान रखना चाहिये । बहुतसे माननीय सदस्य जोश में आ कर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करने चाहियें और भूमिका बांध कर प्रश्न पूछते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते । यहां प्रश्नों के लिये रखे गये समय में यदि केवल सीधे प्रश्न पूछे जायें और सीधे उत्तर दिये जायें तो हम दुगने प्रश्न पूरे कर सकते हैं । होता क्या है कि उत्तर भी लम्बे होते हैं क्योंकि प्रश्न लम्बे होते हैं । अब अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरूआ** : श्रीमान, अब जब कि आपने स्वयं माना है कि जहां तक श्री आजाद के प्रश्न का संबंध है, वह कटाक्ष था जो कि अशिष्ट सा था, क्या आप उसे भी सदन की कार्यवाही से निकाल देने की कृपा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं । मैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं करूंगा ।

शैल रासायनिक उद्योग

†*१११८. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंच पैट्रोलियम इस्टिट्यूट ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को शैल रासायनिक (पैट्रो-कैमिकल) उद्योग के विकास के लिए कोई रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) : जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १२६८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) फ्रेंच इंस्टिट्यूट आफ़ पैट्रोलियम के प्रतिवेदन का इस समय अध्ययन किया जा रहा है और इस मामले में सरकार का निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

भारत में चीनी नजरबन्दी

+
*११२०. { **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चीनी नजरबन्दियों में से कुछ चीन जाने को तैयार नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन की संख्या का पता लगाया है ; और

(ग) वापस जाने में उन की अनिच्छा के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों की सही संख्या का पता तब लगेगा जब उन स्वदेश जाने वाले नजरबन्दियों का आखरी जत्था इस देश से चला जाय ।

(ग) उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : देश में इस समय कुल कितने चीनी नज़रबन्द हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १३५४ चीनी नज़रबन्द हैं ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : यहां जो चीनी नज़रबंद हैं उन में से कितने चीनी स्वतंत्रता मिलने के पूर्व से रह रहे हैं और क्या उन को निकालने का सरकार का कोई इरादा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जो बहुत दिनों से रह रहे हैं उन को निकालने का सवाल नहीं है । सवाल तो यह है कि जो चीनी यहां नज़रबंद हैं उन में से कौन यहां से जाना चाहते हैं और कौन नहीं जाना चाहते हैं । जो जाना चाहते हैं उन को जाने दिया जायगा लेकिन जो नहीं जाना चाहते हैं उन को निकाला नहीं जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा लगाये गये इस नवीनतम आरोप की ओर गया है कि इन शिविरों में चांग काई शेक के एजेन्टों द्वारा, जिन्हें कि भारत सरकार द्वारा वेतन दिया जा रहा है एक महीने से भी छोटे बच्चों तथा ९० वर्ष के वृद्ध अधे व्यक्तियों पर भी अत्याचार ढाये जा रहे हैं और यदि हां, तो इन आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिये जिससे कि इन का खंडन हो सके क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास से इन शिविरों का दौरा करने का प्रस्ताव करने के लिए तैयार है अथवा प्रस्ताव करने का उस का विचार है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह आरोप एकदम निराधार है तथा जो वहां जाना चाहते हों उन्हें ऐसा करने के लिये पूरी स्वतंत्रता है । यद्यपि उनके बच्चे तथा अन्य वृद्ध सम्बंधी भी हैं तो भी जब कभी वे जायें वे उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास को आमंत्रित करने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि यह आवश्यक नहीं है । जब तक कि आरोप का कुछ आधार न हो अथवा उस में कुछ सत्यता न हो तो हमें उस प्राधिकार से क्यों जा कर यह कहना चाहिये कि वे अपना निर्णय दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हरि विष्णु कामत ।

†**श्री हेम बरुआ :** चीनियों ने यह आरोप लगाया है कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** विशेष रूप से उस बात का नहीं जो कि मैंने कही थी । चीनियों ने यह आरोप लगाया है कि नजरबंदियों के इन शिविरों में एक महीने स भी छोटे बच्चों पर अत्याचार ढाये जा रहे हैं । इन आरोपों का खंडन करने के लिये हमें यह सिद्ध करना है कि वहां पर १ महीने से छोटे बच्चे हैं भी अथवा नहीं ? एक महीने की आयु के कितने बच्चे वहां पर हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह वह प्रश्न नहीं है जो कि उन्होंने पूछा था । उन्होंने यह नहीं पूछा था कि एक महीने की आयु वाले कितने बच्चे वहां पर हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** जी, मैंने पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने संख्या के संबंध में नहीं पूछा था । उन्होंने केवल यही कहा था कि चीनियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ..... **(अंतर्बाधायें)** अब वह जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह एक नया प्रश्न है । श्री कामत ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं है कि उन चीनी नजरबन्दियों ने जिन्होंने स्वदेश वापस भेजे जाने के लिये मना किया था सरकार से यह कहा था कि वे ऐसा जान बूझ कर रहे हैं, अर्थात् वे वापस जाने के लिये निश्चित रूप से ही इस आधार पर मना कर रहे थे कि रहन सहन की अवस्थायें चीन की अपेक्षा भारतवर्ष में अधिक अनुकूल हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमने उन से कारणों को बताने के लिये नहीं कहा था। यह बात उन की पसन्द पर छोड़ दी गई थी कि वे चीन वापस जाना चाहते हैं अथवा नहीं । जिन्होंने यह कहा था कि वे वापस जाना चाहते हैं उन्हें वापस भेज दिया गया है । दूसरे व्यक्तियों ने यह कारण नहीं बताये कि वे भारत में क्यों ठहरना चाहते हैं । जहां तक हमारा संबंध है वास्तव में मैं माननीय सदस्य द्वारा, अभी प्रतिपादित किये गये कथन से पूर्णतः सहमत हूं ।

†**श्री बूटा सिंह :** ये चीनी नजरबन्दी जो कि चीन वापस जाने के लिये तैयार नहीं हैं भारतीय नागरिकता अपनाना चाहते हैं अथवा फारमूसा की नागरिकता ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वह प्रश्न अभी तक नहीं उठा है । इस संबंध में विचार करना उस का काम होगा ।

†**श्री रंगा :** क्या मैं यह समझ लूं कि ये चीनी व्यक्ति जो कि चीन वापस नहीं जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती चीन वापस नहीं भेजा जायेगा तथा उन्हें भारत में ही रहने दियाजायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यही बात उन्होंने कही थी ।

†**श्री रंगा :** मैं उन का उत्तर नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे उन पर वापस जाने के लिये जोर नहीं डाल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बड़े : क्या यह सच है कि सभी चीनियों को नज़रबंद नहीं किया गया है तथा उन्हें व्यवसाय करने की अनुमति है। रतलाम के एक डाक्टर को अभी तक नज़रबंद नहीं किया गया है। अतएव, क्या यह सच है कि इस समय तक सभी चीनी नजरबंद नहीं किये गये हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम उनके सम्बंध में बातचीत कर रहे हैं जिन्हें हमने इस समय नजरबंद कर लिया है ।

†श्री बड़े : सरकार की नीति क्या है। क्या सभी चीनी व्यक्ति नज़रबंद किये जाने हैं अथवा उन में से केवल कुछ ही नज़रबंद किये जाने हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : वह तो एक व्यापक प्रश्न है . . . . (अंतर्बाधायें) यह प्रश्न तो उन नजरबन्दियों से सम्बन्धित है जो कि इस समय हमारे पास नज़रबन्द हैं।

†श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि जिन अवस्थाओं में यह चीनी नज़रबन्दी रखे जा रहे हैं उनके तथ्यों को जनता के सम्मुख रखने की दृष्टि से भारतीय समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने उन शिविरों को देखने की अनुमति मांगी थी जहां कि सारे चीनी नज़रबन्दी रखे जा रहे हैं ? क्या इस के लिये अनुमति देने से मना कर दिया गया था और यदि हां, तो इस सुविधा के लिये मना कर देने के क्या कारण थे ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तक ऐसा कोई भी अभ्यावेदन मेरे ध्यान में तो आया नहीं है।

†श्री कृ० चं० पन्त : चीन द्वारा लगाये गये आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिये क्या सरकार इन चीनी नज़रबन्दियों को चीन के लिये प्रसारण करने की सुविधाओं की अनुमति देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि चीनी नज़रबन्द यहां से प्रसारण करें। किसी हद तक यह एक चीनी तरीका है। वास्तव में मैं उसका अनुकरण नहीं करना चाहता। परन्तु, जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हम दूसरे कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिन से कि संसार यह जान सके कि हम नज़रबन्दियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ?

भारत प्रशासन सेवा परीक्षा के लिये आयु की छूट

\+

*११२१. { श्री काशीराम गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए विभागीय उम्मीदवारों को सामान्यतः जो आयु की छूट दी जाती थी वह भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा, १९६३ के लिए हटा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभागीय उम्मीदवारों को आयु की छूट देने के सम्बन्ध में काफी विचार करने पर यह पाया गया कि यह इन्तज़ाम सिद्धान्त: आपत्तिजनक था और इसके परिणाम भी अनुचित होते थे। आडिटर जनरल ने इस रियायत को रद्द करने के लिए काफी ज़ोर दिया था, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा सम्बन्धित मंत्रालयों ने भी इस रियायत को वापस लेने के बारे में सम्मति दी थी। सरकार को यह भी सलाह दी गयी थी कि यह रियायत अवैधानिक भी मानी जा सकती है।

श्री काशी राम गुप्त : सरकार ने जो आर्डर अब वापस लिया है, क्या उस को जारी करते वक्त उस के सामने ये बातें नहीं थीं ? जिस समय यह कन्सेशन जारी किया गया था, क्या उस समय ये सब बातें सरकार के सामने नहीं थीं ?

श्री हजरनवीस : यह तो कई दिनों से चल रहा है। बाद में सोचने के बाद यह देखा गया कि अगर यह रियायत वापस ले ली जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए उस को वापस ले लिया गया।

श्री काशी राम गुप्त : मेरा निवेदन यह है कि यह कन्सेशन जारी करते वक्त क्या ये सब प्रश्न सरकार के सामने नहीं थे और यदि नहीं थे, तो बाद में किस प्रकार उठे।

श्री हजरनवीस : कई दिनों से यह चल रहा है—मैं यह नहीं कह सकता कि कितने दिनों से चल रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों से यह बात चल रही है। मेरा ख़याल है कि १९४७ से पहले भी चल रही होगी, लेकिन मुझे पक्का नहीं मालूम है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या उन व्यक्तियों को भरती करने के विचार से जिनकी रगों में ताज़े व नवीन रक्त का संचार होता है ये आदेश वापस ले लिये गये हैं जो कि विभागीय उम्मीदवारों के पक्ष में थे ?

†**श्री हजरनवीस** : भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों के लिये आयु २० से लेकर २४ वर्ष तक थी तथा इंडियन सिविल सर्विस के लिये २१ से लेकर २४ वर्ष तक। अब कुछ विभागीय उम्मीदवारों के पक्ष में आयु की सीमा में छूट देने को उचित नहीं समझा गया था। और जैसा कि मैंने कहा था, इस प्रश्न की वैधानिक मान्यता के विषय में भी सन्देह था। पहली बात यह कि यह उचित था अथवा नहीं और दूसरी यह कि यह वैधानिक था अथवा नहीं ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमने ध्यान दिया था और हम ने यह पाया कि यह न्यायसंगत नहीं था।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, विभागीय उम्मीदवारों से यह जो सहूलियत वापस ली गई है, क्या यह आगे आने वाले उम्मीदवारों पर ही लागू होगी और पहले जो लोग इस के मातहत परीक्षायें दे चुके हैं, उनको पूरी सहूलियतें दी जायेंगी अथवा नहीं ?

श्री हजरनवीस : जो अभी तक हुआ है, वह किसी तरह से रद्द नहीं होगा।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी यह छूटें वापस ले ली गई हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : जी नहीं। यह छटें केवल विभागीय उम्मीदवारों के सम्बन्ध में वापस ली गई हैं।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा के लिये आयु की इस छूट से अब तक कितने व्यक्ति लाभ उठा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरतवीस :** मैं यह अभी नहीं बता सकता ।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों को पढ़ाना

†*११२२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :** / **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के मैट्रिक पास करने के बाद कालेजों में भरती होने की बजाय व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रश्न की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग) यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है तथा निर्देश-पदों और गठन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिये जाने हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** औसतन कितने मैट्रिक पास विद्यार्थी कालेजों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष आते हैं और इस योजना से उस संख्या में कहां तक कमी हो जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** और कोई प्रश्न ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं उत्तर नहीं सुन सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कह रहे हैं कि यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से सुसंगत नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं यह नहीं जानता कि यह किस प्रकार से असंगत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछें और इसे मालूम कर लें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यदि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति यह है कि अधिकाधिक विद्यार्थी कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने के बजाय प्रविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करें तो क्या मैं जान सकता हूं कि इतने कालेजों की स्थापना क्यों की जा रही है और विशेषरूप से राजधानी में, दिल्ली की वृहत् योजना में, ११ कालेज स्थापित करने की व्यवस्था क्यों की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** श्रीमन्, प्रश्न काल में हम नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं । मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिये तो तैयार हूं परन्तु बात यह है कि प्रश्न काल में हम नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं करते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि मैट्रिक पास विद्यार्थियों के कालेजों में अधिक संख्या में जाने को वास्तव में रोकने के लिये हमारे देश में बहुत ही कम जूनियर प्रविधिक स्कूल तथा पोलीटेकनिक संस्थायें हैं ? यदि हां, तो क्या जितने आंठवीं कक्षा से प्रारम्भ होने वाले जूनियर प्रविधिक स्कूलों तथा मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिये पोलीटेकनिक संस्थाओं को स्थापित करने

---

†मूल अंग्रेजी में

की आवश्यकता है उससे आधी संख्या में भी इन संस्थाओं को स्थापित करने के लिये धन राशि में वृद्धि करने का, उसे दुगना करने का, कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इस प्रश्न का उत्तर देना पसन्द करूंगा । परन्तु यह मूल प्रश्न विशेष रूप से एक समिति को स्थापित करने से ही सम्बन्धित है । यह प्रश्न उस प्रश्न से नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह उत्तर दे सकते हों तो दे दें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्या ने पोलीटेकनिक संस्थाओं तथा जूनियर प्रविधिक स्कूलों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा है । यह प्रश्न विशेष रूप से एक समिति से सम्बन्धित है जिसे कि स्थापित करने का विचार है । मैंने यह उत्तर दे दिया है कि समिति के निर्देश-पदों आदि पर अभी तक विचार किया जा रहा है । यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से उठता ही नहीं है ।

श्रीमती शशांक मंजरी : इस समिति में कितने सदस्य हैं और उन में से कितने सरकारी हैं और कितने गैर-सरकारी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तो कमेटी बनानी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परीक्षाओं में अंग्रेजी में असफलता

†*१११२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रथम डिग्री परीक्षा में विद्यार्थियों के बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी में असफल होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक क्षति होती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि डिग्री-स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में रखने पर अनुचित जोर देने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा का भी स्तर गिर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रथम डिग्री परीक्षाओं में अंग्रेजी में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या के संबंध में आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति द्वारा शैक्षिक स्तरों के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खनन पट्टे

†*१११९. **श्री वि० भू० देव :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान आपातकाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र में खनिजों के विदोहन के लिये खोज

---

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंस तथा खनन पट्टे देने का है जिससे निर्यात तथा आंतरिक खपत के लिये खनन साधनों का पूरा विदोहन करने में सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जिन खनिजों का १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लेख नहीं किया गया है उनके संबंध में किसी राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को खोज लाइसेंस/खनन पट्टे देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस प्रकार की खनिज संबंधी रियायतें राज्य सरकारों द्वारा मुक्त हस्त से दी जा सकती हैं। अनुसूचित खनिजों के संबंध में, औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित सभी सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात, गैर-सरकारी क्षेत्र को भी रियायतें अथवा छूट दी जाती हैं। किस पैमाने पर खनन किया जायेगा व राज्य में विदोहन करने के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता उन कुछ बातों में से है जिनको ध्यान में रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सह-शिक्षा

†*११२३. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों पर सह-शिक्षा आरम्भ करने की नीति पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सह-शिक्षा के प्रश्न पर स्त्री शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा भी विचार किया गया है। स्त्री शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रारम्भिक अवस्था में सह-शिक्षा को एक सामान्य नीति के रूप में अपना लिया जाना चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मिडिल कक्षाओं के लिये अधिकाधिक सह-शिक्षा संस्थायें इस शर्त पर प्रारम्भ की जा सकती हैं कि लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त ध्यान रखा जायेगा। तदपि, समिति ने यह सिफारिश की थी कि माध्यमिक कक्षाओं के लिये लड़कियों के अलग स्कूल स्थापित किये जायें तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा किया जाय और यह बात लड़कियों के माता पिताओं की इच्छा पर छोड़ दी जाये कि यदि वे चाहते हों तो अपनी लड़कियों को लड़कों के स्कूलों में भेज सकते हैं। साथ ही साथ, कर्मचारियों का ध्यानपूर्वक चयन करके, माता पिताओं द्वारा स्कूल का सामयिक दौरा करने की व्यवस्था करके तथा सह-शिक्षा वाले स्कूलों में स्त्री अध्यापकों को नियुक्त करके सहशिक्षा के संबंध में जो कुछ भी यथार्थ कठिनाइयां तथा मान्य आशंकायें विद्यमान हों उन्हें दूर करने के प्रत्येक संभव प्रयत्न किये जाने चाहियें।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के मतानुसार सह-शिक्षा के संबंध में कोई अति कठोर नीति नहीं हो सकती क्योंकि स्कूलों में शिक्षा का प्रतिरूप उन स्थानों के जन समुदाय के सामाजिक प्रतिरूप से बहुत अधिक आगे नहीं हो सकता जहां कि स्कूल स्थित है। आयोग की यह राय थी कि जहां जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सम्भव हो सके लड़कियों के लिये अलग स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिये क्योंकि इससे लड़कियों के शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक चातुर्य के विकास के लिये मिश्रित स्कूलों की अपेक्षा अधिक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह सिफारिश की गई थी कि सभी राज्यों को इस प्रकार के स्कूल पर्याप्त संख्या में खोलने चाहिये।

भारत सरकार सामान्य रूप से इन सिफारिशों से सहमत है तथा ये राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

जहां तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सहशिक्षा आमतौर से है परन्तु एक नीति के रूप में सभी संस्थाओं में सह-शिक्षा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटन

†*११२४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में प्राथमिक शिक्षा के लिये योजना में किये गये आवंटन में की गई कटौती को रद्द करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) इसका लड़कियों की शिक्षा पर, जिसे कटौती के कारण बहुत नुकसान हुआ था, क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

सीमा क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए संस्थाएं

†*११२५. **डा० सरोजिनी महिषी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सीमा क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिये कितनी संस्थायें खोली जा रही हैं ;

(ख) ये किन स्थानों पर खोली जा रही हैं ; और

(ग) सामान्य स्कूलों तथा कालिजों की तुलना में इन संस्थाओं में क्या विशेषता होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिये केवल एक ही संस्था खोलने का विचार है।

(ख) देहली ।

(ग) ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। तथापि, ऐसी संभावना है कि इस संस्था में अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम छः वर्ष तक सीमित होंगे जोकि डिग्री कक्षा के स्तर तक चलेंगे। इन पाठ्यक्रमों में, अंग्रेजी, हिन्दी तथा तिब्बती भाषाओं के साथ साथ पाली तथा संस्कृत का, देश के सांस्कृतिक विकास की विशेष भूमिका में देश के इतिहास का, राष्ट्रीय मामलों तथा देश के लोगों का, विभिन्न भारतीय दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम्य उच्च शिक्षा

†*११२६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य उच्च शिक्षा के लिये परीक्षा के स्वायत्तशासी बोर्ड का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में कौन कौन सदस्य हैं तथा इसको कौन कौन से काम सौंपे गये हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्राम्य उच्च शिक्षा परिषद् की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय ग्राम्य उच्च शिक्षा परिषद् एक मंत्रणा देने वाली संस्था है जो कि ग्राम्य उच्च शिक्षा की योजनाओं से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को मंत्रणा देने के लिये गठित की गयी है ।

बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय

*११२७ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक नामों को हटाने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) इस बारे में निर्णय करने में देरी क्यों हो रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विषय अभी तक विचाराधीन है ।

केन्द्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों में कमी

†*११२८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री गो० महन्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष मितव्ययिता समिति ने केन्द्रीय मंत्रालयों के वर्तमान कर्मचारियों में से १९०६ कर्मचारियों को कम करने का सुझाव दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सुझाव की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) कम किये जाने वाले कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) से (घ). विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिये गृह सचिव, वित्त सचिव (व्यय) तथा अतिरिक्त सचिव, योजना आयोग, की एक मितव्ययिता समिति बनाई गई है। प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् ही फालतू व्यक्तियों की संख्या जानी जा सकती है तथा उनको खपाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी उच्च स्तरीय जांच समिति

†*११२९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा इसके अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली की जांच के लिए विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन कौन सदस्य होंगे तथा उसके निदशपद क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख). १७ अप्रैल, १९६३ को तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में दिये गये उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उजबेकिस्तान में पुरातत्वीय खुदाई

†*११३०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में प्रसिद्ध रूसी लेखक प्रो० ए० एम० डायकोव द्वारा दिल्ली में २१ मार्च, १९६३ को दिये गये इस व्यक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उजबेकिस्तान में बौद्ध मन्दिरों तथा अन्य स्थानों की खुदाई की गई है;

(ख) क्या १९६४ में दिल्ली में होने वाली प्राच्यविद्या विशेषज्ञों के सम्मेलन के असवर पर इन खुदाइयों के संबंध में एक पुस्तक प्रकासित करने का विचार है ; और

---

† हिन्दी में

(ग) क्या पंजाबी भंडी (पश्चिमी) बोली की तरह को बोली ताजिकिस्तान के पश्चिम भाग में पाई गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए थे उससे अधिक कुछ जानकारी सरकार के पास नहीं है ।

सनंद (गुजरात) में तेल

†*११३१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गए छिद्रण कार्य के दौरान सनंद (गुजरात) के निकट तेल मिला है ; और

(ख) क्या इस तेल की किस्म तथा मात्रा का विश्लेषण किया गया है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां । परन्तु द्वितीय तथा तृतीय कूंए से अभी तक कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं ।

(ख) इस क्षेत्र में तेल की मात्रा के संबंध में विस्तृत अनुमान नहीं लगाये गये हैं । तेल के भौतिक गुणधर्मों की प्रारम्भिक जांच तथा इसका विश्लेषण कर लिया गया है । इसमें विशिष्ट गुरुत्व,[१] रंग, बहाव बिन्दु,[२] श्यानता तथा भार के आधार पर विभन्न डिस्टिलेट कट्टस के प्रतिशत उत्पादन का निर्धारण सम्मिलित है ।

सामान्य शिक्षा

†२५५२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा आरम्भ करने, जिसका प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया था, के संबंध में क्या प्रगति हुई है और सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विवरण संलग्न है ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १२६९/६३]

दिल्ली विश्वविद्यालय में तीसरी श्रेणी के विद्यार्थी

†२५५३. **श्री रामहर यादवख** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउंसिल ने १९५९—६३ के दौरान तीसरी श्रेणी में एम० ए०, एम० एस० सी० और ए० कॉम० की परीक्षाओं पास करने

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Specific gravity

[२]Pour point

[३]Lousult Author

वाले विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निश्चय किया है ताकि वे अपनी शिक्षा संबंधी अर्हता सुधार सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या औचित्य है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मामला दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउंसिल के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा के लिये कोयले के वैगन

†२५५४. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को १९६२-६३ में कोयले के कुल कितने वैगन आवंटित किये गये ; और

(ख) उस अवधि में उड़ीसा की आवश्यकता कितनी थी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य को १९६२-६३ में आवंटित कोयले और कोक का कोटा और वास्तविक प्रेषण क्रमशः ६,७३९ वैगन और ५४५९ वैगन थे । राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर की गई मांगों, जो स्वीकृत नहीं की गई, के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

राजस्थान के लिये कोयले के वैगन

†२५५५ **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राजस्थान को कुल कितने कोयले के वैगन आवंटित किये गये ; और

(ख) उस अवधि में राजस्थान की ज़रूरत कितनी थी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) राजस्थान राज्य को १९६२-६३ में आवंटित कोयले और कोक का कोटा और वास्तविक प्रेषण क्रमशः ८,४१४ वैगन और ७,०७६ वैगन थे । राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर की गई मांगों, जो स्वीकृत नहीं की गई, के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

भारत सेवक समाज उड़ीसा

†२५५६. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ और १९६२-६३ में भारत सेवक समाज (उड़ीसा शाखा) को विभिन्न कैम्पों के संचालन के लिये कितनी राशि दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली) :**

वर्ष	*दिया गया अनुदान
१९६१-६२	१७,९२३.९९ रुपए
१९६२-६३	८,८३३.९५ रुपए

*नोट:—ये अनुदान केन्द्रीय भारत सेवक समाज, नई दिल्ली के द्वारा दिये गये थे।

उड़ीसा का सतर्कता विभाग

†२५५७. **श्री उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विशेष पुलिस संस्थापन की पुरी शाखा द्वारा अपनी स्थापना के समय से कितने मामलों का पता लगाया गया है ;

(ख) उनमें कितने सरकारी अधिकारी शामिल हैं ; और

(ग) कितने मामलों की जांच की गई, कितनों का निपटारा किया गया और क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतबीस)** : (क) मार्च, १९६३ के अन्त तक ६३३ मामलों का।

(ख) ७४८ ।

(ग) (१) जांच किये गये मामलों की संख्या.....६३३ ।

(२) निपटाये गये मामलों की संख्या.....६०२ ।

(३) की गई कार्यवाही ।

क—प्राभियोजन.....१३७ ।

ख—विभागीय कार्यवाही के लिये प्रेषित...२७१ ।

ग—समाप्त किये गये.....१२६ ।

घ—अन्यथा निपटाये गये (स्थानीय पुलिस को निर्दिष्ट आदि).....६८ ।

उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज

†२५५८. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में केन्द्र की पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) उड़ीसा के ऐसे प्रत्येक कालेज को केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६२-६३ में कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) १९६३-६४ में कितनी राशि देने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा के लिये आवंटित इंजीनियरिंग कालेज का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) दो।

(ख) (१) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला ६३,८०,७३० रुपये (सहायतार्थ अनुदान २९.०० लाख रुपए ; ऋण ३४,८०,७३० रु०)।

(२) कालेज आफ इंजीनियरिंग , बर्ला–२.६१ लाख रुपए (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायतार्थ अनुदान)।

(ग) (१) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला–१२.०० लाख रुपए (सहायतार्थ अनुदान) ५.०० लाख रुपए (ऋण)।

(२) कालेज आफ इंजीनियरिंग, बर्ला–७,४१,६२३ रुपए

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायतार्थ अनुदान ३,६५,६२३ रुपए

ऋण ३,७६,००० रुपए)

(घ) उड़ीसा के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना में आवंटित एकमात्र इंजीनियरिंग कालेज रूरकेला का रीजनल इंजीनियरिंग कालेज है। इस कालेज को निम्नलिखित सहायता मिलेगी :—

(१) **अनावर्तक** केन्द्रीय सरकार भवन एवं उपकरण के लिये समस्त अनावर्तक अनुदान देगी।

(२) आवर्तक : केन्द्रीय सरकार पहले पांच वर्षों तथा पचास प्रतिशत आवर्तक व्यय देगी। शेष व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा।

(३) **कर्मचारियों के क्वार्टर एवं विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं**: सरकार कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान के रूप में ५० प्रतिशत व्यय देगी और शेष चालू ब्याज दर पर ऋण के रूप में। होस्टलों के निर्माण का समस्त व्यय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज-युक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा।

(४) कालेज में निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जायेगी :—

	वार्षिक भर्ती
सिविल इंजीनियरिंग	३०
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	८०
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	८०
कैमिकल इंजीनियरिंग	३०
मैटालर्जी	३०
योग	२५०

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तेल सर्वेक्षण

†२५५९. **श्री उलाका** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा उड़ीसा में तेल की खोज करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा तेल के लिए कोई सर्वेक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया है । परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रारंम्भिक अनुसंधान किये हैं जैसे स्ट्रैटीग्रैफिक सूचना के लिये मिट्टी और चूने के पत्थर के नमूने जमा करना । १९५८-५९ में मयूरगंज और बालासौर ज़िलों में ९६० वर्गमील क्षेत्र में भूमिक्षण गुरूत्व एवं चुम्बकीय सवक्षण किया गया था । प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में तलछट पाये जाने की संभावना नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर चीज़ों का दिया जाना

†२५६०. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न बस्तियों में दैनिक उपयोग की चीज़े उचित मूल्य पर दिलाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक सहकारी उपभोक्ता स्टोर स्थापित किया जा रहा है जिसकी दिल्ली/नई दिल्ली स्थित बड़ी कार्यालय इमारतों और सरकारी बस्तियों में अनेक शाखाएं होंगी । प्रारम्भ में १५ शाखा-स्टोर खोलने का विचार है । ये स्टोर खाद्यान्न, दाल, उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा जैसी वस्तुओं का कम और उचित मूल्य पर संभरण करेंगे । सही तोल और नाप का भी ध्यान रखा जायेगा ।

दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले की मरम्मत

†२५६१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में दिल्ली की जामा मस्जिद और लालकिले में कुछ मरम्मत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो १९६२-६३ में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और १९६३-६४ में कितनी राशि व्यय की जानी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख)

	१९६२–६३ में हुआ व्यय रुपये	१९६३–६४ में प्रस्तावित व्यय रुपये
जामा मस्जिद	१९,४९८	१४,३००
लाल किला	१०,८१०	३४,०००

आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा

†२५६२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए कुल कितनी राशि आवण्टित की गई है; और

(ख) उस राज्य को तीसरी योजना अवधि के पहले और दूसरे वर्षों में कुल राशि में से कितनी राशि दी जा चुकी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चूंकि आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अपनी तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की योजना सम्मिलित नहीं की है इसलिए इस योजना के लिए कोई राशि आवण्टित नहीं की जा सकी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लक्कदीव द्वीपसमूह के उत्पादों की बिक्री

†२५६३. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्कदीव द्वीपसमूह के उत्पादों को मेसर्स विवन्दीवाला एण्ड कम्पनी को बेचने की व्यवस्था के विरुद्ध केरल स्थित लक्कदीव द्वीपसमूह के दलालों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) भविष्य में मार्केटिंग एजेंसी के लिए टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय किया गया है ।

दिल्ली के स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों से अनधिकृत फीस का लिया जाना

†२५६४. **श्री वाडिवा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली के स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों से अनधिकृत फीसों की वसूली को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दिये जाने के बावजूद स्कूल प्राधिकारी अभी भी सुधार चन्दा और संरक्षकदान ले रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उस मामले की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कराये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) प्राइवेट स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान के भुगतान का विनियमन करने वाले नियमों के अन्तर्गत ऐसे स्कूलों के प्रबन्धकों को ऐसी कोई भी फीस अथवा चन्दा लेने की अनुमति नहीं है जो शिक्षा संचालक द्वारा प्राधिकृत न हों । इन हिदायतों का उल्लंघन करने से स्कूल के प्रबन्धकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है जिसमें स्कूल का नाम सहायतार्थ अनुदान की सूची से भी हटाया जा सकता है ।

(ख) सहायता पाने वाले स्कूलों के प्रबन्धकों को व्यय की कुछ निर्दिष्ट मदों के लिए, जिन पर सरकार से कोई अनुदान उपलब्ध न हो, दिल्ली के शिक्षा संचालक द्वारा अनुमोदित दरों पर सुधार-फीस वसूल करने का अधिकार है । परन्तु कोई भी स्कूल संरक्षकों से अनिवार्यता के आधार पर चन्दा नहीं ले सकता है । जब सरकार को किन्हीं स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा अनिवार्य चन्दा लिए जाने की खबर मिलती है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(ग) जी, नहीं । इन मामलों की एक समिति द्वारा जांच की जाती है जो १९५७ में श्रीमती सुचेता कृपालानी की अध्यक्षता में निर्मित की गई थी ।

सीमावर्ती जिले

२५६५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के तीन सीमावर्ती जिलों, अर्थात् पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के लिये किये गये कुल २८ करोड़ रु० के उपबन्ध में से वित्तीय वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में वास्तव में कितनी राशि व्यय हुई;

(ख) उस राशि में से कौन-कौन से विकास कार्य पूरे किये गये; और

(ग) वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में विभिन्न योजनाओं के लिये कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क)

१९६१–६२	२७०.१६ लाख रु०
१९६२–६३ . . .	२२१.९६ लाख रु०
(दिसम्बर, १९६२ तक)	

(ख) यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) १९६३–६४ की वार्षिक योजना विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माताटीला परियोजना

†२५६६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री माताटीला परियोजना से मध्य प्रदेश को पानी और बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में ६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मामले की इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा अग्रेतर जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). १८ मार्च, १९६३ को समिति की बैठक हुई थी उसकी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है ।

होम-गार्ड

२५६७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में लागू की गई होम-गार्डों की पुनरीक्षित योजना के सम्बन्ध में अभी तक प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योजना में निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्रतम प्राप्त करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) अब तक हुई प्रगति का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १२७०/६३ ।]**

(ख) एक अध्ययन समूह ने होम-गार्डों के प्रशिक्षण के लिये एक समान कार्यक्रम बनाने के प्रश्न पर गौर करके अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह राज्य शासनों को भेज दी गई है । कुछ राज्यों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं और शेष राज्यों द्वारा भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं । योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये होम-गार्ड योजना के विचार, कार्य और महत्व को प्रकाशन दिया जा रहा है । निर्धारित लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए राज्य शासनों द्वारा हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्रयावक्रय प्रणाली[1] पर गृह निर्माण

†२५६८. **श्री. प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गृह-निर्माण सहकारी समिति संघ ने सरकार से १० एकड़ भूमि एलाट करने की प्रार्थना की है ताकि वह क्रयावक्रय प्रणाली पर गृह निर्माण की एक अग्रिम योजना प्रारम्भ कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) और (ख). दिल्ली गृह-निर्माण सहकारी समिति संघ ने इस प्रयोजन के लिए भूमि एलाट किये जाने के लिए दिल्ली प्रशासन के हाउसिंग कमिश्नर को प्रार्थनापत्र दिया था। दिल्ली में गृह-निर्माण की सहकारी समितियों और औद्योगिक सहकारी समितियों को भूमि का आवण्टन दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास एवं निपटान की योजना के अनुसार किया जाता है जिसकी मुख्य बातें उस विवरण में दी गई हैं जो २३ मार्च, १९६१ को लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम १९७ के अन्तर्गत श्री प्र० गं० देव के ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखा गया था। तदनुसार संघ को उस योजना के अन्तर्गत भूमि का आवण्टन नहीं किया जा सकता है।

गंगानगर में हथियारों की बरामदगी

२५६९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ मार्च, १९६३ को गंगानगर की पुलिस ने मुंशीराम नामक एक व्यक्ति के घर पर छापा मार कर चोरी छिपे लाये गये बहुत से हथियार बरामद किये ;

(ख) क्या यह सच है कि बरामद किया गया सामान केवल पांच दिन पूर्व तीन पाकिस्तानी तस्कर-व्यापारियों द्वारा लाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) एक छापे के परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा दस पिस्तौल/रिवाल्वर और विभिन्न बोरों के ३८१ कारतूस तथा कुछ मात्रा में चरस व अफीम बरामद किये जाने की सूचना मिली है। अतः पुलिस ने अफ़ीम अधिनियम, खतरनाक औषध अधिनियम तथा शस्त्रास्त्र अधिनियम के अधीन अपराधों के मुकदमे दर्ज कर लिये हैं और जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hire purchase system.

(ख) इस बात का अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की सहकारी गृह निर्माण समितियां

†२५७०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में मकानों के निर्माण की दिशा में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना में सहकारी समितियों ने अभी तक कितना रुपया लगाया है ; और

(ग) दिल्ली में दिल्ली वृहद् योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि में से कितनी भूमि दिल्ली की सहकारी गृह निर्माण समितियों को दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) सरकार ने "सहकारी गृह-निर्माण योजना" जैसी कोई योजना नहीं बनाई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास एवं निपटान के लिये मंजूर की गई योजनाओं के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की गई भूमि में से अभी तक १२१६ एकड़ अविकसित भूमि २३ गृह-निर्माण सहकारी समितियों को आवण्टित अथवा दी गई है । विकास के बाद २४ अन्य सहकारी समितियों को १३४ १/२ एकड़ विकसित भूमि दी जायेगी ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहन सहन की स्थिति

†२५७१. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भारत के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहन सहन की स्थिति सम्बन्धी सिफारिश पर १९५८-५९ में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों ने कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर दिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां । केरल और लखनऊ विश्व-विद्यालयों के नमूना सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) क्रमशः ९.०७ प्रतिशत और ८.७४ प्रतिशत ।

अनुसंधान अग्रिम परियोजनाएं

†२५७२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में सफल अनुसंधान किये जाने के बाद अग्रिम परियोजनाओं के जरिये कितनी परियोजनाओं को लागू किया गया है ; और

(ख) उद्योग और कृषि क्षेत्र में प्रथक प्रथक ऐसी कितनी अग्रिम परियोजनाओं के परिणामों का वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोग किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). वर्ष १९५८-५९ से १९६२-६३ तक की अवधि में विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में ७७ अग्रिम संयंत्र स्थापित किये गये। माननीय सदस्य का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वार्षिक और प्राविधिक प्रतिवेदनों की ओर दिलाया जाता है। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अखिल भारत सेवाओं के व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें

†२५७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में अखिल भारत सेवाओं के व्यक्तियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, वे किस प्रकार की थीं और उन में से कितनी निपटायी गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

पुलिस के लिए आचार संहिता

†२५७४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस की आचार संहिता में पुलिस और जनता के बीच अच्छे सम्बन्ध और सहयोग बढ़ाने का उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि इस मामले में संघ सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न किये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस आचार के सिद्धान्तों का सम्बन्धित भाग निम्न प्रकार है :

> "पुलिस को यह समझना चाहिये कि उन के कर्त्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करना जनता के सहयोग पर निर्भर है। यह उन के आचार के प्रति जनता का समर्थन प्राप्त करने और सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त करने की उनकी योग्यत पर निर्भर है। जहां तक वे जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं इन से उन के कर्त्तव्य पालन में शारीरिक बल और जबरदस्ती इस्तेमाल करने की आवश्यकता में उतनी ही कमी होगी।
>
> पुलिस को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये और उन के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिये। उन को किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अथवा सामाजिक अस्तित्व को ध्यान में न रख कर हरेक की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिये और उनकी आवश्यक सहायता करनी चाहिये।"

(ग) पुलिस आचार के सिद्धान्त बना कर के राज्य सरकारों को लागू करने के लिये भेजे गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों ने इन को लागू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले का परीक्षण कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

होशियारपुर में सोडियम सिलिकेट कारखाना

†२५७५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खान और इंधन** मंत्री होशियारपुर जिले (पंजाब) के भूतत्वीय सर्वेक्षण के बारे में ६ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर में कोई शीशा कारखाना अथवा सोडियम सिलिकेट कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या बड़ी भारी मात्रा में उपलब्ध रेत का परीक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सोडियम सिलिकेट के अथवा सामान्य प्रकार के शीशे के निर्माण के लिये उपयुक्त क्वार्ट्ज़ाइट के जैजोन क्षेत्र में २०० लाख टन और गढ़ी मंसावल क्षेत्र में २६० लाख टन के होने का अनुमान है ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की आय

†२५७६. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६३ को अनुदानों की मांगों पर बहस के उत्तर में लोक-सभा में दिये गये अपने भाषण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का औसत वेतन १०० रुपये किस आधार पर निकाला गया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की औसत आय कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२७१/६३]**

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की संख्या

†२५७७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री महानन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या और पदाधिकारी भर्ती किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १३४५५ ।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस के लिये और अफसर और कर्मचारियों का दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

†२५७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय-लेखा सरकार द्वारा अथवा स्वीकृत लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है ; और

(ख) आवंटित धन किन मदों पर व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य-सरकारों से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

२५७९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान और इंधन** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में किये जा रहे कार्य में जून, १९६१ से अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जहां पर खनिज निक्षेप पाये गये हैं वहां उनको निकालने के लिये क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जायेगी ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण एवं खुदाई कार्य के लिये क्या भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में किये जा रहे कार्य में जुलाई, १९६१ से आज तक हुई प्रगति का संक्षेप विवरण निम्न प्रकार है :

अल्मोड़ा, चमोली, झांसी, मिरजापुर, नैनीताल और टहरी गढ़वाल जिलों के हिस्सों में २७६० वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में १ : ६३,३६० पैमाने पर व्ययवस्थित भूगर्भीय मानचित्रण किया गया। चमोली जिले में कच्चे तांबे और सिक्के, मिरजापुर जिले में चूना पत्थर, जौनपुर जिले में रेह मिट्टी और टहरी गढ़वाल तथा देहरादून जिलों में चट्टान फास्फेट के लिये १:३१,६८० और बड़े पैमाने पर १८५ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र का विस्तृत मान-चित्रण किया गया।

खनिज अन्वेषण : चमोली जिले में तांबा और सिक्का। खोल और नागघर में चट्टानों पर तांबा कारबोनेट-लेप (coating) देखे गये। पांगी, कन्डाई और सालना नामक स्थानों के पास पुरानी खानों के चिन्हों का पता लगा। वहां पर कार्य प्रगति पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जौनपुर जिले में रेह मिट्टी । रेह मिट्टी की विद्यमानता का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था ।

टहरी गढ़वाल और देहरादून जिलों में चट्टान फास्फेट । वहां पर गढ़ा करना और खाई खोदने का कार्य किया गया । ३७२ नमूनों और ४० पिंडो (nodules) को इकट्ठा किया गया और विश्लेषण के लिये भेजा गया । उनके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मिर्जापुर जिले में फ्लक्स ग्रेड चूना पत्थर । मिर्जापुर और शाहबाद सीमा के पास कंच और पोखरिया गांवों के बीच सोन नदी के उत्तरी तरफ के साथ रोहतास चूना-पत्थर की पट्टी में फ्लक्स ग्रेड चूना-पत्थर के लिये विस्तृत अन्वेषण, जिस में बड़े पैमाने पर मान चित्रण, खाई खोदना, व्यवस्थित मान-चित्रण और व्यधन कार्य शामिल है ; कार्य किया जा रहा है । १:१००० पैमाने पर ०·०४५ वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मान-चित्रण और २७०.३५ मीटर का व्यधन कार्य किया गया । अन्वेषण कार्य प्रगति पर है ।

मिर्जापुर जिले में कोयला । व्यधन दिल्ला का निरीक्षण किया गया और मिर्जापुर जिले में स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र के भाग में १०७४ मिलियन मीटरी टन के संचयों का अनुमान लगाया गया ।

अल्मोड़ा जिला के सीसखानी क्षेत्र में तांबा, सिक्का और जस्ता के लिये भूभौतिक अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं ।

इंजीनियरी भूविज्ञान अन्वेषण : निम्नलिखित परियोजनाओं का इंजीनियरी भूविज्ञान अन्वेषण कार्य किया गया :—

रान गंगा डैम परियोजना, गंगा और भागीरथी नदियों पर डैम स्थल, भाली हाईडैल स्कीम, राजघाट और दौरपुरम हाईडैल स्कीम, यमुना हाईडैल स्कीम, ओबरा हाईडैल परियोजना, गंगा नदी वादी संग्रहालय तथा हाईडैल योजनायें, झांसी और वारानसी जिलों में छोटी सिंचाई परियोजनायें, माटाटीला डैम परियोजना, मसूरी के नीचे बनावटी झील के लिये स्थल, मुसाबहन्दे सिंचाई परियोजना, पूर्णागिरि डम परियोजना; मेजा सिंचाई परियोजना, काल्सी-ईचरी सड़क संरक्षण, ताल चक्कर (race) सुरंग, केशान डैमस्थल, कोंच डैमस्थल, चन्दनी डैम स्थल, कोट्टी मेल डैमस्थल, केन हाईडैल परियोजना और सारदा वादी हाईडैल स्कीम ।

भूस्थित जल अन्वेषण : झांसी जिले में बबीना क्षेत्र ; नैनीताल जिले में मलदवानी और लालकुंआ ; इजतनगर क्षेत्र ; बरेली ; जालौन ; गाजीयाबाद और हेमपुर क्षेत्र में जल प्रदाय अन्वेषण कार्य किये गये । अकबरपुर—जौनपुर प्रादेश और कानपुर जिले के चुने हुये क्षेत्रों में भूस्थित जल-अध्ययन कार्य किया गया । कुसनी, गोरखपुर और सहारनपुर में नलकूप (ट्यूबवेल) स्थलों का चुनाव किया गया । वारानसी, झांसी, मिर्जापुर और हमीरपुर जिलों में भू-जल विज्ञान संबंधी अन्वेषण कार्य और इलाहाबाद जिले में कूप-सूची कार्य किये गये ।

(ख) खान और खनिज (नियंत्रण तथा विकास) एक्ट की धारा १७(२) के अन्तर्गत सिंगरौली कोयला क्षेत्र के कई हिस्से उत्तर प्रदेश में विस्तृत प्रमाणित कार्यों के लिये दिखाये गये हैं ।

दूसरे खनिजों के बारे में, विभिन्न खनिज विद्यमानताओं की संभाविताओं की स्थापना के लिये भूगर्भीय अन्वेषण कार्य प्रगति पर है और अभी वह समय नहीं पहुंचा है जबकि समुपयोजन के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा सके ।

(ग) उत्तर प्रदेश में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तीसरी योजना के आखरी तीन सालों के दौरान में निम्नलिखित मदों (अर्थात् सर्वेक्षण कार्यों) को करने का प्रस्ताव है :—

१. झांसी और निकटस्थ जिलों में बुन्देल खंड ग्रेनाइट के भूगर्भीय मान चित्रण कार्य को जारी रखना ।

२. नैनीताल जिले का भूगर्भीय मान चित्रण ।

३. अल्मोड़ा जिले का भूगर्भीय मान चित्रण ।

४. चाकिया जिले में बिन्ध्यान चट्टानों का भूगर्भीय मान चित्रण ।

५. गढ़वाल जिले का भूगर्भीय मान चित्रण ।

६. टहरी गढ़वाल जिले का भूगर्भीय मान चित्रण ।

७. सुलतान पुर, फैजाबाद और गोंडा जिलों में रेह मिट्टी की विद्यमानताओं का परीक्षण ।

८. मिर्जापुर जिला के सिंगरौली परगना में औंदी गांव में कच्चे लोहे की विद्यमानताओं का अन्वेषण ।

९. मिर्जापुर जिले के सिंगरौली परगना में ओदी और परासी गांवों के पास चूना-पत्थर निक्षेपों का अन्वेषण ।

१०. मिर्जापुर जिले के मुरधोरा और रन्थोबा नामक स्थानों पर कच्चा सिक्के की अभिकथित विद्यमानताओं का अन्वेषण ।

११. मिर्जापुर के दूधी परगना में बघारू मलदेव के पास चूना पत्थर के निक्षेपों का अन्वेषण

१२. मिर्जापुर जिले के सिंगरौली परगना में बन्सी गांव के पास अबरक की विद्यमानताओं का अन्वेषण ।

१३. मिर्जापुर जिले के सिंगरौली परगना में परासी बन्सी नामक स्थान पर और दूधी परगना में खैराही, किरेवानी और जिधहवा नामक स्थानों पर चैना मिट्टी की अभिकथित विद्यमानताओं का अन्वेषण ।

१४. गढ़वाल जिले में धानपुर–पोखरी और अन्य क्षेत्रों में तांबे का अन्वेषण ।

१५. टहरी गढ़वाल जिले के असेना, काती, डगर और कपरोली आदि स्थानों तर तांबा निक्षेपों का अन्वेषण ।

१६. सारदा नदी क्षेत्र में भूगर्भीय अन्वेषण ।

१७. राज्य के सख्त चट्टान क्षेत्रों के चुने हुये भागों का व्यवस्थित भूस्थित जल सर्वेक्षण ।

१८. गढ़वाल में भूभौतिक तरीकों द्वारा कच्चे तांबे की विद्यमानताओं का विस्तृत अन्वेषण ।

उच्च न्यायालयों में लेख याचिकायें

†२५८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में केन्द्रीय और अखिल भारत सेवाओं के व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कितनी लेख याचिकायें दायर कीं और उनका क्या परिणाम निकला ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनसे सरकार ने यदि कोई निष्कर्ष निकाला, तो वह क्या है और स्थिति को सुधारने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जायेगी और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय पदालि में पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच

†२५८१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा अखिल भारत पदाली में कितने पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच की और उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) विशेष पुलिस संस्थान और नये स्थापित किये गये जांच-ब्यूरो के काम में क्या संबंध है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) तीन

	संख्या	परिणाम
१९६०	१	सेवा से हटाया गया ।
१९६१	—	—
१९६२	२	जांच पड़ताल जारी है ।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान केन्द्रीय जांच-ब्यूरो की छः शाखाओं में से एक है और इसका नाम जांच और भ्रष्टाचार निरोध विभाग (इन्वेस्टिगेशन एंड एन्टी करप्शन डिवीजन) है। इस विभाग के कृत्यों का ब्योरा संलग्न है नोट में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२७२/६३]**

जेनेवा को भारतीय वैज्ञानिक शिष्टमण्डल

†२५८२. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासोन्मुख देशों की समस्याओं पर विचार करने के लिये जेनेवा में हाल में हुई वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की बैठक में गये भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ख) क्या भारतीय शिष्टमण्डल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जेनेवा में ४ फरवरी से २० फरवरी, १९६३ तक हुए कम विकसित क्षेत्रों के हित के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लागू किये जाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गये भारतीय शिष्टमण्डल में निम्नलिखित सदस्य थे :

१. प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर, सदस्य, योजना आयोग (नेता);

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रोफेसर पी० सी० महलानोबीस, सदस्य योजना आयोग।

३. डा० एच० जे० भाभा, सचिव, अणु शक्ति विभाग।

४. डा० एस० एच० ज़हीर, महा-निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्।

५. डा० एम० एस० रन्धावा, परामर्शदाता (संसाधन), योजना आयोग।

६. डा० वी० के० आर० वी० राव, निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इकानामिक ग्रोथ।

७. डा० एस० आर० सेन, संयुक्त सचिव, योजना आयोग।

८. श्री जे० आर० डी० टाटा, अध्यक्ष, एयर इण्डिया।

९. श्री के० आर० के० आयंगर, उप-बेतार परामर्शदाता, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार और असैनिक उड्डयन विभाग)

१०. श्री ए० एस० मेहता, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के योरोपीय कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (यह जेनेवा में ही शामिल हुए) :

११. श्री एस० के० कटपालिया, उप-वाणिज्यदूत, भारत का महावाणिज्य-दूतालय, जेनेवा (इनको प्रशासनिक सम्पर्क के लिये शिष्टमण्डल का सचिव नियुक्त किया गया था)।

(ख) जी, नहीं।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति

२५८३. श्री कछवाय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में भारतीय जनसंघ दल से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को १ अप्रैल, १९६३ तक गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनमें से कितनों को १ अप्रैल, १९६३ तक रिहा कर दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) दो।

(ख) किसी को नहीं।

इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिये बीनाई का स्तर[1]

†२५८४. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री बाल्मीकी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग कालेजों/संस्थाओं में प्रवेश के लिये किसी विद्यार्थी की ठीक बीनाई चश्में के साथ –३·५ से अधिक नहीं होनी चाहिये;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी वाणिज्यिक साथों जैसे टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी अथवा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी में नौकरी के लिये एक इंजीनियर की चश्में से ठीक बीनाई –२.० अथवा –२.५ से अधिक नहीं होनी चाहिये;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Eye sight standard.

(ग) सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये किसी इंजीनियर की निर्धारित बीनाई क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में समानता लाने का प्रयत्न करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को इस बारे में पता नहीं है।

(ग) इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये निर्धारित स्तर निम्न प्रकार है :

दूर की अच्छी दृष्टि	दूर की खराब दृष्टि
६/९	६/९
अथवा	अथवा
६/६	६/१२

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क का निर्माण पूरा न होना

२५८५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में मुंडका से करावा तक रानी खेड़ा होकर जाने वाली सड़क का उद्घाटन १९५४ में किया था; और

(ख) यदि हां, तो गत नौ वर्षों में इस सड़क के पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि के न मिलने के कारण, क्योंकि मुंडका के ग्रामीण अपनी भूमि छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं

दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग

२५८६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने १९६२-६३ में हिन्दी के प्रयोग में क्या प्रगति की है; और

(ख) दिल्ली प्रशासन के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रचलन कब तक हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिन्दी के प्रयोग में जो अब तक प्रगति हुई है, उसका विवरण नीचे है :—

(१) पुलिस विभाग और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में सरकारी कागजों की प्रतिलिपि हिन्दी में देने का प्रबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व बिहार की सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने की व्यवस्था की गयी है ।

(३) यथासंभव मामूली टिप्पणियों और पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी में प्राप्त चिट्ठियों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है ।

(४) प्रपत्रों को हिन्दी में भी जारी किया जाता है ।

(५) प्रशासन के प्रत्येक विभाग में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति को देखने के लिये एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(६) सभी साइन-बोर्ड तथा नाम-पट्ट हिन्दी में भी बनवाये गये हैं ।

(७) १९६२–६३ के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के ३,३८३ कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए । इनके अतिरिक्त १५० कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपराइटिंग में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया । जनवरी, १९६३ से आशुलिपि प्रशिक्षण भी आरम्भ कर दिया गया है ।

२. स्कूलों में हिन्दी में टिप्पणियां लिखने व पुलिस विभाग तथा अदालतों के काम में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने का विचार है । गजट के दिल्ली से सम्बन्धित भाग में अधिसूचनाओं आदि को भी हिन्दी में प्रकाशित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

कालीकट में महिलाओं के लिये पोलीटैक्नीक

†२५८७. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में महिलाओं के लिए एक पोलीटैक्नीक स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इस में किस प्रकार का अध्ययन होगा और कितने विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे; और

(घ) वर्ष १९६३–६४ के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पोलीटैक्नीक के लिये उपयुक्त स्थान लिया जा रहा है और कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं ।

(ख) १९६३–६४ में ।

(ग) आरम्भ में निम्नलिखित पाठ्यक्रम चालू किये जायेंगे और प्रत्येक में २० विद्यार्थी होंगे :

(१) व्यापारिक पत्र-व्यवहार समेत स्टेनोग्राफी और सचिवालय प्रक्रिया ।

(२) सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैनशिप ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) पोशाकों के डिज़ाइन और ड्रैस बनाना।

(घ) वर्ष १९६३-६४ के लिये राज्य बजट में ४२,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है।

कन्नानूर में पोलीटैक्नीक

†२५८८. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर स्थित सरकारी पोलीटैक्नीक में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक;

(ग) इस संस्था में शिक्षा सुविधाओं में निर्धारित स्तर प्राप्त करने में क्या प्रगति की गई है; और

(घ) वर्ष १९६३-६४ के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) ६६ स्थान।

(ग) दक्षिणी प्रान्तीय समिति अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षा सुविधाओं का प्राक्कलन कर रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार पुरानी प्रथा के अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान देगी।

दिल्ली में उच्च न्यायालय

†२५८९. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विधिजीवी संघ ने राजधानी में मूल और अपीलीय—दोनों क्षेत्राधिकार समेत एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है और इस मामले में निर्णय कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) भारत सरकार को हाल में ही दिल्ली की विधिजीवी परिषद् से प्रतिवेदन की एक प्रति मिली है जिस में परिषद् ने दिल्ली में मूल क्षेत्राधिकार वाले एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय की मांग की है।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में तकनीकी संस्थाओं के लिये छात्रावास

†२५९०. { **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने की योजना है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये कितनी रकम मंजूर की है ; और

(ग) ये किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और वर्ष १९६३-६४ में किन केन्द्रों में काम आरम्भ किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक केरल में कुछ तकनीकी संस्थाओं में छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल ७७.८७ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । इस में से ४८.४७ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

(ग) [१] निम्नलिखित तकनीकी संस्थाओं में छात्रावास बन चुके हैं :

(१) इंजीनियरिंग कालिज, त्रिवेंद्रम ।

(२) महाराजा टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, त्रिचूर ।

(३) गवर्नमेंट पोलीटैक्नीक, कलामसरी ।

(४) इंजीनियरिंग कालिज, त्रिचूर ।

(५) गवर्नमेंट पोलीटैक्नीक, कोज़िकोड ।

[२] निम्नलिखित संस्थाओं में छात्रावास निर्माणाधीन हैं :

(१) एन० एस० एस० पोलीटैक्नीक, पंडालम ।

(२) कार्मेल पोलीटैक्नीक, अल्लप्पी ।

(३) श्री नारायण पोलीटैक्नीक, क्विलोन ।

(४) थांगल कुंजु मुसलियार कालिज आफ इंजीनियरिंग, क्विलोन ।

(५) रीज़नल इंजीनियरिंग कालिज, कालीकट ।

(६) गवर्नमेन्ट पोलीटैक्नीक, कन्नानूर ।

(७) थियागराजार पोलीटैक्नीक, अलगप्पानगर :

[३] उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष १९६३-६४ में निम्नलिखित संथाओं में छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण मंजूर किये जाने का प्रस्ताव है :

(१) गवर्नमेन्ट पोलीटैक्नीक, कोट्टायम ।

(२) सेन्ट्रल पोलीटैक्नीक, त्रिवेन्द्रम ।

(३) गवर्नमेन्ट पोलीटैक्नीक, पेरिन्थालमाना ।

(४) एन० एस० एस० कालिज आफ़ इंजीनियरिंग, पालघाट ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) श्री राम पोलीटैक्नीक, वालापद ।

(६) एम० ए० कालिज आफ़ इंजीनियरिंग, कोठामंगलम् ।

कन्नानूर और कालीकट में जूनियर टेक्नीकल स्कूल

†२५९१. { **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर और कालीकट स्थित इंडस्ट्रियल स्कूलों को जूनियर टेक्नीकल स्कूलों में बदलने की योजना है ;

(ख) क्या उन को इस क्षेत्र में सब से समीप वाले पोलीटैक्नीकों से सम्बद्ध करने का भी प्रस्ताव है ; और

(ग) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी और इस कार्य के लिये वर्ष १९६३-६४ के लिये कितनी रकम की केन्द्रीय सहायत मंजूर की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना वर्ष १९६३-६४ में क्रियान्वित की जावेगी । केन्द्रीय अनुदान की रकम के बारे में वास्तविक व्यय के आधार पर निर्णय किया जायेगा । परन्तु वर्तमान प्राक्कलन एक लाख रुपये का है ।

लद्दाख का विकास

†२५९२. **श्री बूटा सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में लद्दाख के विकास के लिये कितना रुपया रखा गया है ;

(ख) व्यय किये गये रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या हैं ; और

(ग) स्थापन तथा प्रशासी कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतबीस)** : (क) ६१.५२ लाख रुपये ।

(ख) २० लाख रुपये ।

(ग) २.५० लाख रुपये । इस में अन्य अविकासी व्यय में भारत सरकार का भाग भी सम्मिलित है ।

पिछड़े वर्ग का कल्याण

२५९३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की प्लैन प्रोजैक्ट समिति ने सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी जो अध्ययन दल नियुक्त किया था उस की रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इससे निकलने वाले परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था, और तृतीय योजना की स्कीमों को कार्यान्वित करते समय उन का ध्यान रखा जा रहा है ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां

२५९४. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को, पिछड़े वर्गों को, मैट्रिक पास करने के बाद छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६२-६३ के लिये ८ अप्रैल, १९६३ तक छात्रवृत्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के चुनाव को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी की वजह से कालेजों द्वारा उन्हें अदायगी नहीं की जा सकी। किन्तु संस्थाओं के प्रधानों ने छात्रवृत्ति की राशि ३१ मार्च, १९६३ से पहले ही निकाल ली थी और सम्बन्धित विद्यार्थियों को अदायगी की जा रही है ।

राजस्थान में डकैतों को समाप्त करने के लिये भारत-पाक आन्दोलन

†**२५९५.** { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सीमा पर डकैतों के गिरोह को समाप्त करने के लिये संयुक्त भारत-पाकिस्तान आन्दोलन का परिणाम यह हुआ है कि अप्रैल १९६३ के आरम्भ में ५ डाकू मारे गये और ४ पकड़ लिये गये हैं ;

(ख) क्या उन से बहुत बड़ी मात्रा में गोला-बारूद तथा हथियार बरामद हुए हैं ; और

(ग) सारे गिरोह को समाप्त करने के हेतु इन संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) भारतीय सीमा के आर-पार के डकैतों को समाप्त करने के लिये पाकिस्तान रेंजर्स और राजस्थान डकैती-विरोधी दल तथा सशस्त्र पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही १ अप्रैल, १९६३ को शुरू की गई थी और वह ८ अप्रैल, १९६३ तक जारी रही । कार्यवाही के दौरान एक डाकू गोली से मारा गया था ; गिरोह का कथित सरदार तथा नौ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) डाकुओं से कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किये गये थे ।

(ग) जब कभी जरूरी होगा, ऐसे संयुक्त प्रयासों का किया जाना जारी रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

†२५९६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर) को चलाने के लिये उत्तरदायी संगठनात्मक व्यवस्था क्या है ;

(ख) केन्द्र द्वारा कुल कितना स्थान दिया गया है तथा क्या केन्द्र की सुविधायें लोगों के किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित हैं ; और

(ग) केन्द्र से होने वाली अनुमानित आय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर) संस्था पंजीयन अधिनियम, १८६० के अधीन पंजीबद्ध एक स्वयंसेवी संगठन है और अपने नियमों तथा विनियमों और संस्था के सीमा नियम के अनुसार चलाया जाता है ।

(ख) केन्द्र के पास ६४ शैय्याओं वाला एक होस्टल है और इस का प्रयोग प्रबन्धकों द्वारा नियंत्रित होता है ।

(ग) सरकार को केन्द्र से जोकि एक गैर-सरकारी संगठन है, कोई आय नहीं होती ।

लक्कादीव में विवाह और तलाक

†२५९७. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव के संघ राज्य क्षेत्र में छोटी आयु में विवाह और तलाक बहुत प्रचलित हैं ;

(ख) क्या तलाक के बाद पत्नी के लिए निर्वाह-व्यय का उपबन्ध करने वाला कोई कानून या विनियम है ; और

(ग) इन द्वीपों में समाज सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) बाल विवाह अधिनियम, १९२९ इस क्षेत्र में लागू नहीं है और इसलिये छोटी आयु में विवाह और तलाक प्रायः होते हैं ।

(ख) रुढ़िगत मुस्लिम विधि के अधीन तलाक के बाद पत्नी को निर्वाह-व्यय दिया जाता है परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई संविहित उपबन्ध नहीं है ।

(ग) बाल विवाह अधिनियम, १९२९ के इस क्षेत्र तक प्रसार का प्रश्न विचाराधीन है ।

अध्यापक 'वर्कशाप' परियोजना

†२५९८. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनेस्को से सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित की जाने वाली यूनेस्को की अध्यापक 'वर्कशाप' परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यूनेस्को से सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को की संयुक्त विद्यालय परियोजना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय एकमत्य में शिक्षा के लिये एक परियोजना आरम्भ की है प्रत्येक राज्य से लगभग २०–३० माध्यमिक पाठशालाओं और अध्यापक कालेजों को परियोजना में भाग लेने के लिये निमन्त्रित किया गया है। भागलेवा संस्थायें तीन विषयों से सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य करेंगी अर्थात् अन्य देशों के बारे में ज्ञान, मानवीय अधिकारों और आधारभूत स्वतन्त्रताओं का मान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ और विशेषीकृत अभिकरणों के बारे में अध्यापन। इस प्रयोगात्मक कार्यक्रम के विकास के लिये भागलेवा संस्थाओं के अध्यापकों के पूर्वाभिमुखीकरण के लिये 'वर्कशापस' चलाई जायेंगी। देहली के भागलेवा विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक वर्कशाप नई देहली में १५––१९ अप्रैल, १९६३ को आयोजित की गई थी।

एडिन्बरा संगीत समारोह

†२५११. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडिन्बरा संगीत समारोह में भाग लेने के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या समारोह में भाग लेने के लिए सरकार उन्हें वित्तीय रूप से सहायता दे रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) प्रस्ताव अभी समारोह प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(ख) चुने गये कलाकारों के आने जाने के खर्चे में सरकार ने लगभग ५०,००० रुपये तक की सहायता देना सिद्धान्त रूप से मान लिया है।

मेंगनीज अयस्क लिमिटेड

†२६००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेंगनीज अयस्क लिमिटेड में अंश खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक, और

(ग) किन कारणों से सरकार ने यह निर्णय किया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ग) भारत सरकार ने स्वयं जून १९६२ में इस समवाय को मैंगनीज अयस्क (भारत) लिमिटेड के नाम से चलाया था।

मैसर्स सेंट्रल प्राविन्सिस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड, जो एक स्टर्लिंग कम्पनी है, १९०१ स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मेंगनीज वाले कुछ बड़े क्षेत्रों में खुदाई करती रही है। उनके पट्टों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था और न्यायालयों में याचिका लेख के तौर पर कुछ मुकदमेबाजी भी हुई थी। तथापि उनके द्वारा खोदे गये मैंगनीज अयस्क के सम्मिश्रणों ने विदेशी मंडियों में अच्छा स्थान बना लिया है। इसलिये मैंगनीज निर्यात व्यापार के हितों में तथा औद्योगिक नीति संकल्प की क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने मैसर्स सेंट्रल प्राविन्सिस में मैंगनीज और कम्पनी लिमि-

†मूल अंग्रेजी में

टेड से एक करार किया जिसके अन्तर्गत उन सभी खानों को (एक को छोड़ कर), जो पहले सेंट्रल प्राविन्सिस मैंगनीज ओर कम्पनी लिमिटेड के पास थीं, सम्भाल लेने के लिये इस नई कम्पनी को बनाया गया था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों के साथ भारत सरकार ५१ प्रतिशत साम्य पूंजी रखेगी और ४९ प्रतिशत तक की शेष मैसर्स सेंट्रल प्राविन्सिस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड द्वारा रखी जायेगी।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अभी तक सौ-सौ रुपये के १९,४०० पूर्वाधिकार अंश तथा ५८ २८६ साम्य अंश खरीदे है। नई कम्पनी ने सेंट्रल प्राविन्सिस मेंगनीज और कम्पनी लिमिटेड की जो स्थिर आस्तियां सम्भाली हैं उनका मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद करार की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा और अंश खरीदे जायेंगे।

राजस्थान में फ्लोराइट की खोज

२६०१. **श्री रतन लाल :** क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाल मांडव स्थान पर फ्लोराइट की खोज में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) तृतीय योजना की शेष अवधि में फ्लोराइट की खोज का विस्तार करने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) राजस्थान सरकार ने जिला डूंगरपुर के मण्डो-की-पाल नामक स्थान पर विस्तृत पूर्वेक्षण सर्वेक्षण कार्य किया है और १० प्रतिशत से लेकर २० प्रतिशत तक कैल्शियम फ्लोराइट से युक्त लगभग दो मिलियन टन के फ्लोराइट के संचय सिद्ध किये हैं। खान क्षेत्र में रिहायशी क्वार्टरों से सम्बन्धित निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पहुंच सड़क का निर्माण हो रहा है। परियोजना के खनन पीसने वाले भाग के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लगभग १२ लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि ज्यों ही परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अन्तिम रूप दिया जायेगा और सम्भाव्य रिपोर्ट प्राप्त होगी त्यों ही खनन और पीसने वाले प्लांट की स्थापना की योजना पर विचार किया जायेगा। १९६५–६६ के अन्त तक इस योजना में प्रति वर्ष में फ्लोराइट सांद्रण (Fluorite concentrates) १२.००० टन का उत्पादन शामिल है।

राजस्थान में निम्नलिखित फ्लोराइट निक्षेपों के अतिरिक्त गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पूर्वेक्षण/खनन कार्य किया जा रहा है :–

(१) राजस्थान सरकार के खान तथा भूविज्ञान निदेशालय ने झुझनूं जिले में छापोली और डूंगरपुर तथा उदयपुर के निकटस्थ क्षेत्रों में फ्लोराइट निक्षेपों के पूर्वेक्षण कार्य को हाथों में लिया है।

(२) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बरौदा जिले के अम्बा, डूंगर तथा कारीपानी स्थानों में फ्लोराइट निक्षेपों का अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) १९६१ से रायपुर जिले के चादी डुगरी नामक स्थान में भिलाई स्टील परियोजना अब फ्लोराइट का खनन कर रही हैं। वे इस इलाके में अपने कार्यकलापों को बढ़ाने का कार्यक्रम रखते हैं।

निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†२६०२. **श्री उलाका :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे निर्धन परन्तु योग्य विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्हें १९६२–६३ में छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) क्या १९६३–६४ में यह संख्या बढ़ाई जाने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २४०० विद्यार्थियो को जिनके माता-पिता अभिभावकों की आय १,००० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होती थी छात्रवृत्तियां दी गई थीं।

(ख) जी नहीं।

अंग्रेजी पढ़ाने वाले विशेषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन

†२६०३. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंग्रेजी पढ़ाने वाले विशेषज्ञों का एक सम्मेलन नई देहली में आयोजित किया है ;

(ख) क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले विदेशी विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया गया है ; और

(ग) सम्मेलन के उद्देश्य क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग) भारत के विद्यालयों में अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाने की स्थिति तथा समस्याओं का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षात्मक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बुलाई गई अंग्रेजी पढ़ाने के क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक सभा १४ से २० अप्रैल, १९६३ तक हुई थी। सम्मेलन के सभी दिनों में केवल भारतीय विशेषज्ञों ने ही भाग लिया था परन्तु आमन्त्रण दिये जाने पर भारत की एक प्रौद्योगिक संस्था के एक विदेशी भाषा-विद् ने भी एक दिन के लिये भाग लिया था।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

†२६०४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के अन्त में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद, में लम्बित पड़े मामलों की संख्या क्या है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को निपटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) २२८८२।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†२६०५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न अशासकीय संगठनों को राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा छुआछूत के निवारण के लिये १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितनी राशि दी गई है; और

(ख) ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं तथा उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से मंगवाई गई है। जानकारी के प्राप्त होते ही एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में चीनी मिट्टी

†२६०६. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी की मांग में कमी हो जाने के कारण केरल में चीनी मिट्टी का खनन संकट में है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं। इस समय उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के लिये भाषा सम्बन्धी आंकड़े

†२६०७. **श्री गु० सि० मुसाफिर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना आयुक्त द्वारा राजस्थान राज्य के बारे में भाषा सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े संकलित कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में हिन्दी/पंजाबी/उर्दू/गुजराती बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) राजस्थान में भाषाओं के १९६१ के अस्थायी आंकड़े संकलित कर लिये गये हैं। उनकी छानबीन हो रही है।

(ख) गंगानगर जिले के लिये अस्थायी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

हिन्दी बोलने वाले व्यक्ति	७३८,१४६
पंजाबी	२८५,८३७
उर्दू	२,७३८
गुजराती	९२

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान राज्य का अधिसूचित क्षेत्र

†२६०८. **श्री तनसिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कोयला धोने के कारखाने

२६०९. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला धोने के आठ कारखाने स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ; और

(ग) ये कारखाने हर महीने कितना कोयला साफ करेंगे ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). तीसरी योजना के शुरू होने से पहले ही निम्नलिखित कोयले धोने के कारखाने स्थापित थे :—

स्थान	कच्चे कोयले के रूप में वार्षिक उत्पादन (मिलियन टनों में)
गैर सरकारी क्षेत्र	
१. जामदोवा	१.४
२. पश्चिमी बोकारो .	०.७
३. लोड्ना . .	०.४
४. नोवरोजाबाद	०.५
सरकारी क्षेत्र	
१. कारगली (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम)	२.२
२. दुर्गापुर (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड)	१.५

निम्नलिखित तीन कोयला धावनशालाएं दूसरी योजना में भी शामिल की गई थीं किन्तु वे तीसरी योजना में पूरी की जायेंगी :—

हिन्दुस्तान स्टील लि०	
१. डुगडा १	२.४
२. मोजुडीह	१.२
३. पथेरडीह	२.०

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में सात और निम्नलिखित कोयला-धावन शालाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

हिन्दुस्तान स्टील लि०

१. डुगडा २ .	२.४
२. भोजुडीह (विस्तार) .	०.८

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

१. कथारा . . .	३.०
२. चाककरी (कारगली का विस्तार)	०.५
३. स्वांग .	०.७५
४. रामगढ़ .	१.५
५. गिडी (करनपुरा)	२.८४

दिल्ली में बी० ए० बी० टी० अध्यापक

२६१०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री काशीराम गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले बी० ए० बी० टी० अध्यापकों के दो वेतन-क्रम हैं ;

(ख) यदि हां, तो समान अर्हताओं वाले और एक ही प्रकार का काम करने वाले अध्यापकों के लिए दो अलग-अलग वेतन-क्रम रखने का क्या कारण है ;

(ग) १ जनवरी, १९६३ को दोनों वेतन क्रमों में कितने कितने अध्यापक थे ; और

(घ) क्या सरकार इस अन्तर को दूर करना चाहती है और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) बी० ए० बी० टी० अध्यापकों के दो वेतन-मान हैं, एक मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के लिये और दूसरा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये ।

(ख) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अधिक है जिसका कारण यह है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मिडिल स्कूलों की अपेक्षा पढ़ाई का स्तर ऊंचा तथा काम ज्यादा जिम्मेदारी का है ।

(ग) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोकसभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) इस प्रश्न पर वेतन आयोग ने भी विचार किया था लेकिन उन्होंने इस को आवश्यक नहीं समझा कि मिडिल स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बी० ए० बी० टी० अध्यापकों के वेतन-मान एक जैसे किए जाएं । सरकार ने वेतन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ।

सेक्शन अफसर ग्रेड परीक्षा

२६११. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री काशीराम गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन अफसरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिये अगस्त, १९६३ में एक परीक्षा होने वाली है :

(ख) यदि हां, तो इस समय इस परीक्षा के लिए इस ग्रेड में कितने स्थान सुरक्षित हैं; और

(ग) क्या ऐसी परीक्षायें हर वर्ष ली जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां, इस उद्देश्य से एक समिति प्रतियोगी परीक्षा अगस्त, १९६३ में होगी ।

(ख) इस परीक्षा के उम्मीदवारों के लिये कोई रिक्त स्थान सुरक्षित नहीं है । सुयोग्य उम्मीदवार सेक्शन अफसरों के ग्रेड की प्रवर सूचि में नियमों के अनुसार शामिल किये जायगे । इस प्रकार प्रवर सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) जी हां, ऐसा ही विचार है ।

शिक्षा मंत्रालय से राज्यों को ऋण

†२६१२. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तथा दूसरी योजना अवधियों तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को राज्यवार विभिन्न प्रकार के कौन से ऋण दिए गए हैं ;

(ख) इन ऋणों के संबंध में किन योजनाओं को अब छोड़ दिया गया है तथा उस के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या ऋणों का समन्याय्य आवंटन सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के लिये कोई अभ्यंश निर्धारित किया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० १२७३/६३]**

(ख) पर्याप्त प्रत्युत्तर न मिलने के कारण सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं में छात्रावास के भवनों के निर्माण के लिये ऋणों की योजना तथा बुनियादी संस्थाओं के छात्रावासों के लिये ऋणों के दिये जाने की योजना छोड़ दी गई है ।

(ग) राज्यवार अभ्यंश केवल सम्बद्ध अंगभूत कालेजों द्वारा छात्रावासों के निर्माण के लिये स्वीकृत ऋणों के बारे में ही निर्धारित किये जाते थे ।

भारतीय ज्योतिष तथा संस्कृत अनुसन्धान सस्था

†२६१३. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारतीय ज्योतिष तथा संस्कृत अनुसन्धान संस्था नई देहली को दिये गये अनुदानों की राशि क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किस उद्देश्य के लिये ऐसे अनुदान दिये गये थे ;

(ग) उन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये संस्था द्वारा क्या काम किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों के तदनुरुप संस्था से लेखों का कोई लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त हुआ है तथा क्या संस्था से उसके द्वारा किये गये काम का कोई संक्षिप्त ब्योरा भी मिला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा संस्था को निम्न-लिखित अनुदान दिये गये थे :—

वर्ष	राशि	प्रयोजन
१९५८-५९	८,३५० रुपये	"वटेश्वर सिद्धांत" का प्रकाशन (पहली किस्त)
१९५९-६०	६,५०० रुपये	पुस्तकालय को समृद्ध बनाना
१९६०-६१	२,५०० रुपये	"वटेश्वर सिद्धांत" का प्रकाशन (दूसरी किस्त)
१९६१-६२	१,५०० रुपये	"ब्रह्म सिद्धांत" का प्रकाशन (पहली किस्त)
१९६२-६३	३,५०० रुपये	"ब्रह्म सिद्धांत" का प्रकाशन (दूसरी किस्त)
१९६२-६३	१,१०० रुपये	'वटेश्वर सिद्धांत" का प्रकाशन (तीसरी किस्त)
१९६२-६३	१०,००० रुपये	"ब्रह्म सिद्धांत" का प्रकाशन (तीसरी किस्त)
१९६२-६३	९,१०० रुपये	"सम्राट सिद्धांन" और "पंच सिद्धान्तिका" का प्रकाशन (पहली किस्त)

(ग) और (घ). "वटेश्वर सिद्धांत" पहले ही छप चुका है और दूसरी कृति "ब्रह्म सिद्धांत' छापाखाने में है ।

पहले के वर्षों में दिये गये विभिन्न अनुदानों के सम्बंध में लेखों के लेखापरीक्षित विवरण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि प्राप्त हो गये हैं तथा १९६२-६३ के लेखों और प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है । अनुदान क्योंकि मानक पाठों के प्रकाशन के लिये दिये गये हैं, किसी संक्षिप्त ब्योरे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेक्निकल अफसरों का स्थानान्तरण

२६१४. **श्री व्रजबिहारी महरोत्रा** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स, जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के कितने गजेटेड साइण्टिफिक तथा टेक्निकल अफसरों के दूसरे विभागों के लिए प्रार्थना पत्र, पिछले छः महीनों में रोक लिये गये ; और

(ख) उपरोक्त प्रार्थना पत्रों को रोकने के क्या कारण थे ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारतीय खान ब्यूरो के दो अफसर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चौबीस अफसर और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के चार अफसर ।

(ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो में तकनीकी व्यक्तियों की कमी ।

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में आवेदकों (प्रार्थियों) को उन की भर्ती नियमावली की शर्तों। उनको दिये गये प्रशिक्षण के नियमों के अनुसार अपने विभागेतर पदों के लिए प्रार्थना पत्र भेजने की आज्ञा नहीं थी ।

भारतीय आर्थिक तथा सांख्यकीय सेवायें

†२६१५. **श्री रा० गि० वुबे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक तथा सांख्यकीय सेवा में शामिल किए गए अफसरों की सूची अन्तिम रुप से बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो चारों वर्गों में से प्रत्येक में कितने कितने पदाधिकारी हैं तथा दोनों सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारी नियुक्त किए गए ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) अभी सूचियां अन्तिम रूप से नहीं बनाई गई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

†२६१६. { **श्री हरिविष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपातकाल में सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के आधार पर सरकार का विचार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मोहमैन और गोरिटोरिया की कोयला खानों में काम आरम्भ कर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चालू योजना में अतिरिक्त उत्पादन के कार्यक्रम में उक्त खानों को शामिल नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त कोयले के संभरण की स्थिति संतोषजनक है और इसलिए इन खानों के विकास के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

'दि रोटेरियन' में भारत का नक़्शा

†२६१७. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोटरी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जनवरी के 'दी रोटेरियन' के पृष्ठ में प्रकाशित भारत के नकशे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या नक्शे में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारतीय संघ का भाग नहीं दिखाया जा रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख) जी नहीं ;

(ग) दिल्ली के रोटरी क्लब ने रोटरी इंटरनेशनल का ध्यान इस ओर दिलाया था जिन्होंने ध्येय प्रकट किया और भविष्य में सावधानी बरतने को कहा है । इसलिए सरकार का विचार मामले में कोई कार्यवाही करने का नहीं है ।

आसाम और उड़ीसा में कोयले के निक्षेप

†२६१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तिम निर्धारण के अनुसार आसाम और उड़ीसा में बहुत सा कोयला छिपा पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस छिपे हुए कोयले को खोजने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय परिमाप, भारतीय खान ब्यूरो, तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये गये खोज के काम से पता लगा है कि आसाम तथा उड़ीसा दोनों राज्यों में बड़ी मात्रा में कोयला है ।

(ख) आसाम की गोरा पहाड़ियों में कोयले के रिजर्व का विदोहन करने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अक्तूबर १९६३ के मध्य तक मौनसून के बाद खोज कार्य करेगा । भारत के भूतत्वीय परिमाप ने इस क्षेत्र में १२५० लाख टन के रिजर्व होने के बारे में बता दिया है । कालेचर क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने दक्षिण ब्लाचा, नौंदिए, तथा जगन्नाथ में तीन कोयला खान स्थापित करने की योजना बना ली है । आशा है कि निगम दो अन्य खानों में एक नौंदिए के पश्चिम में तथा दूसरा जगन्नाथ के पश्चिम में खोज कार्य शीघ्र आरम्भ कर देगा ।

तिब्बती बच्चों के लिये बाल-गृह

२६१९. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूरी में तिब्बती बच्चों के लिए आठ बाल-गृह खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इन बाल-गृहों में कितने तिब्बती लड़के रह रहे हैं ;

(ग) ये बाल-गृह किस की देख-रेख में चल रहे हैं ; और

(घ) उन पर सालाना कितना व्यय किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) १९३ बच्चे : ९५ लड़के तथा ९८ लड़कियां ।

(ग) तिब्बती गृह संस्थापन ।

(घ) ये गृह हाल ही में स्थापित किये गए हैं और इन पर होने वाला वार्षिक व्यय कुछ समय के बाद ही मालूम हो सकेगा । जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है यह संस्थापन को गृह के निवासियों के अनुरक्षण-व्यय के लिए प्रति निवासी ५० रुपये प्रति मास तक का अनुदान देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान गोष्ठी

२६२०. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक विज्ञान गोष्ठी करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किस-किस जगह के अध्यापक बुलाये गये हैं ;

(ग) यह गोष्ठी कहां होगी ; और

(घ) उस के कब तक होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). अभी तक सरकार का विज्ञान गोष्ठी करने का कोई विचार नहीं है। किन्तु शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्, सेकेण्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए निम्नांकित विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार कर रही है :—

(१) १० मई से हैदराबाद में और २० मई से देहरादून में एक-एक महीने का सामान्य विज्ञान में पाठ्यक्रम ।

(२) मई, १९६३ के मध्य से भौतिकी, गणित, रसायन और जीव-विज्ञान में दिल्ली, उदयपुर, पूना और मद्रास में क्रमानुसार आठ-आठ सप्ताह का पाठ्यक्रम ।

सामान्य विज्ञान के दोनों पाठ्यक्रमों में ६०–६० और बाकी के चार पाठ्यक्रमों में ४०–४० शिक्षक-प्रशिक्षार्थी होंगे । अध्यापकों का चुनाव राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विभिन्न राज्यों के माध्यमिक स्कूलों से किया जायेगा ।

बलिया में प्राप्त दुर्लभ मूर्तियां

†२६२१. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बलिया ज़िले में लखनेश्वरी से भगवान शिव तथा सूर्य की दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मूर्तियों की विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) क्या इस से कोई ऐतिहासिक खोज हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १९६० में विष्णु की मूर्ति तथा कई शिव लिंग लखनेश्वरी में मिले थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) यह स्थान गुप्त काल के बाद का है ।

इलाहाबाद के गांव में पुरातन अवशेष

†२६२२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में जाफोर गांव में मान मन्दिर के निकट पुरातन अवशेष मिले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह अवशेष किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या कोई एतिहासिक महत्व की वस्तु मिली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग) भारत सरकार को उस से अधिक और कोई जानकारी नहीं है जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है ।

पंजाब में पालीटैक्नीक

†२६२३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब में कितने पालीटैक्नीक खोलने का विचार है ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में उस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ; और

(ग) क्या कार्यक्रम में उना तथा नंगल को स्थापना शामिल कर की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तीन गैर-सरकारी पालीटैक्नीक के पुनर्गठन का तथा विकास सहित बारह ।

(ख) लगभग २२० लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

पंजाब में समाज शिक्षा संबंधी पुस्तकों के लिए अनुदान

†२६२४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में समाज शिक्षा साहित्य के लिए पंजाब के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेता को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में पंजाब के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को कोई सीधी सहयता नहीं दी गई थी । परन्तु नव-साहित्यिकों के लिए पुस्तकों की 'पुरस्कार प्रतियोगिता, की योजना के अधीन चार पुरस्कार पाने वाली पुस्तकों की १५०० प्रतियां विवरण के अनुसार पंजाब में प्रकाशकों से खरीदी गई हैं ।

विवरण

वर्ष	खरीदी गई पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	दी गई रकम
१९६१–६२ .	लोक राज . .	मैसर्स यूनिवर्सिटी पब्लिशर, रेलवे रोड, जालंधर सिटी	७५०
१९६२–६३ .	चार मील लम्बी सड़क .	न्यू बुक कम्पनी, माई हीरां गेट, जालन्धर	१,३२०
१९६२–६३ .	सुरागसवेरा .	लाहौर बुक शाप, क्लाक टावर, लुधियाना	१,३५०
१९६२–६३ .	सांझी खेती . .	तदेव	१,०५०

†मूल अंग्रेजी में

(Ai) LSD—5

अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए अनुदान

†२६२५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालिजों तथा हाई स्कूलों को तथा पंजाब के पंजाबी विश्वविद्यालय को १९६२–६३ में अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण संबंद्ध है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी १२७४/६३]**

केन्द्रीय कल्याण समिति

†२६२५-क **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुछ बस्तियों में सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिये एक केन्द्रीय कल्याण समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति किस प्रकार काम करेगी।

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) और (ख). इस प्रकार की कोई विशेष समिति नहीं है। परन्तु केन्द्रीय कल्याण संगठन, कार्यालय तथा निवास स्थान बस्तियां दोनों स्थानों पर सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंजाब में ढलाई के कारखानों को दिये गये ढलवां लोहे के कोटे में की गई कथित अत्यधिक कटौती

†**श्री यशपाल सिंह** (करनाल) : मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"पंजाब में ढलाई के कारखानों को दिये गये ढलवें लोहे के कोटे में की गई कथित अत्यधिक कमी।"

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: १ जुलाई, १९५९ से ढलवें लोहे तकोवंटन के लिए कोटा पद्धति समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ताओं से व्यादेश लिये जा रहे हैं और गअ उपभोग तथा निर्धारित क्षमता देख कर उनका अनवीक्षण किया जाता है। ढलाई कारखानों के लिये ढलव लोहे की वर्तमान कमी का मुख्य कारण यह है कि ढलाई कारखानों की क्षमता में निरन्तर विकास के कारण मांग काफी बढ़ गई है परन्तु इसकी उपलब्धता में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हुई। उपलब्धता में वृद्धि न होने का कारण यह है कि जिन ढलवां लोहे संबंधी योजनाओं के लिये लाइसेंस दिये गयेथे वह मूल प्रत्याशा के अनुसार कार्यान्वित नहीं हो सकीं। इसलिए उपचारीय उपाय किये जा रहे हैं, जैसे, ढलवां लोहे का आयात, उत्पादन-वृद्धि के लिये अल्पकालिक योजनायें बनाना, आदि, ताकि उपलब्धता यथासम्भव शीघ्र बढ़ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में, वर्ष १९६५-६६ तक, १५ लाख टन ढलवां लोहे के उत्पादन का अनुमान था । योजना आयोग से परामर्श कर के स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया है और तृतीय योजना की कालावधि के अन्त तक लगभग २० लाख टन की अनुमानित मांग के आधार पर उत्पादन की योजना बनाई जा रही है ।

वर्तमान में ढलवां लोहे की मांग उपलब्धता से काफी अधिक है---देश में ढलवां लोहे का उत्पादन लगभग १० लाख टन है जबकि वर्तमान ढलाई के कारखानों की क्षमता लगभग २० लाख टन है । (११ लाख टन केन्द्रीय सूची के ढलाई कारखानों की और लगभग ९ लाख टन राज्यों की सूची के कारखानों की) । ढलवां लोहे की कुल ५४१,००० टन की क्षमता के उत्पादन संबंधी कई योजनाओं के लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं । बारबिल (उड़ीसा) में कालिंग कम्पनी के अलावा अन्य योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई हैं। कालिंग कम्पनी के विस्तार में भी अभी समय लगेगा । उन योजनाओं के लाइसेंसों को रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिनका कार्य मन्द गति से हो रहा है ।

उपलब्ध माल का सभी प्रकार के उपभोक्ताओं में समान रूप से वितरण हो सके इस को सुनिश्चित करने के लिये वितरण संबंधी एक पुनरीक्षित योजना लाई गई है जो १-४-१९६३ से लागू होगी । वर्ष १९६३-६४ में उपलब्ध लगभग ११ लाख टन में से राज्य सूची के कारखानों को १,२०,००० टन आवंटन किया गया है और केन्द्रीय सूची के कारखानों को १,७६,००० टन का आवंटन किया गया है । यह विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मांगों की पूर्ति के लिये दिये जाने वाले माल से अतिरिक्त है । विचार यह है कि संभरण की सीमा वास्तविक उपलब्ध मात्रा के अनुसार हो, ताकि अधि-व्यादेश और अधिआवंटन न हो । क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उत्पादकों के पास क्रयादेश बहुत आ जाते हैं और उनकी पूंजी रुक जाती है । सूचित सीमा के अन्दर वर्ष में जितने माल का एक बड़ा अथवा छोटा कारखाना हकदार है, उसका निर्धारण करने का भी प्रस्ताव है । प्रत्येक कारखाना वर्ष १९६३-६४ में जितने माल का हकदार है उतना उसे मिलना चाहिये ।

यह स्पष्ट है कि पंजाब राज्य को अन्य राज्यों के समान, इस वर्ष में मांग से कम माल मिलेगा, परन्तु उपलब्ध माल का समुचित हिस्सा उन्हें मिलेगा । यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब को ढलवां लोहे का संभरण बहुत कम हुआ है क्योंकि गत तीन वर्षों में पंजाब को इस प्रकार संभरण किया गया :

('००० मीट्रिक टनों में)

१९६०	७७
१९६१	७०
१९६२	६३

उद्देश्य यह है कि संभरण की मात्रा वास्तविक उपलब्धता के अनुसार हो । कोटे का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वास्तव में संभरण न किया जाये, क्योंकि अन्यथा केवल क्रयादेश बढ़ते जायेंगे ।

वर्तमान संभरण को बढ़ाने अथवा उसमें सुधार लाने के लिये निम्न कार्यवाहियां की जा रही हैं :---

(१) सार्वजनिक क्षेत्र में १,००,००० टन के ढलवां लोहे के संयंत्र के लिये आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की एक योजना सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है ।

[श्री चि०सुब्रह्मण्यम]

(२) पंजाब में एक ढलवां लोहे के संयंत्र को स्थापित करने के हमारे सुझाव पर पंजाब सरकार सहमत हो गई है। उन के औपचारिक अभ्यावेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(३) सार्वजनिक क्षेत्र में ढलवां लोहे के संयंत्र को स्थापित करने की इच्छा गुजरात सरकार ने भी प्रकट की है परन्तु उन से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(४) तत्काल ही एक बड़ी ब्लास्ट भट्टी का निर्माण-कार्य आरम्भ करके चौथी योजना में भिलाई के विस्तार की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से कहा गया है कि भिलाई में एक बड़ी छड़ी ब्लास्ट भट्टी की स्थापना के लिये एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करे। इस भट्टी से ५ लाख टन ढलवां लोहा उपलब्ध होना चाहिये जब तक कि चौथी योजना में अग्रेतर इस्पात ढालने की क्षमता अधिष्ठापित न हो जाय।

(५) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला संयंत्रों में उपलब्ध नट कोक को प्रयोग में लाने की संभावना का निरीक्षण किया जा रहा है, जिस को शीघ्र ही प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। ख्याल है कि यह छोटी भट्टियां १०० अथवा २०० अथवा ३०० टन क्षमता वाली होंगी।

(६) इसके अतिरिक्त, वर्तमान कमी को कम करने के लिये, क्योंकि अन्य योजनाओं को कार्यान्वित होने में समय लगेगा, ढलवां लोहे की कुछ मात्रा के आयात की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

(७) बड़े आकार के मरोड़दार नलों के लिये ढलवां लोहे के आवंटन में कमी करने संबंधी अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ताकि यह अन्य ढलाई के कारखानों के लिये अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके।

†**श्री यशपाल सिंह** : इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप पंजाब के कारखानों को जो क्षति हुई है क्या उसकी सीमा का सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है ? और उसकी पूर्ण सूचना क्यों नहीं दी गई ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस तथाकथित क्षति का निर्धारण संभव नहीं है। आखिर हमें उसी ढलवां लोहे का वितरण करना है जो देश में उपलब्ध है।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : क्या सरकार को इस सूचना का ज्ञान है कि वितरण में वर्तमान कमी ९४ प्रतिशत तक की गई है जिस से ५ हजार औद्योगिक एकक और लगभग २० हजार श्रमिक प्रभावित होते हैं, और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि कटौती ८४ प्रतिशत हुई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम ने राज्य सूची के कारखानों और केन्द्रीय सूची के कारखानों दोनों के लिये आवंटन किया है। इस के अतिरिक्त, इन कारखानों को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा रेलवे से और केन्द्रीय सरकार से किये गये ठेकों को पूरा करने के लिये ढलवां लोहा प्राप्त कर सकें, और इस प्रयोजनार्थ अलग कोटे उपलब्ध होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रैस सूचना की ओर दिलाया गया है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये लगभग ५,००० टन का आवंटन किया है जब कि निर्धारित क्षमता, एक पारी के आधार पर, लगभग ४०,००० टन प्रतिवर्ष की है ? क्या सरकार को मालूम है कि कोटे में की गई कमी से केवल बटाला (पंजाब) में २० कारखाने जिनमें ५०० श्रमिक काम करते हैं बन्द हो जायेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े स्वीकार नहीं करता । परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रत्येक राज्य को उपलब्ध मात्रा में से समुचित आवंटन किया जा रहा है, और यह केवल पंजाब का ही प्रश्न नहीं है, इस विषय में कठिनाई समूचे देश में हो रही है । हम उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये यथासंभव कदम उठा रहे हैं ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री के इन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं कि संसद में गुंडागर्दी की भावना घुस आई है । इस विषय का मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था जिसकी अनुमति आपने नहीं दी इसलिये मैं उस पर आग्रह तो नहीं करता परन्तु प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या प्रेस की यह सूचना ठीक है अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप इस पर आग्रह नहीं करते तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसकी अनुमति मैंने नहीं दी और आप कहते हैं कि आप उसे स्वीकार करते हैं और आग्रह नहीं करते । इसलिये, जहां तक इस सूचना का संबंध है, मामला यहीं समाप्त हो जाता है । यदि आप इस मामले को किसी अन्य रूप में उठाना चाहते हैं तो आप मुझे लिखें, मैं सोच कर अनुमति दे सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ**: मैं यह जानना चाहता था कि क्या प्रधान मंत्री के कथन संबंधी यह सूचना ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिये । आप मुझे लिख दें तो मैं प्रधान मंत्री को सूचित कर दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैंने भी एक प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी । आप ने कहा कि शाम को आप उस पर विचार करेंगे परन्तु उसे अब मुझे नहीं उठाना चाहिये । परन्तु श्री हेम बरूआ खड़े हो कर जो चाहें कह रहे हैं और उसे रोका नहीं जा सकता ।

†**श्री हेम बरूआ** : मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मुझे अभी लिखा था कि वह एक प्रश्न उठाना चाहती हैं । मैंने उन्हें कहा कि वह उसे इसी समय न उठायें, वह मुझे मिल लें, मैं उस पर विचार करूंगा और यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मैं ने उस के लिये अनुमति दे दी तो वह इस प्रश्न को सभा में उठा सकती हैं। मेरी बात मान कर उन्होंने उस प्रश्न को नहीं उठाया और शांतिपूर्वक बैठ गईं। परन्तु अब जब कि श्री हेम बरुआ को बता दिया गया है कि उन के विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी गई वह उसी प्रश्न को ले कर खड़े हो गये हैं। निस्संदेह यह अनुचित है और प्रत्येक दिन ऐसा बार-बार नहीं होना चाहिए। वह जानते हैं कि वह मेरे पास आ सकते हैं और मैं इस बारे में उन के साथ बात-चीत कर सकता हूं। परन्तु यदि वह प्रत्येक क्षण खड़े हो कर जो चाहे कहें तो निश्चय ही यह आपत्तिजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ने उन्हें कई बार बताया है और इसे फिर दोहराता हूं। यदि उन को अनुमति दे दी जाय तो सभी अन्य माननीय सदस्य ऐसा ही मार्ग अपनाने के हकदार होंगे और सभा में व्यवस्था बनी नहीं रहेगी।

मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे महसूस करें और उसी बात को फिर न दोहरायें। वह जब चाहें मेरे पास आ कर इस पर बात कर सकते हैं; यदि यह प्रश्न नियमानुकूल है तो निश्चय ही मैं उसे सभा में उठाने की अनुमति दे दूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ऐसा करने के लिये प्रेरणा हमें साम्यवादी दल के उपनेता से मिली है जिन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव पर कल ऐसा ही किया। यह बात इस के बावजूद हुई कि आप ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। इसलिये श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम सदैव आप के प्रति वफादार रहे हैं। परन्तु यह मामला अधिक गम्भीर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे हर्ष है कि आप कम से कम कुछ आपत्तिजनक बातों में साम्य-वादियों से प्रेरणा लेते हैं। आप को अच्छी बातों के लिये प्रेरणा लेनी चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** : अच्छी प्रेरणा हमें आप से मिलेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (द्वितीय संशोधन) आदेश, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक तकनीकी प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०२२ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (द्वितीय संशोधन) आदेश, १९६३;

(दो) वर्ष १९६२–६३ के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित; तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वार्षिक तकनीकी प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० २२४८/६३]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५१५; तथा

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६०७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० १२५१/६३]

जमा बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं जमा बीमा निगम अधिनियम, १९६१ की धारा ३२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम के कार्य संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति उसके वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सख्या एल० टी० १२५२/६३]

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १४ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६१ में प्रकाशित विदेशी मु ा विनियमन (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२५३/६३]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा में १३-४-१९६३ को स्वीकार किये गये संकल्प द्वारा श्री हुक्म चन्द कछवाय के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेश को समाप्त कर दिया जाये और जितनी अवधि तक सदस्य निलम्बित रह चुके हैं उसे पर्याप्त दंड समझ लिया जाये और अध्यक्ष महोदय के नाम उनके दिनांक २२-४-१९६३ के पत्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें आज से सभा में अपना कर्त्तव्य भार पुन: संभाल लेने की अनुमति दी जाये।"

मैं इस प्रस्ताव को इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि सभा को नियम ३७४(२) के अन्तर्गत परन्तुक के अनुसार ऐसा कर सकने का अधिकार है।

श्री कछवाय ने केवल उत्तेजना में आकर सभा में ऐसा किया था, अत: जान बूझ कर नहीं। यह बात उन्होंने अपने पत्र में भी स्वीकार की है। उनको अपने किये पर पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय और श्री कछवाय को १८ दिन सभा से निलम्बन का जो दण्ड मिल चुका है वही पर्याप्त समझा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि मेरा नाम लिया गया है और यह भी कहा गया है कि श्री कछवाय मुझे मिले थे इसलिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मैं सभा को उससे अवगत कराना चाहता हूं ताकि प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेते समय सभा इसे भी अपने सम्मुख रखे। निस्सन्देह, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है। सभा सर्वाधिकार सम्पन्न है और जब चाहे सभा निलम्बन को समाप्त कर सकती है।

जब यह घटना सभा में हुई थी तो उसके लगभग १५ अथवा २० मिनट पश्चात् श्री कछवाय मेरे पास आये और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उत्तेजना में किया और कि उन्हें उसके लिये खेद है। परन्तु मैंने उस समय उन्हें बताया कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, यह निर्णय सभा ने लिया है और इसलिये सभा के समक्ष प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

उन्होंने मुझे पत्र लिखा। वह पत्र सभा के सभी माननीय सदस्यों को परिचारित कर दिया गया है। मैंने श्री कछवाय को और उसके पश्चात् जन संघ दल के नेता श्री त्रिवेदी को भी बता दिया था कि यदि उनमें से कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है तो स्पष्ट रूप से खेद प्रकट किया जाना चाहिए और क्षमा याचना के साथ कहना चाहिए कि भविष्य में इस सदस्य द्वारा ऐसा नहीं किया जायेगा। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था, परन्तु मैं नहीं समझ सका कि वैसा क्यों नहीं किया गया।

जो पत्र श्री कछवाय ने मुझे लिखा है उस तक में दिया गया है कि प्रेस में सूचना ठीक नहीं दी गई और कि उन्होंने न तो प्रधान मंत्री को गालियां दी थीं और न उनका ऐसा करने का विचार ही था। यह सब तर्क देने के पश्चात, जो बात इस प्रस्ताव पर चर्चा का आधार है वह यह है : वह कहते हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तेजना में आकर मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके लिये मुझे खेद है। केवल इतना ही उन्होंने कहा है। अब यह सब सभा के समक्ष है। मैं यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जिस का प्रस्ताव श्री बड़े ने किया है :

> "कि इस सभा में १३-४-१९६३ को स्वीकार किये गये संकल्प द्वारा श्री हुक्म सिंह कछवाय के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेश को समाप्त कर दिया जाय।"

शेष सब तर्क है। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है कि केवल इतना प्रस्ताव ही चाहिए। इसलिये मैंने मुख्य प्रस्ताव का केवल इतना भाग ही पढ़ा है। यह अब सभा के समक्ष है।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 'खेद' शब्द को पर्याप्त मान कर, मेरा अनुरोध है, कि सभा को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : सदस्य ने चूंकि खेद प्रकट कर दिया है इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य कुछ समय लेना चाहते हैं तो मैं इसे मध्याह्न पश्चात् तक के लिये स्थगित करूंगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यदि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : माननीय सदस्य द्वारा उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जैसी भाषा का श्री मनीराम बागड़ी ने प्रयोग किया था . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस बारे में मतभेद पाया जाता है। मेरे विचार में इस बारे में निर्णय मतदान द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव को कुछ समय पश्चात् लूंगा और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह आपस में इस पर विचार कर लें ताकि एकमत होकर निर्णय लिया जा सके। इस बारे में मतभेद नहीं होने चाहिएं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता--मध्य): ऐसे मामलों में सभा के नेता को मुख्य भाग लेना चाहिए परन्तु वह सभा में उपस्थित नहीं हैं और संसदीय-कार्य मंत्री इस मामले में रुचि नहीं ले रहे प्रतीत होते . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**संसद् कार्य-मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : जब चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य ऐसा कर चुकेंगे तो सरकार की राय सभा को संसूचित कर दी जायेगी . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं इसे मध्याह्न पश्चात् तक के लिये स्थगित करता हूं। अब मैं विधि मंत्री को बुला रहा हूं। हम इसे ४ बजे ले सकते हैं। क्या यह समय सुविधाजनक होगा? अथवा, मेरे विचार में इसे ५ बजे लिया जाय।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार): आज मेडे है इस लिये सभा की बैठक ५ बजे के पश्चात् नहीं होनी चाहिए (**अन्तर्बाधाएं**)।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हम इसे कल ले सकते हैं ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न काल के पश्चात् ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो इसे हम कल ले सकते हैं ।

†श्री सत्यनारायण सिंह : जी हां ।

†अध्क्षय महोदय : हम इसे कल ही लेंगे ।

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा २९ अप्रैल, १९६३ को श्री अ० कु० सेन द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

> "कि भारत के संविधान में, [redacted] अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री दाजी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने उन प्रबन्धों की आलोचना की जिन के द्वारा हम मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश की आयु निर्धारित करना चाहते हैं कि यह ६० हो अथवा नहीं । यह कहा गया कि यह न्यायपालिका पर दबाव डालने का तरीका है और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कलकत्ता के उच्च न्यायालय के फैसले को उद्धृत किया गया जो कि पंजाब के उच्च न्यायालय के फैसले से इस विषय में पूर्णतया भिन्न है, और यह मामला न्यायाधीन है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस विशेष फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिये विशेष तौर पर छुट्टी दी है । क्योंकि फैसले के अंश उद्धृत किये गये हैं इस लिये मजबूर हो कर मुझे इन न्यायाधीशों की आलोचनाओं की चर्चा करनी पड़ेगी और मुझे कहना पड़ेगा कि यह अनुचित है कि कुछ न्यायाधीश अपने कार्यक्षेत्र की सीमा से परे जा कर राजनीति में दखल देते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं । उनका काम केवल इतना है कि जब यह नीतियां विधि का रूप धारण कर लेती हैं तो उन का निर्वचन किया जाय । श्री दाजी ने कहा कि अमुक फैसले में संसद् से अपील की गई है । यदि न्यायपालिका संसद् से अथवा सरकार से अपील करने लगे तो उसका काम समाप्त हो जाता है। न्यायपालिका किसी से कभी अपील नहीं करेगी, और मैं आशा करता हूं कि फैसले का इस प्रकार निर्वचन करना कि न्यायाधीशों ने संसद् से अपील की है कि ठीक नहीं है । चूंकि फैसले का उद्धरण किया गया है और इस फैसले की प्रति हमें प्राप्त नहीं हुई इस लिये मैं श्री दाजी के वक्तव्य से संगत अंश का उद्धरण करूंगा । इस में कहा गया है :

> "....यदि इस न्यायालय के न्यायाधीश इस कदर कार्यपालिका के रहम पर हैं कि कार्यपालिका इनकी सेवानिवृति और सेवावधि के बारे में सीमा निर्धारित कर सकेगी तो देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी । संविधान में आयु के संबंध में जो परित्राण हैं वह बेकार हो जायेंगे । मैं इसके परिणामों को सोच कर कांप जाता हूं । इस लिये मुझे यह देख कर बहुत राहत मिली कि ......"

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या मैं प्रश्न को भिन्न प्रकार से रखूं ? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार मज़ाक बन जायेंगे यदि वह यह देखें कि न्यायाधीशों ने जो उनके पक्ष में अथवा राज्य के पक्ष में अथवा राज्य के विरुद्ध फैसले दिये हैं उन फैसलों को न्यायालय में इस आधार पर शक्ति परस्तात् घोषित करने की चुनौती दी जाती है कि न्यायाधीश की आयु ६० वर्ष हो चुकी है । यदि ७ अथवा ८ वर्ष की मुकद्दमेबाजी के पश्चात् ७ अथवा ८ वर्ष पूर्व के फैसले को शून्य घोषित किया जाता है, और एक व्यक्ति अथवा राज्य को मालूम पड़ता है कि व्यवहार न्यायालय की ७ अथवा ८ वर्ष पूर्व की डिक्री को अन्त में उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया है, तो ऐसे मामले में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि नागरिकों के अधिकार मजाक बन जायेंगे ।

यह संविधान में अन्तर्निहित है कि जहां आयु निर्धारित की जाती है उस आयु का निर्धारण न्यायाधीश से अतिरिक्त किसी द्वारा किया जाना है । यदि कोई न्यायाधीश सोचता है कि आयु के बारे में उसका फैसला अन्तिम होगा तो यह मज़ाक हो जायेगा । यह मानने योग्य बात है कि न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि आयु का निर्धारण दर्जनों मुंसिफ न्यायालयों के अनिश्चित फैसलों द्वारा किया जाय जो उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं । जब मैं ने श्री सीतलबाद से पूछा, "क्या यह बात न्यायपालिका की स्वतंत्रता या गरिमा के अधिक संगत होगी यदि उन मामलों पर मुसिफ न्यायालयों में जिरह हो, साक्ष्य लिया जाय और फिर वह मामले उच्चतम न्यायालय तक खीचे जायें, और उस बीच में मुकद्दमा करने वाले को निश्चय न हो कि न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा वह मान्य होगा अथवा नहीं; अथवा वह अच्छा रहेगा कि, प्रथा के अनुसार, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की मंत्रणा से आयु का निर्धारण करें ?" तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया । उन्होंने केवल यह कहा : "जी नहीं, फिर भी व्यवहार न्यायालय को निर्णय करना चाहिए ।"

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : श्री सीतलवाद ने निश्चय ही कहा था कि कोई मामला इतना पवित्र नहीं है जिस पर न्यायालय निर्णय न दे सके ।

†**श्री अ० कु० सेन** : प्रश्न अति पवित्र होने का नहीं है । जब जज के निर्णय निश्चयात्मक न हों और इस आधार पर शक्ति-अतीत करार दिए जाएंगे कि जज ६० वर्ष का हो गया है, तो सार्वजनिक शरारत उठने का प्रश्न है । जैसा कि श्री सीतलवाद ने माना साधारण नागरिक भी मुनसिफ के न्यायालय में इसके विरुद्ध मामला उठा सकते हैं और आठ वर्ष बाद यह निर्णय किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है कि इन वर्षों में दिए गये निर्णय मान्य हैं या नहीं ।'

सरकार के निर्णय का इरादा उस बड़ी सार्वजनिक शरारत से बचने का ही नहीं है परन्तु न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वाधीनता को कायम रखना है । जजों ने पंजाब उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णय की बिल्कुल अवहेलना कर दी है । इस निर्णयन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाज़त नहीं दी गई थी । जजों ने उस संशोधन की आलोचना की है जो कि संसद् के सामने है । यह तो संसद् ने निर्णय करना है कि क्या वह स्पष्टीकरण के तौर पर ऐसा संशोधन होने देंगे या नहीं । परन्तु जजों का यह कहना कि ऐसे संशोधन खराब हैं, जजों की मानसिक वृत्ति के विरुद्ध है । यह मामला संयुक्त समिति के सामने था । तीन जजों ने सरकार के दृष्टिकोण को सुने बिना निर्णय दे दिया । न्यायपालिका के लिए यह दिन दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब जज राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप आरम्भ कर देंगे । पिछले कुछ समय से जजों में ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० कु० सेन]

मनोवृत्ति रही है । इंगलैण्ड में जजों का मत यह रहा है कि न्यायालयों का काम विधानों की नीतियों में दखल देने का नहीं है । इस सुनहरी नियम का यहां भी अनुसरण किया जाएगा ।

जिन्होंने यह कहा है कि इस मामले का निर्णय असैनिक न्यायालयों पर छोड़ना चाहिए वे इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं कि इस मामले का क्या नतीजा निकलेगा जब कि किसी जज की आयु के झगड़े में सारे मामले को लम्बित रखना पड़ेगा और इन विचारों वाले लोगों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश कोई कार्यवाई नहीं कर सकता और सारे मामले का निर्णय असैनिक कार्यवाही द्वारा होगा चाहे वह जज के पक्ष में हो या उस के विरुद्ध ।

यह मामला न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाएगा । श्री दाजी ने कहा कि जज बैठा है और छुट्टी से पहले उसे जाने के लिए कह दिया जाता है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मैंने कहा कि वह सेवा निवृत हो गया है । छुट्टी पर है और जब वह पार्टी ले रहा है तो उसे वापिस बुला लिया जाता है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** वह अलहदा बात है ।

†**श्री दाजी :** मैंने पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के मामले का उल्लेख किया जहां शक्तियों का दुरुपयोग किया गया । हमें ऐसी शक्तियां नहीं लेनी चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग हो सके ।

†**श्री अ० कु० सेन :** न्यायपालिका से व्यवहार के सम्बन्ध में जिस परम्परा का पालन किया गया है यह उसकी अवहेलना करता है । त्रिदिव कुमार चौधरी द्वारा उठाई गई बात का यह जवाब है ।

†**श्री दाजी :** जब एक जज पंजाब उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को गया और उच्चतम न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय को गया और उस जज ने अपनी आयु कुछ बताई, राष्ट्रपति कुछ और कहते हैं, तो उस परम्परा की अवहेलना हो गई है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति विशेष की मूर्खता के कारण परम्परा नष्ट न हो जाए ।

†**श्री दाजी :** इसीलिए मैं कहता हूं कि नियुक्ति के समय ही आयु का अन्तिम रूप से फैसला हो जाना चाहिए ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकार ने यह नियम बना दिया है कि नियुक्ति के समय आयु का सत्यापन किया जाएगा परन्तु ये झगड़े उन नियुक्तियों के बारे में हैं जो पहले ही की जा चुकी हैं । वह दिन बुरा था जब जजों को अपनी आयु का सत्यापन करवाना पड़ता था, क्योंकि पुराने समय में जो आयु जज लिखते थे वह स्वीकार कर ली जाती थी । यह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात है कि कई जजों की आयु उनके सहयोगियों ने बाद में नहीं मानी । नई नियुक्तियां आयु के सत्यापन के बाद की जाती हैं । झगड़ा तो पुरानी नियुक्तियों का है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि नियुक्ति वारंट में दी गई आयु को अन्तिम मान लिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** यह और मामला है । इस समय हम झगड़ों का सत्यापन कर रहे हैं ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** इससे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे ।

†**श्री अ० कु० सेन :** नई नियुक्तियों में ऐसा ही किया जा रहा है ।

†**श्री दाजी :** इस के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ।

†**श्री अ० कु० सेन :** श्री दाजी की बात हमें स्पष्ट है । हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करने के लिए त्यार हैं ।

जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा था उसके लिए यहां मत याचना की गई है वह देहली में है । वह संसद् सदस्यों से मिलता रहा है और उन्हें कलकत्ताउच्च न्यायालय के निर्णन के कुछ भाग देता रहा है ।

†**श्री दाजी :** मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं । इस प्रकार कहना मंत्री महोदय के लिए उचित नहीं । न मैंने और न श्री चौधरी ने उस व्यक्ति विशेष के लिए मत याचना की है । हम किसी से नहीं मिले हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (करूर) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं । आपने विनिर्णय दिया था कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं कर सकता और उसके लिए इस सभा में मत याचना नहीं कर सकता । अभी विधि मंत्री ने कहा कि कोई माननीय सदस्य किसी निवत्त जज की ओर से मत याचना कर रहा था । मैं इसके बारे में मार्ग दर्शन चाहता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री दाजी ने यह आपत्ति की कि यह आरोप लगाया गया कि कोई जज अपने मामले के लिए उन्हें मिलने आया इत्यादि ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** मैं तो माननीय विधि मंत्री का समर्थन कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति की ओर से मत याचना नहीं कर सकता । दो तीन सप्ताह पहले इस मामले क सम्बन्ध में विनिर्णय दिया गया था ।

†**श्री दाजी :** माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ सदस्यों ने उस व्यक्ति के लिए मतयाचना की हमने उसका जिक्र भी नहीं किया । इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : इस प्रकार के शब्द वाद-विवाद से हटा देने चाहिएं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री दाजी ने कहा है कि जज विशेष उन से या श्री त्रिदिव कुमार चौधरी से नहीं मिले । आम तौर पर कोई भी व्यक्ति सदस्यों से मिल सकता है । किसी विधान के बारे में जिस का किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता हो वह व्यक्ति संसद सदस्यों से मिल सकता है ताकि सदस्य उसके दृष्टिकोण को सभा के सामने रख सके । यदि कोई जज किसी सदस्य से मिला हो, यद्यपि यह उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है तो भी उस पर इस समय इतराज नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति किसी विधेयक को पारित होने या न पारित होने में दिलचस्पी रखता हो तो वह किसी भी सदस्य से मिल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस मामले में, विधि मंत्री जिस न्यायाधीश की चर्चा कर रहे हैं वह न्यायालय में निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यदि दिल्ली में उनकी गतिविधियों के बारे में आक्षेपात्मक बातें कह कर संसद् सदस्यों पर उन के बारे में प्रतिकूल प्रभाव डाला जाता है और वह यहां उपस्थित न होने के कारण विधि मंत्री द्वारा लगाये गये खुले आरोप का उत्तर नहीं दे सकते तो यह बात सभा की मान्य प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, और इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** "मतयाचन" शब्द का प्रयोग इस प्रसंग में अनुचित है इसलिये इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** श्री जे० पी० मित्तर दिल्ली में आये हुये हैं क्योंकि उनका मामला सुनवाई के लिये उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ रहा है, अतः वह यहां पर मतयाचन के लिये नहीं आये । मैं नहीं समझता कि किस अन्य सूचना के आधार पर मंत्री महोदय ऐसा कह रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदयः** अब तथ्य हमारे पास हैं, अतः मैं माननीय विधि मंत्री को परामर्श दूंगा कि वह "मतयाचन" शब्द का प्रयोग तब तक न करें जब तक उनके पास विश्सनीय सूचना न हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जहां तक कार्यवाही से शब्दों को निकालने का सम्बन्ध है आप सभी सदस्यों से एक सा बर्ताव करेंगे, और सदस्यों तथा मंत्रियों में भेद नहीं करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे भी विश्वास है कि आप अध्यक्ष-पीठ पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** उन्होंने पहले ही आक्षेप किया है और आपने उन्हें रोका नहीं है । आपने अग्रेतर आक्षेप न करने के बारे में भी उन्हें निदेश नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किस को ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** माननीय मंत्री को ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उनसे कहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** आपने उन से कहा है कि वह पहले के समान बात न करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कहा है कि माननीय मंत्री को तब तक ऐसा नहीं कहना चाहिए जब तक उनके पास विश्वसनीय सूचना न हो . . . . . (**अन्तर्बाधा**) । मैंने उन्हें ठीक यही बात कही है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैं इस बारे में आपका निर्णयन प्राप्त करना चाहूंगा कि यदि इस बात को मान भी लिया जाय कि माननीय मंत्री के पास सम्बद्ध न्यायाधीश के विरुद्ध कोई सूचना है तो भी क्या उस न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उस मामले की चर्चा करना नियमानुकूल है ? हम इस प्रकार अभियोग नहीं लगाते ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकार के विरुद्ध जो बातें कही गई हैं उनका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है । यह कहा गया कि उनके स्तरों पर डमॉक्लीस की तलवार लटक रही है और कि उन्हें इसलिये सेवा निवृत्त किया जा रहा है चूंकि वह सुप्रसिद्ध नहीं हैं आदि, आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** निस्संदेह, माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वह मंत्रियों तथा सरकार की आलोचना करें। परन्तु जहां तक ऐसे व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो यहां उपस्थित नहीं हैं, हमारी सामान्य प्रक्रिया यह है कि हम उन के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कहते क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जब तक माननीय मंत्री के पास कोई विश्वसनीय सूचना न हो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा हमने इस विशेष नाम का वर्णन नहीं किया। इसका उल्लेख श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा किया गया। इसलिये मैंने कहा था कि यह मामला मतयाचना का नहीं है। शब्द "मतयाचना" का साधारण अर्थ है। इस मामले में मतयाचना हो रही है क्योंकि इस का विशेष वर्णन उदाहरण के रूप में इसलिये किया गया कि सरकार जजों से कैसा व्यवहार कर रही है।

जैसा कि मैंने कहा है इस मामले के तथ्य जिनको मैंने पढ़ कर सुनाया था, पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय में दिये गये हैं और उनसे सम्बद्ध व्यक्ति का हित नहीं होता।

कुछ भी हो यह अत्यावश्यक है कि ऐसे मामलों को व्यवहार मुहद्मेबाजी की अनिश्चितताओं पर न छोड़ कर इन का निर्धारण किया जाये। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर दोहराता हूं कि सरकार ऐसे मामलों के बारे में निर्णय सदैव मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श पर लेती रही है और जिन मामलों की चर्चा मैंने सभा में की उन सभी मामलों में राष्ट्रपति ने जैसे भारतीय मुख्य न्यायाधिपति ने मंत्रणा दी थी ठीक वैसी ही आदेश दिये थे। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया।

अनुच्छेद ३११ के बारे में अन्य असैनिक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के समान श्री दाजी ने भी कहा कि वह अग्रेतर साक्ष्य देने का अधिकार नहीं चाहते परन्तु वह प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व कर सकने के अधिकार चाहते हैं। जब असैनिक कर्मचारियों के प्रतिनिधि मुझे मिले उन्होंने मुझे एक प्रारूप दिया जिसमें यह शब्द थे "परन्तु केवल पहले, ही दिये गये साक्ष्य पर"। "पहले ही" शब्दों की बजाय हम ने "जांच के दौरान दिये गये" शब्दों का प्रयोग किया है।

जैसा कि मैंने बताया, जब यह प्रस्ताव पहले सभा के समक्ष था और जब यह संयुक्त समिति के पास नहीं गया था तो सरकार का विचार असैनिक सेवा नियमों के नियम २५ में परिवर्तन लाने का कदापि नहीं था। इस नियम २५ में उपबन्ध है कि असैनिक कर्मचारी प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह सोचा गया कि भविष्य में कोई अनुत्तरदायी सरकार संसद् को दिये गये आश्वासन की अवहेलना करके नियम २५ को हटा न दे। उस समय मैंने असैनिक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को और भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बताया जो मुझे ड्राफ्ट देने आये थे, जिस द्वारा यह स्पष्ट किया जाना था कि प्रस्तावित दंड के विरुद्ध प्रतिनिधित्व में अग्रेतर सुनवाई और अग्रेतर साक्ष्य देने पर आग्रह करने सम्बन्धी अधिकार शामिल नहीं होगा। उन्होंने वह ड्राफ्ट मुझे दिया जिसे मैंने मामूली रूपभेदों के सथ स्वीकार कर लिया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इन सब बातों के पश्चात श्री प्रिय गुप्त ने इस सब को छोड़ कर संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री दाजी ने यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के फैसलों में से पढ़ कर सुनाया कि दंड पर प्रतिनिधित्व करने के अधिकार में अग्रेतर सुनवाई अथवा अग्रेतर साक्ष्य देने का अधिकार शामिल नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका स्पष्टीकरण करने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण मेनन ने श्री दाजी से असहमत होते हुये कहा कि दुबारा सुनवाई का अधिकार न देकर हम एक सांवैधानिक परित्राण को छीन रहे हैं। यह बात मेरी बात की सच्चाई को समर्थक है। श्री मेनन का कहना है कि संविधान में दोबारा सुनवाई और अग्रेतर साक्ष्य का उपबन्ध है, और उन्होंने यह कह कर कि एक बड़े परित्राण को छीना जा रहा है श्री दाजी और श्री स० मो० बनर्जी का खंडन किया जो कई मासों से मुझे बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि इस प्रक्रम पर जबकि प्रस्तावित दंड के विरुद्ध प्रतिनिधित्व किया गया है किसी सुनवाई पर आग्रह नहीं किया जा रहा ।

हमने भरसक प्रयत्न किया है कि असैनिक कर्मचारी के सम्पूर्ण संरक्षण मिले। हमने आश्वासन दिया कि नियम २५ में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके बावजूद भी हमने यह संशोधन रखा जिस पर हम पर आरोप लगाया गया कि हम असैनिक कर्मचारियों के अत्यावश्यक अधिकार छीन रहे हैं ; परन्तु यह उचित नहीं है। मैं श्री मेनन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि यहां केवल प्रधान मंत्री ही लोकतंत्रवादी हैं। हम सब उन का सम्मान करते हैं और निश्चय ही हमें इस बात का गर्व है कि वह हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परन्तु हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हम लोकतंत्रवादी नहीं हैं और केवल प्रधान मंत्री ही लोकतंत्रवादी हैं।

इसलिये, यदि कोई ऐसा विचार हो कि हम लोकतंत्र के उद्देश्यों से परे हटे हैं और कि केवल असैनिक कर्मचारियों के ही नहीं बल्कि नागरिकों के भी अत्यावश्यक अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहे तो मैं उसका खंडन करता हूं। मुझे आशा है कि हम उसी मार्ग पर चलते रहेंगे क्योंकि यही हमारी बड़ी शक्ति है और हम लोकतंत्र की प्रक्रिया से ही कार्य कर रहे हैं, भय अथवा बल की प्रक्रिया से नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक संशोधन श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के नाम में है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं मंत्री महोदय से केवल एक अथवा दो छोटे से प्रश्न पूछना चाहता हूं। उनके बगैर मैं इस निश्चय पर नहीं पहुंच सकूंगा कि मत विभाजन के लिये कहा जाय अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।

लोक-सभा में मतदान विभाजन हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में २७० ; विपक्ष में ५१ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड २—(अनुच्छेद १२४ का संशोधन)

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फरनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** (बिल्हौर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं अपना संशोधन संख्या २३, जो सूची संख्या ५ में है, प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री संमत प्रसाद** : इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के जज की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। खंड २ के अनुसार एक अलग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है ।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मतदान किस समय होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मतदान के लिये ४ बजे का समय होगा क्योंकि सभी खंडों पर चर्चा हम कर लेंगे और फिर एक ही समय मतदान हो जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : परन्तु कुछ खंड एक दूसरे पर आधारित हैं, जैसे खंड ४ और ६ । यदि एक खंड अस्वीकार कर दिया जाता है तो दूसरे पर चर्चा नहीं हो सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल वह समय जब चर्चा होगी खराब होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जिस समय में हम बाद वाले खंड पर चर्चा करेंगे वह ज़ाया होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी यही कहता हूं कि वह समय ज़ाया होगा । परन्तु सदस्य मतदान के लिये कुछ अधिक जानना चाहते हैं । इसलिये मुझे उस जानकारी के उपलब्ध करने के लिये समय जाया करना पड़ता है । मैं भी यह बात महसूस करता हूं ।

†**श्री सुमत प्रसाद** : यदि उच्च न्यायालय के जज की आयु निर्धारित करने का इस विधेयक में उपबन्ध है तो कोई कारण नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के एक जज की आयु निर्धारित करने सम्बन्धी उपबन्ध न हो । मेरा संशोधन इसी लक्ष्य का है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के जजों की आयु के बारे में एक ही सिद्धांत होना चाहिये, और इस बारे में संविधान में ही उपबन्ध होना चाहिये यही मेरे संशोधन का उद्देश्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

एक जज की नियुक्ति के समय ही उस की आयु सम्बन्धी निर्धारण होना चाहिए और इस का उल्लेख नियुक्ति वारण्ट में होना चाहिए। जहां तक वर्तमान जजों का प्रश्न है इनकी आयु का निर्धारण मुख्य न्यायधिपति द्वारा किया जाना चाहिए और मुख्य न्यायाधिपति का सम्बन्ध किसी सरकार के प्रशासनिक निर्णय के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : जजों की आयु सम्बन्धी इस खण्ड का इस विधेयक में शामिल किया जाना एक खेदजनक बात है। इससे जजों के आचरण और नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की आयु के सम्बन्ध में सूचना चर्च से अथवा किसी अन्य साधन से मिल सकती है। यह मालूम हो सकता है कि वह कब पैदा हुआ था। परन्तु एक जज की आयु के बारे में सन्देह उत्पन्न होना अत्यन्त खेदजनक बात है। इसका अर्थ यह है कि हमारे राज्य की बुनियाद के बारे में सन्देह उत्पन्न हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आज संसद् में जज की आयु के प्रश्न पर चर्चा होना एक शोचनीय बात है। हमारे देश के जजों का आचरण बहुत ऊंचा रहा है। उनके आचरण की महानता को हम आज भूल रहे हैं। जब उन जजों ने हमें दण्ड दिये तो हमें सन्तोष हुआ क्योंकि हम उनके आचरण और पांडित्य को मानते थे। मुझे मिस्टर जस्टिस विवियन बोस और श्री बी० जी० हारनीमान जैसे महान् जजों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। सरजान बीमान्ट भी महान् जज थे। ऐसे उच्च आचरण वाले जजों की बात पर सन्देह करना सर्वथा अनुचित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को केवल खण्ड २ के बारे में ही कहना चाहिये। यह खण्ड न्यायाधीशों की आयु से सम्बन्ध रखता है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि एक न्यायाधीश की आयु का निश्चय सच्चाई के आधार पर किया जाये। यह न्याय या तो म्युनिसिपल के अभिलेखों के आधार पर अथवा विधान सभा के अभिलेखों के आधार पर निश्चित होना चाहिये। यह कहना गलत है कि किसी न्यायाधीश की आयु का निश्चय राष्ट्रपति करेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : प्रस्तावित अनुच्छेद २क की इस आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि वह उस अनुच्छेद से मेल नहीं खाता जो कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु निश्चित करने के लिये रखा गया है। इन मामलों में प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिये। इस मामले में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि संसद् को इस विषय पर कोई पृथक् विधि अधिनियमित करना नितान्त आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निश्चय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से किया जाना चाहिये तथा इस प्रकार के निश्चय को अन्तिम समझा जाये, इस विषय में किसी निम्न न्यायालय में किसी प्रकार की अपील नहीं की जानी चाहिये। इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में आघात होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव यह है कि न्यायाधीश की आयु का निश्चय उसकी नियुक्ति के समय ही कर लिया जाये तथा उसे नियुक्ति-पत्र में लिख दिया जाये।

राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके हस्तान्तरण का पूरा अधिकार है। इसलिये यदि उसे ही न्यायाधीश की आयु का निश्चय करने का अधिकार दिया जाये तो उससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर कोई आघात नहीं होगा।

†**श्री पु० र० पटेल :** (पाटन) : मेरे विचार से नियुक्ति के पश्चात् उच्चतम न्यायाधीश की आयु का प्रश्न उठाया ही नहीं जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के समय उसकी जो आयु घोषित की गयी हो उस पर भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। उसे ही अन्तिम रूप से मान लिया जाये। ऐसी कोई बात नहीं की जाये जिससे कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और सुदृढ़ता में फर्क आये।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति इस समय मुख्य न्यायाधिपति तथा मुख्य मन्त्री के परामर्श से की जाती है। मेरे विचार से यह परम्परा ठीक नहीं है यह निर्णय केवल मुख्य न्यायाधिपति की सलाह से ही किया जाये। तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखने के लिये यथाशीघ्र कदम उठाये जायें।

†**श्री प्रभात कार :** जहां तक उच्चतम अथवा उच्च न्यायाधीश की आयु का सम्बन्ध है मेरा प्रस्ताव है कि इस सम्बन्ध में सरकार या स्वयं न्यायाधीश को कोई प्रश्न उठाने की अनुमति न दी जाये।

मेरे विचार से ऐसा करने की अनुमति देना अनुच्छेद १२४ (४) के विरुद्ध होगा अतः इसकी अनुमति किसी भी परिस्थिति न में दी जाये।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : मेरा सुझाव है कि संयुक्त समिति ने जो संशोधन अनुच्छेद रखा है वह बिल्कुल उचित है उसे रखा जाये। यह संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप है।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल :** मेरे विचार से मुख्य प्रश्न यह है कि यदि किसी समय आपत्ति उठायी जाये तो न्यायाधीशों की आयु का निश्चय किस प्रकार किया जायेगा, प्रश्न यह नहीं है कि न्यायाधीशों का चरित्र कैसा हो अथवा किन स्थितियों में उनको नियुक्ति की जाये।

वस्तुतः कठिनाई यह है कि उचित अभिलेखों की अनुपस्थिति में आयु की पुष्टि कैसे की जायेगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि खण्ड २ को रहने दिया जाये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : आश्चर्य की बात यह है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु विहित की जा रही है लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसका निश्चय संसद् द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति अपेक्षाकृत उतनी अच्छी नहीं रहेगी।

मेरे विचार से वर्तमान संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संविधान के अधीन संसद् से यह अधिकार छीना नहीं गया है तो इस अधिकार का उपबन्ध करने की आवश्यकता ही क्या थी। वस्तुतः संसद् को यह शक्ति पहिले से ही प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मेरे विचार से खण्ड २ के संशोधन के रूप में एक ऐसा मध्यमार्ग प्रस्तुत किया गया है जिससे कि कई कठिनाइयां हल हो गयी हैं। और यह प्रश्न कार्यपालिका के हाथों से निकल गया है। सभा को इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इस धारा के द्वारा आप संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। एक घटना हो गई कलकत्ता की और उसको लेकर आप संविधान में परिवर्तन करें यह संविधान के लिए भी शोभा नहीं देता है . . .

एक माननीय सदस्य : ज्यादा हुए हैं।

श्री सिंहासन सिंह : चाहे कितने भी केस हुए हों, यह चीज शोभा नहीं देती है । यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टस के जजों की अवस्था का सवाल है और उस पर विचार किया जा रहा है। अगर आप देखें तो इनकी अवस्था का ही सवाल नहीं है, और भी बहुत सी सर्विसिस हैं, जिनकी अवस्था का सवाल पैदा हो सकता है। यूनियन कमीशन है, स्टेट कमीशन्ज हैं, उनके मैम्बरों की अवस्था ६५ वर्ष और ६० वर्ष दी हुई है । फिर पार्लियामेंट के मैम्बरों की अवस्था का भी सवाल पैदा होता है। उनकी अवस्था भी कहा गया है कि पच्चीस साल से कम नहीं होनी चाहिये। क्या आप इन सब की अवस्थाओं का फैसला इस तरह से करते फिर सकते हैं। आदमी एक बार पैदा होता है, बार बार पैदा नहीं होता है। आदमी की अवस्था एक होती है, वह बदला नहीं करती है । जब वह पैदा होता है तो उसकी अवस्था एक ही होती है। उसका रिकार्ड भी होता है, वह अवस्था म्युनिसिपलिटी के रिकार्ड में दर्ज रहती है, गांव के चौकीदार के पास दर्ज रहती है गांव सभा में दर्ज रहती है। इसके अलावा वह जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसके मां बाप उसकी एज वहां दर्ज कराते हैं वह हाई स्कूल पास करता है, बी० ए० पास करता है, एम० ए० पास करता है हर जगह उम्र दर्ज होती है। इस सबके बावजूद भी अगर झगड़ा होता है तो इसका मतलब केवल यही निकल सकता है कि कहीं गड़बड़ी है, हमारे ख्याल में गड़बड़ी है। आप इस तरह का प्रावि-जन संविधान में करके चरित्र को नीचे करने जा रहे हैं और उम्र को भी झगड़े में रख रहे हैं। मेरे विचार में ये दोनों बातें लाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस सदन को शोभा नहीं देता है। जो भी कानून आप बनायें सबके लिए एक सा बनायें। अगर आप इनके लिए इस तरह से करते हैं तो क्या आप आई० ए० एस० में जो हैं, या जो यूनियन कमीशन में हैं या दूसरे हैं, उन सबके झगड़े मिटाते फिरेंगे। फिर लोक सभा की सदस्यता के लिए जो पच्चीस साल की उम्र रखी गई है, उसको कौन तय करेगा, पटवारी तय करेगा, हम तय करेंगे, कौन करेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की जो पैंसठ साल की उम्र रखी हुई है, उसको कौन तय करेगा। कौन तय करेगा कि यह साठ का हो गया है या नहीं पैंसठ का हो गया है या नहीं। बंगाल के एक दो केसिस को लेकर जो झगड़ा हो गया, उसको लेकर आप जो संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं। यह संविधान के लिए शोभा की बात नहीं है। जब संविधान बनाया गया था तो बहुत सोच समझ कर बनाया गया था और उम्मीद की गई थी कि सभी हाईकोर्ट के जज अपनी उम्र ठीक बतायेंगे ।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी एक चिट्ठी में जो इसके बारे में लिखा था, उम्र के झगड़े के बारे में लिखा था, उसको पढ़ कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने उस में कहा था कि हमारी डिगनिटी के लिए, आपकी डिगनिटी के लिए यह बड़ा जरूरी है कि हम लोग उम्र का झगड़ा न उठायें, जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में उम्र दर्ज है, या जो यूनिवर्सिटी में दर्ज है, उसी को रखें। आपकी जानकारी के लिए उस चिट्ठी में से थोड़ा सा हिस्सा संक्षेप में रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायाधीशों से उनकी आयु के बारे में उन्हें मैट्रिक सर्टिफिकेट या उच्च प्रमाण मांगे हैं। तथापि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मांगा गया है। इस प्रकार आप दो प्रकार के न्यायाधीशों के लिये पृथक् पृथक् उपबन्ध कर रहे हैं। मेरे विचार से इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होगी।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : संयुक्त समिति ने सरकार के तथा विभिन्न मतों को सुनने के बाद ही यह निश्चय किया है। निस्सन्देह सरकार का दृष्टिकोण हमसे पृथक् था। मैंने सरकार की ओर से यह व्यक्त करते हुए यह बात कही थी कि यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई उपबन्ध न रखा जाये तो भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा। क्योंकि १९५८ के पश्चात् से उच्चतम न्यायालय में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई हैं उनका आयु का सत्यापन हो चुका है और उससे पूर्व के न्यायाधीश बहुत कम हैं।

हमें सिद्धान्ततः इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि संसद को शक्ति दे दी गयी है। यदि कोई ऐसा मामला उठ खड़ा हो तो संसद ऐसा विहित कर सकती है अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। वस्तुतः अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है न ऐसे किसी मामले के आने की गुंजाइश ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सुमत प्रसाद संशोधन पर मतदान के लिये आग्रह कर रहे हैं ?

†**श्री सुमत प्रसाद** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या १० सभा की अनुमति से वापस लिया गया

संशोधन संख्या २३ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन संख्या २२, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ पर मतदान बाद में होगा।

खंड ३—(अनुच्छेद १२९ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस संशोधन पर दो संशोधन हैं।

श्री प्रभात कार : मैं इस खण्ड पर एक संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का आशय यह है कि जहां तक सम्भव हो ऐसे न्यायाधीश को बहुत कम समय के लिये नियुक्त किया जाये। मैं सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत नहीं हूं कि पदनिवृत्त न्यायाधीश की पुनर्निवृत्ति की जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम इस सम्बन्ध में कोई कालावधि इस कारण निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इससे तदर्थ कार्य के लिये नियुक्त न्यायाधीश का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा। यह अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति से पृथक् प्रश्न है अतः हम यह नहीं जानते हैं कि उनकी अवधि क्या रहेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ३ पर मतदान बाद में लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(खंड ४—अनुच्छेद २१ का संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या २५ और ३१ प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृ० चं० शर्मा : मैं संशोधन संख्या २ और ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं संशोधन संख्या ४२, ४४ और ५५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या २६ और ३० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं संशोधन संख्या २९ को प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रभात कार** : मैं संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मैं संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं संशोधन संख्या ३२ और ३३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कृ० च० शर्मा** : मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ५५ वर्षमें नियुक्त किया जाये तथा वह ६५ वर्ष में पदनिवृत्त हो जाये। इस विधेयक में जो दो वर्ष के लिये उनकी पदावधि को और बढ़ाने का जो उपबन्ध किया गया है उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई व्यापक प्रश्न उत्पन्न हो तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसका फैसला करना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** : मैंने इस खण्ड पर संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत किया है।

मेरा सुझाव यह है कि जो न्यायाधीश पदनिवृत्त हो गये हैं उन्हें पुनर्नियुक्त न किया जाये। यदि असाधारण परिस्थितियों में उनकी पुनर्नियुक्ति करनी ही पड़े तो भी उसे ३ महीनों से अधिक समय के लिये नियुक्त नहीं किया जाये।

इस बात की व्यवस्था की जाये कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु उसके नियुक्ति पत्र में लिख दी जाये तथा उसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।

मेरा अग्रेतर सुझाव यह है कि खण्ड १० के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायें कि उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उन्हें अभ्यावेदन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

खण्ड ३११ में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसके लिये कोई उचित कारण नहीं बताये गये हैं। उसे उसी प्रकार रहने दिया जाये। इस संशोधन से सरकारी कर्मचारियों को असुविधा होगी और वे अधिकारियों की कृपा पर आश्रित रहेंगे। इस संशोधन का सभा में व्यापक विरोध किया गया है अतः यह संशोधन न किया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने संशोधन संख्या २५ और ३१ प्रस्तुत किये हैं।

संशोधन २५ का आशय यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदनिवृति से संबंधित उपबंध को हटा दिया जाये। यह तर्क दिया गया है कि ऐसा करने से हम अनुभवी और वरिष्ट न्यायाधीशों की सेवाओं से वंचित हो जायेंगे उचित नहीं है। हम से यह प्रतीत होता है कि हम किसी एक व्यक्ति की अनिवार्यता में विश्वास करते हैं और ऐसे किसी सिद्धांत पर विश्वास करना देश के लिये घातक

---

†मूल अंग्रेजी में

है। महापुरुष पैदा होते हैं और मर जाते हैं और कार्य भी उसी प्रकार चलते रहते हैं ठीक इसी प्रकार उच्चत्तम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का भी काम उसी प्रकार चलता है। दो वर्ष बाद तो इन न्यायाधीशों को पदनिवृत होना ही होगा तब क्या दूसरा संशोधन किया जायेगा कुछ विशेष व्यक्तियों को रियायतें देने के लिये संविधान में संशोधन न किया जाये।

देश के विधि मंत्री का यह कथन सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ न्यायाधीश अमुक तारीख को सेवा निवृत होंगे और इस से देश को हानि होगी। अतः उन की सेवा निवृति की आयु बढ़ा कर ६२ वर्ष कर दी जाये। यह बड़ा ही अनूठा तर्क है। यह स्थिति इस अवधि की समाप्ति पर भी उत्पन्न होगी। अतः मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब से यह विधान संसद में प्रस्तुत किया गया है तब ही से न्यायाधीश मित्र का मामला भी संसद के समक्ष आया है। इस का उल्लेख माननीय विधि मंत्री और कुछ संसद सदस्यों ने किया है। मुझे भी राज्य में अपने एक मित्र से पत्र मिला है जिसे मैं विधि मंत्री को दे दूंगा ताकि वह उस की जांच कर सके। न्यायाधीश मित्र ने हाल में अपनी जन्म तिथि बदली है। यह बहुत बुरी बात है कि इस प्रकार की बातें चारों ओर फैल रही हैं।

मेरे संशोधन संख्या ३१ के दूसरे भाग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यालय के न्यायाधीशों के बराबर करने का उल्लेख है। खण्ड २ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस में उल्लेख है कि उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण वह प्राधिकारी उस ढंग से करेगा जो संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे। मुझे हर्ष है कि कांग्रेस दल के मेरे एक मित्र श्री च० का० भट्टाचार्य ने भी ऐसा ही संशोधन रखा है और यदि यह स्वीकार हो जाता है तो मुझे प्रसन्नता होगी क्योंकि फिर संशोधन पर मत विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति जी को बीच में नहीं लाना चाहिये। वह संघ के प्रशासी अध्यक्ष हैं और वह मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करते हैं। इस का अर्थ है कि राष्ट्रपति का निश्चय अपना नहीं अपितु संबंधित मंत्री का होगा जो उन का भी नहीं अपितु मंत्रालय में सचिव या संभव है कि किसी संयुक्त सचिव या उप-सचिव का हो जिसने वह अनुमति के लिये प्रस्तुत किया हो। यदि इस मामले को उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की भांति निपटाया जाये तो मुझे प्रसन्नता होगी।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल बरुआ** : मेरे संशोधन संख्या ४२ में सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ा कर ६४ वर्ष करने का, संशोधन संख्या ४४ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण विधेयक के खण्ड २ में उपबन्धित ढंग के अनुसार करने का और संशोधन संख्या ४५ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का उस के नियुक्ति पत्र में उल्लेख करना उल्लेख है। जहां तक आयु के सामान्य प्रश्न का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि सरकार ने अवसरवाद की नीति अपना ली है। मेरा ख्याल है कि इससे मामला और भी विगड़ गया है। फिर, जब इसे पिछली तारीख से लागू करने की बात होती है तो व्यक्ति उंगली उठाते हैं और कहते अमुक व्यक्ति को लाभ देने के कारण ऐसा हो रहा है। मैं इस का विरोध करता हूं।

सेवा निवृति की आयु बढ़ाने के बारे में मैं सभा का ध्यान इस मामले में विधि आयोग के मत की ओर आकर्षित करता हूं। उस का कहना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु तक सुचारु रूप से कार्य कर सकता है। चौंसठ वर्ष की आयु का सुझाव देते समय मैंने उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों, संविधान बनते समय फीड्रल न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों का ध्यान रखा था। उन का विचार था कि उच्चत्तम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृति की आयु में तीन या पांच वर्ष का अन्तर होना चाहिये। इस बारे में विधि आयोग का मत है कि यदि अधिक आयु होने पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मी मल्ल बरुआ]

उच्चतम न्यायालय के लिये चुना जाता है, तो उसे कोई लाभ नहीं है। फिर, उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति पत्र में एक यह शर्त होनी चाहिये कि वह उच्चतम न्यायालय के लिए चुना जा सकता है। साधारण रूप में, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि उच्च न्यायालयों के लिए सकुशल न्यायाधीशों का चुनाव हो।

मैंने अपना दूसरा संशोधन इसलिए रखा है कि यही सिद्धांत विधेयक के खण्ड २ में स्वीकार किया गया है। इस का कोई कारण ही नहीं है कि भेदभाव हो। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृति आयु में अन्तर रखने का कोई भी कारण नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि औचित्य की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु निर्धारण के लिए वही सिद्धांत अपनाया जाये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अपनाया गया है। फिर, मैं यह भी कहूंगा कि अगर हम उच्च न्यायालयों के दक्ष न्यायाधीश चाहते हैं तो हमें उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिये।

खण्ड ४ (ख) के बारे में मुझे कुछ कहना है। यह खण्ड व्यक्ति विशेष के बारे में उल्लेख करता है। मेरे मित्र श्री चौधरी ने कहा था कि मामले की सुनवाई कल उच्चतम न्यायालय में होगी। इससे पहिले विधि मंत्री ने मामले और अमुक न्यायाधीश के बारे में अवाधित रूप से बात की। मेरा ख्याल है हमारे देश में इस प्रवृति पर प्रतिबंध होना चाहिये।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर): आयु निर्धारण के बारे में जो भी माननीय विधि मंत्री ने कहा है उस में कोई औचित्य नहीं है। प्रतीत होता है कि वह इस बात से प्रभावित थे कि इतने न्यायाधीश सेवा निवृत हो जायेंगे और शायद स्वयं उन्होंने या उन की ओर से किसी और ने यह कहा होगा कि यदि उन्हें दो वर्ष और मिल जायें, तो पर्याप्त रहेगा। अन्य २ की वृद्धि करने में कोई तर्क नहीं है। अपितु, ऐसा करने से तो न्यायाधीशों का पतन होता है। वे सोचेंगे कि ठीक है, चलो दो वर्ष और मिले और बाद में हम वही वकालत कर सकते हैं या कोई नौकरी कर सकते हैं। इसकी ओर अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है और विधि आयोग ने सिफारिश की है कि आयु पैंसठ वर्ष होनी चाहिये। संयुक्त समिति में सभी साक्षी इस के समर्थक थे। फिर, मेरी समझ में नहीं आता कि विधि मंत्री के साथ क्या कारण रहे। यहां सभा में भी सभी ने इस का समर्थन किया है। अतः इन सारे तर्कों के होते हुए भी आयु सीमा को बढ़ा कर पैंसठ वर्ष करने के लिए मना करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। निस्संदेह कोई सीमा होनी चाहिये और मैंने अपने संशोधन में कहा है कि उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। यह प्रथा न्यायाधीश के पद के लिए अपमानजनक है। अतः मैं फिर विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आयु बढ़ा कर ६५ वर्ष करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करें।

मेरा दूसरा संशोधन खंण्ड २ के अनुकूल है। । मेरा ख्याल है कि सरकार पहिले ही कुछ निश्चय कर चुकी है और अब इस खण्ड को रख कर उन्हें मान्यता देना चाहती है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : माननीय विधि मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार उच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों को, जो १ जनवरी को सेवा निवृत होने वाले थे, इस आयु वृद्धि को अर्थात आयु बढ़ा कर ६२ वर्ष करने का लाभ देने पर विचार कर रही है। उनके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वे सेवा निवृत हो गये हैं। मेरा दूसरा संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारण के बारे में है। मैंने भी लगभग वही प्रक्रिया सुझायी है जो मैंने उच्चत्तम

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सुझायी थी और कहा था कि ठीक आयु निर्धारण नियुक्ति के समय होगा और नियुक्ति पत्र में उस का उल्लेख कर दिया जायेगा ।

†**श्री बकर अली मिर्जा** (वारंगल) : श्रीमान, सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु ६२ वर्ष हो या ६५ वर्ष हो । यदि हम न्यायाधीश की आयु पर कोई रोक न लगायें और उसे जीवन के लिए न्यायाधीश बना दें, तो हम वे सब कठिनाइयां दूर कर सकते हैं जो हमारे सामने हैं । मैं इस बारे में श्री कृष्ण मेनन से पूर्णतया सहमत हूं कि न्यायाधीशों को जीवन भर के लिये नियुक्त किया जाये । फिर, इस से पेंशन की भी बचत होगी । डा० सिंघवी ने कहा कि यह ६४ या ६५ वर्ष होनी चाहिये । यह ऐसा लगता है कि जैसे न्यायाधीशों को फंसाने का जाल है । यदि एक वर्ष का व्यक्ति के लिये इतना महत्व है तो, वह इस योग्य ही नहीं है कि उसे सेवा में लिया जाये । दूसरी ओर यदि वे जीवन भर के लिये नियुक्त किये जायें तो आयु निर्धारण की समस्या न रहेगी और प्रशासन भी ठीक होगा ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : खंड २ का संशोधन पहिले ही स्वीकार किया जा चुका है और इस से वही बात हो गई है जो विधि मंत्री हटाना चाहते हैं । श्री सीतलवाद ने कहा था कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की आयु निर्धारण का अधिकार दे कर हम संविधान में उन के व्यक्तिगत निर्णय की बात शामिल करेंगे जो मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी नहीं है । फिर मेरे दो सुझाव हैं पहिला यह है कि शब्द 'वाद' को 'में' में बदल सकते हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : विधि मंत्री पहिले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आयु निर्धारण नियुक्ति के समय पर होना चाहिये । परन्तु अब जो भी हो रहा है वह कार्य पालिका के आदेशाधीन हो रहा है । अतः यदि मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो इसे मान्यता व संवैधानिकता मिल जायेगी ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं अपनी बात मुख्य प्रस्ताव के उत्तर में पहिले ही कह चुका हूं । मैं ने बताया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारण करना क्यों आवश्यक है । संयुक्त समिति में केवल यह बात कही गई थी कि संसद को दिया गया आश्वासन, कि अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा, संवैधानिक उपबन्ध बनना चाहिये और हम ने यह स्वीकार कर लिया है । इस के बाद मैं नहीं जानता कि कोई बात कैसे कही जा सकती है जो उपबन्ध के विरुद्ध हो जैसाकि संयुक्त समिति के बाद अब है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : आयु निर्धारण के मामले में माननीय विधि मंत्री उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में भेदभाव रखने के कारण बताने की कृपा करें ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने यह बात अन्य खण्ड अर्थात खंड २ के उत्तर में भी कही थी कि उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुत थोड़े हैं जबकि उच्च न्यायालयों के बहुत से हैं । समस्या उच्च न्यायालय में उत्पन्न हुई है । यह उच्चतम न्यायालय में उत्पन्न नहीं हुई है और न ऐसा होने की संभावना है । इस की संभावना उच्च न्यायालय में है । यदि व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में हों, तो विभिन्न उपबन्धों का होना भेदभाव नहीं है । अतः इस का कोई प्रश्न ही नहीं है । अधिकार का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होना चाहिये जैसाकि अब तक हुआ है । यह संविधान का उपबन्ध है । श्री भट्टाचार्य ने यह बात कही थी कि भाषा 'परामर्श से' होनी चाहिये 'परामर्श के बाद' नहीं होनी चाहिये । यह भाषा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

संविधान के अनुरूप प्रयोग को गई है जिस में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रयोग की गई है। वह भाषा यह है :

"उच्चतम न्यायालयों के तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर के, जिन से कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा . . . "।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** वहां राष्ट्रपति तथ्य के प्रश्न का निर्णय नहीं करते जबकि यहां करेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन :** वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का, अर्थात कि अमुक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है या नहीं, निश्चय करते हैं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** वह अपने-अपने मत की बात है।

†**श्री अ० कु० सेन :** बिल्कुल नहीं। उन्हें तथ्य के प्रश्न का निश्चय करना पड़ता है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** शायद यह मिश्रित प्रश्न है।

†**श्री अ० कु० सेन :** बिल्कुल नहीं। यह केवल तथ्य का प्रश्न है। उन्हें देखना होता है कि अनेक व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति परिस्थितियों में सर्वाधिक उचित व्यक्ति हैं। उन्हें अनेक व्यक्तियों के इतिहास, योग्यता और अनेक अन्य बातों का मूल्यांकन करना होता है इसका कोई महत्व नहीं है कि यह तथ्य का प्रश्न है या नहीं। प्रश्न यह है कि उन्हें राष्ट्रपति से परामर्श करना होता है। जो शब्दावली हम ने ली है, वह संविधान में पहिले ही प्रयोग हो चुकी है। अतः हम ने यह उचित समझा कि वही अभिव्यक्ति रखी जाये जो मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के उपबन्ध में भी की गई है। अतः मेरी राय में कोई उचित कारण नहीं है कि हम संयुक्त समिति रिपोर्ट स्वीकार न करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री कामत का संशोधन संख्या २५ और ३१ हैं। क्या वह इन पर मत विभाजन चाहते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है। ये दोनों संशोधन मत विभाजन के लिये स्थगित हुए।

संशोधन संख्या ३० भी मतदान के लिये स्थगित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ४, ४२ और ४५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री काशीराम गुप्त अपने संशोधन संख्या २६ पर मतविभाजन चाहते हैं ?

†**श्री काशी राम गुप्त :** जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है। संशोधन संख्या २६ मतदान के लिये स्थगित हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन सख्या २९ मत विभाजन के लिए स्थगित हुआ ।

संशोधन सख्या २७, ३२, ३३ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम चार स्थगित संशोधनों को और बाद में खंड को लेंगे । खंड ५ ।

खड ५--(अनुच्छेद २२२ का सशोधन)

†**श्री काशीराम गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं अपना संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** बदली होने पर भत्ता देने का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आता । यह कहना कि न्यायाधीशों की बदली नहीं होती है और बदली की जा सकती यदि भत्ता दिया जाये । यह बड़ा ही अजब तर्क है । इस का अर्थ है कि हम न्यायाधीशों को धन-प्रेमी बनाने जा रहे हैं । इस प्रकार का उपबन्ध संविधान में करना, संविधान की भावना के ही विरुद्ध है । न्यायाधीश ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं जो त्याग की मूर्ति रहे हैं और यदि न्यायाधीश ऐसा त्याग नहीं कर सकते . . . . .
(अन्तर्बाधा)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** यह परिभाषा दोनों पर लागू होती है । ब्राह्मण शब्द पर आपत्ति न उठाइये जो लोग वकालत से २०,००० या ५०,००० रुपये कमाते थे उन को ४०० या ५०० रुपये प्रति मास भत्ता दे कर कैसे संतुष्ट किया जा सकता है । इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिये । यदि इस का अधिक प्रभाव न होता, तो मैं यह संशोधन न लाता । यह संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए है कि जज भत्ते के आधार पर स्थानान्तरण नहीं करवाना चाहेंगे ? जो लोग इतनी कुर्बानी कर के जज बनते हैं उन्हें असाधारण व्यक्ति मानना चाहिये । यह भेदभाव वाली व्यवस्था होगी । न्यायालय में इस के बारे प्रश्न उठाया जा सकता है । यह संविधान के अनुकूल नहीं है । अतः इस खंड को हटा देना चाहिये या संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति में राजनीति का प्रभाव रहता है ।

सरकार ने विधि आयोग की इन सिफारिशों को कि संविधान के अनुच्छेद २१७(१) को संशोधित किया जाय कार्यान्वित नहीं किया है ।

विधेयक की यह व्यवस्था कि निवृत्त जज अपने उच्च न्यायालय में जा कर वकालत कर सकते थे बहुत आपत्तिजनक थी । इसे संयुक्त समिति ने हटा कर बहुत अच्छा काम किया है ।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, क्योंकि अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त दूसरे राज्य की भाषा इत्यादि जानने में उन्हें कठिनाई होती है अधिक स्थानांतरण से राष्ट्रीय एकता नहीं बढ़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खण्ड ५ में व्यवस्था की गई है कि प्रतिकर भत्ते का राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारण किया जाय। मेरा संशोधन है कि भत्ता अधिसुचना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये और वह अधिसूचना राजकीय राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिये, और दोनों सभाओं के पटलों पर रखी जानी चाहिये। आशा है कि विधि मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं ने इस बारे अपने विचार पहिले ही बता दिए हैं। मैं डा० सिंघवी का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं संशोधन को मतदान के लिये रखूं ?

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मंत्री महोदय ने मेरे संशोधन स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं दिए हैं। अतः अपने संशोधनों पर मत विभाजन चाहता हूं।

†**श्री काशीराम गुप्त :** मैं अपने संशोधन संख्या ३४ पर मत विभाजन चहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन संशोधनों पर मतविभाजन ४ बजे होगा।

खण्ड ६ (अनुच्छेद २२४ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड ६ लेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरी आपत्ति यह है कि खण्ड २ को निबटाये बिना हम इस खण्ड को नहीं ले सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की बात मैं मानता हूं पर बिना चर्चा के हम उसे लम्बित नहीं रख सकते। क्या इस पर कोई संशोधन हैं ?

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मेरा एक संशोधन है।

†**श्री अ० कु० सेन :** जहां तक खण्ड ५ पर डा० सिंघवी के संशोधन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में हम ऐसी अधिसुचनायें या राष्ट्रपति के ऐसे आदेश संसद के समक्ष रखना चाहते हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** उस खण्ड के वाद विवाद के उत्तर में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब उन्हों ने बता दिया है। आशा है कि माननीय सदस्य अब संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री काशी राम गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ३५ प्रस्तुत करता हूं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं अपना संशोधन संख्या ४७ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस खण्ड तथा इन संशोधनो पर मतदान बाद में होगा।

खण्ड ७ (नये अनुच्छेद २२४–क का रखा जाना)

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं अपना संशोधन सठख्या १८ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवायें क्यों ली जानी चाहियें यदि आवश्यक हो तो उनकी सेवायें तीन महीने से अधिक अवधि के लिये नहीं ली जानी चाहियें। यदि अनुभव की बात है, तो उनकी सेवा निवृत्ति की आयु ६२ से बढ़ा कर ६५ कर दी जानी चाहिये। इस मामले में कम से कम न्यायाधीशों की मर्यादा तथा उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रहने दिया जाना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** : मैं अपना संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १८ और ३६ सभा के समक्ष हैं।

श्री सिंहासन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस एमेंडमेंट के जरिये आप आर्टिकल २२४ का एमेंडमेंट करने जा रहे हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके द्वारा आप हाई कोर्ट के जजों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो आज इतनी ईमानदारी पाई जाती है, उस पर व्याघात करने जा रहे हैं। आप उनको एक लालच देने जा रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के जज को फिर से थोड़े अर्से के लिये एप्वाइंट किया जा सकता है। उसको अगर इस बात की आशा हो जाये कि रिटायर होने के बाद फिर से उसको रखा जा सकता है, तो इससे उसकी इंडिपेंडेंस में आप कुछ व्याघात करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी सर्विस की ईमानदारी के लिये यह चीज बहुत जरूरी है कि अगर उसने कोई ऐसा वैसा काम किया तो उसका प्रोमोशन रुक सकता है, उसकी तरक्की रुक सकती है। मैं उसूलन इस बात के खिलाफ हूं कि रिटायर होने के बाद किसी आदमी को फिर से एप्वाइंट किया जाये। रिटायर होने के बाद उसको कोई डर नहीं रहता है कि उसका प्रोमोशन रुकने वाला है, तरक्की रुकने वाली है और अगर वह बेईमानी करना चाहता है तो खुलेआम कर सकता है और अगर कोई नाराज हो जाता है तो वह उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वह हटा हुआ तो है ही। अगर हाई कोर्ट के जज में इस तरह की कोई भावना नहीं रही कि चीफ जस्टिस या कोई उसका जूनियर, उसके ६२ साल की उम्र के बाद रिटायर होने जाने पर, उसको दुबारा रख सकता है, तो इससे उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उस पर व्याघात पहुंचेगा। वह उनके पास जा कर प्रार्थना करेगा कि मुझे रख लो।

फिर आपने यह भी कहीं नहीं कहा है कि कितने अर्से के लिये उसको रखा जा सकता है, कितने दिनों के लिये रखा जा सकता है, एक बरस के लिये, दो बरस के लिये, एक महीने के लिये या तीन महीने के लिये और क्या इनकी उम्र होनी चाहिये। आर्टिकल २२४ के अन्दर आपको यह पावर मिली हुई है कि अगर जरूरत पड़े तो नये आदमी को रखा जा सकता है, टम्पोरेरी जजिज मुकर्रर किये जा सकते हैं। ऐसी हालत में हाई कोर्ट का जो जज रिटायर हो चुका है, उसको फिर से लेने की क्या जरूरत आपको पड़ी। क्या हमारे देश में टेलेंट की कमी आपको दिखाई देती है? यह बात अगर कही जाती है तो इसको माना नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट्स के जजिज को इस तरह का कोई मौका न दें कि वे फिर से नीचे गिरें और अगर ऐसा होता है तो इससे उनकी इंडिपेंडेंस पर बड़ा व्याघात पहुंचेगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रस्तावित अनुच्छेद २२४क के संबंध में मुझे संशय है कि इसकी आड़ में लोग कुछ न्यायाधीशों के साथ पक्षपात करेंगे। संविधान सभा में तदर्थ न्यायाधीश रखने की प्रथा को स्वीकार नहीं किया गया था। यह उपबन्ध संविधान की भावना के विपरीत है। मैं समझता हूं कि इससे पक्षपात के द्वार खुल जायेंगे। मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार नहीं करेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सब से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस विधेयक के वाद विवाद का गला न घोटा जाये और इसे जल्दबाजी में पास न किया जाये क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

यह संविधान संशोधन विधेयक है और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि आवश्यकता हो तो आप इसके वाद-विवाद के लिये समय बढ़ा दें।

यह अनुच्छेद, अनुच्छेद २२४ से कुछ हद तक संबंधित है। अनुच्छेद २२४ के खंड (१) तथा (२) में राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किये जाने का उपबन्ध है। परन्तु अनुच्छेद २२४ क में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सेवा निवृत न्यायाधीशों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का अधिकार देने का उपबन्ध किया जा रहा है। इस प्रकार तदर्थ आधार पर नियुक्त न्यायाधीश पूर्ण अधिकारों, विशेशाधिकारों तथा क्षेत्राधिकारों के साथ काम करेंगे। यदि सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी, तो इस बात की गुंजाइश रहेगी कि इसका दुरुपयोग किया जाये।

इस खंड के एक परन्तुक में कहा गया है कि ऐसे मामलों में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश को अनुमति भी ली जायेगी। यह एक हास्यस्पद उपबन्ध है।

†**श्री बड़े** : मूल संविधान में यह उपबन्ध था परन्तु १९५६ में इसे निकाल दिया गया और इसके स्थान पर वर्तमान अनुच्छेद २२४ रख. गया। उस समय इस अनुच्छेद को निकालने का कारण यह बताया गया था कि यह उपबन्ध न पर्याप्त है और न सन्तोषजनक है।

अब हम पुनः इस संशोधन द्वारा पुराने अनुच्छेद को ला रहे हैं। हम संविधान को मनुस्मृति समझते हैं और छोटी छोटी बातों के लिये इसमें इस प्रकार संशोधन नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। खंड में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : परन्तुक में कहा गया है।

†**श्री त्यागी** : परन्तु इसका उल्लेख मुख्य खंड में होना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : वर्तमान अनुच्छेद २२४ राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह पिछड़े काम को निबटाने के लिये या काम बढ़ जाने पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कई बार काम न बढ़ने की अवस्था में या अस्थायी रूप से न्यायाधीशों को नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिये यदि कोई न्यायाधीश बीमारी के कारण अनुपस्थित हो या उसे कोई विशेष काम दिया गया हो, तो उसका काम निबटाने के लिये नियुक्ति आवश्यक हो जाती है। जब श्री जगन्नाथदास को वेतन आयोग का सभापति बनाया गया था तो उनके स्थान पर एक न्यायाधीन की तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ी थी। ऐसे मामले इस अनुच्छेद के उपबन्ध के अधीन नहीं आते।

जब अनुच्छेद २२४ का संशोधन किया गया था, उस समय इस अवस्था का अनुमान नहीं था। डा० सिंघवी ने भ्रष्टाचार की शंका प्रकट की है, मेरा कहना है कि पुराने वाले अनुच्छेद में इसकी अधिक संभावना थी जब नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को था। अब नियुक्ति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है।

अतः यह उपबन्ध अनुच्छेद १२८ के अनुसार ही है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह किसी सेना निवृत्त न्यायाधीश को किसी न्यायाधीश की अस्थायी छुट्टी आदि के स्थान पर नियुक्त कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः यह बहुत आवश्यक है। अतः वकीलों में से किसी को न्यायाधीश नियुक्त करने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि किसी सेवा निवृत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाये। विधि जीवी संस्थायें भी इस प्रकार की अस्थायी नियुक्तियों के विरूद्ध रही हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : क्या तदर्थ नियुक्ति वाला न्यायाधीश बाद में वकालत कर सकेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी नहीं, वह वकालत नहीं कर सकता।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : खंड में कहा गया है कि उसे एक न्यायाधीश के अधिकार, विशेषाधिकार तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे, परन्तु अन्यथा उसे उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जायेगा। इसका क्या अभिप्राय है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह उपबन्ध यह बताने के लिये है कि उस की स्थिति नियमित न्यायाधीश से भिन्न होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या १८ और ३६ को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन सख्या १८ और ३६ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

खण्ड ८

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ८ पर कोई संशोधन नहीं है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ३७ प्रस्तुत करता हूं।

ध्यान न रहने के कारण संयुक्त समिति में इस संबंध में विचार नहीं किया जा सका। कुछ क्षेत्रों से शिकायतें आई थीं कि उन क्षेत्रों पर अनुच्छेद २७६ लागू होता है और उन्हें बहुत अधिक कभी कभी चार से आठ गुना तक कर देना पड़ता है। संयुक्त समिति का सर्वसम्मत निर्णय था कि २५० रु० को बढ़ा कर ५०० रु० न किया जाये।

यदि अनुच्छेद २७६ के खंड (२) का यह परन्तुक निकाला नहीं जायेगा, तो इसके अधीन अधिकार प्राप्त नगरपालिकायें कर बढ़ाती जायेंगी और जनता का कष्ट बढ़ता जायेगा। हमने २५० रु० को बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि वे भी अन्य के समकक्ष हो जायें। अन्यथा यह भेद-भाव होगा और लोगों को कष्ट होगा। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री यह संशोधन स्वीकार कर लें।

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरा निवेदन है कि संसद् कभी भी उस अधिनियम को रद्द कर सकती है। उपबन्ध में कहा गया है कि तभी तक ऐसे कर लिये जाते रहेंगे, जब तक कि संसद् इसके विरुद्ध उपबन्ध न बनाये संविधान लागू होने से पहले जो कर की दरें थीं, उन्हें ही मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद कभी भी इस संबंध में अपना निर्णय दे सकती है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : क्या माननीय मंत्री ऐसा कोई विधान पेश करने वाले हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इस प्रकार कोई वचन नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ३७ को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड ९ लेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री ने विधेयक को समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय, या आज भी यह नहीं बताया कि 'कांटोनेंटल शेल्फ' का क्या अर्थ है मैं जानता हूं कि उनके साथ बहुमत है और यह विधेयक पास भी हो जायेगा। परन्तु हर व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह 'कांटीनेंटल शेल्फ' का अर्थ जानता ही होगा, अतः उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिये।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं अनुच्छेद २९७ का संशोधन करने वाले प्रस्तावित खंड ९ का स्वागत करता हूं। यद्यपि यह विलम्ब से लाया गया है फिर भी इसका स्वागत है क्योंकि यह समुद्री सीमा पट्टी पर भारत संघ के क्षेत्राधिकार को बढ़ाता है। आशा है कि भविष्य में देश के आर्थिक विकास के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम एक पुरानी परिपाटी का पालन कर रहे हैं कि जिन मामलों पर विवाद न हो उन पर सभा का समय बरबाद न किया जाये। इसी कारण मैं ने 'कांन्टीनेंटल शेल्फ' की व्याख्या नहीं की थी। समुद्र के उस भाग को कान्टीनेंटल शेल्फ कहते हैं, जो समुद्र सीमा पट्टी के आगे होता है, और अब जिसे आसन्न राज्य के अधिकार में माना जाता है, जहां तक कि उसमें प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों तथा अन्य वस्तुओं का संबंध है। समुद्र संबंधी कानून में यह मान लिया गया है कि ऐसी पट्टी की सम्पत्ति उसके आसन्न राष्ट्र की मानी जानी चाहिए क्योंकि आसन्न देश उसे बड़ी सरलता से निकाल सकता है। यह समुद्री सीमा (टेरीटोरियल सी) से भिन्न है, क्योंकि समुद्री सीमा तट से ६ मील दूर तक होती है और वह देश का एक भाग होती है।

†**श्री रंगा** : भारत समुद्र में कितनी दूर तक अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है?

श्री अ० कु० सेन: २०० मील तक। परन्तु कान्टीनेटल शेल्फ और टेरीटोरियल वाटर्स में अन्तर है। कान्टीनेंटल शेल्फ भी खनिज सम्पत्ति आदि पर आसन्न राज्य का अधिकार होता है परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह उस देश के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं होता। चूंकि हमारे संविधान में इसका उपबन्ध नहीं था और आज संसार के सभी देश इसको मानते हैं कि कान्टीनेंटल शेल्फ भी सम्पत्ति पर आसन्न राज्य का अधिकार होता है, अतः हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कुछ राज्य इस मामले में १२ मील और कुछ राज्य ६ मील तक कान्टीनेंटल शेल्फ मानते हैं?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस दूरी के संबंध में कोई सर्व सम्मत निर्णय नहीं है। इस मामले में समुद्री कानूनी संबंधी सम्मेलन है में कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड १० लेंगे।

खण्ड १० (अनुच्छेद ३११ का संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या ३८ और ४० प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १८,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिये जायें —

"and where it is proposed, after such inquiry, to impose on him any such penaty, until he has been given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed but only on the basis of the evidence adduced during such inquiry."

["और जिस मामले में ऐसी जांच के बाद उस पर कोई ऐसा दण्ड लगाने का प्रस्ताव हो, जब तक कि प्रस्तावित दण्ड के संबंध में उसे अपनी बात कहने का समुचित अवसर न दिया गया हो बल्कि ऐसी जांच के दौरान पेश किये गय साक्ष्य के आधार पर "] (४१)

†**श्री बड़े :** मैं अपना संशोधन २० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रभात कार :** मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं अपना संशोधन संख्या ५३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ५१ और ५२ प्रस्तुत करता हूं

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह एक विचित्र संयोग है कि मई दिवस के दिन हम इस संशोधन बिल पर विचार कर रहे हैं । यह संशोधन असैनिक कर्मचारियों के अधिकारों पर आक्रमण है । ब्रिटिश युग में भी और १९६० की आम हड़ताल में भी मजदूरों ने बड़ा अनुशासनपूर्ण व्यवहार किया है । अभी हाल में चीनी आक्रमण के समय भी मजदूरों ने परिश्रम ही नहीं बल्कि जीवन की बाजी लगाने की पेशकश की है । परन्तु बड़े दुख की बात है कि उन्हीं मजदूरों के अधिकारों का हम हनन कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री विरोधी पक्ष की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दीखते । सबसे अच्छा यही है कि इस अनुच्छेद को उसके मूल रूप से रहने दिया जाये । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को छोड़ दें । वह स्थिति को और भी अधिक खराब न करे और आवश्वासन दें कि मजदूरों के अधिकारों का हनन नहीं होगा ।

मुझे बताया गया है कि रेलवे संस्थापन संहिता या ऐक्ट की धारा १४९ के अधीन जनरल मैनेजर बिना किसी जांच के और बिना किसी कारण के रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** कहां है यह नियम—

†**श्री प्रिय गुप्त :** नियम संख्या १४९ है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत:** मेरा अनुरोध है कि इसे यथासंभव शीघ्र संहिता से निकाल दिया जाये । अत: मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिये जायें ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, यह क्लाज़ जब अमेंडमेंट के वास्ते सामने आया तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कर्मचारी हैं तथा शासन के कर्मचारी हैं उन के दिल में

---

†मूल अंग्रेजी में

इस को लेकर एक डर की भावना घर कर गयी । एक तरफ तो कांग्रेस सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी क़ायम करने जा रही है, ऐसा होते हुए यह समझ में नहीं आता है कि यह **सैकेंड अपौरचुनिटी** का जो राइट है उसे यह सरकार क्यों छीनने जा रही है ?

इस के बारे में आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने जो अभी अमेंडमेंट दिया है उस में यह लिखा है :—

"और जहां यह प्रस्ताव है, ऐसी जांच के पश्चात् जब तक प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में प्रतिनिधान करने का युक्तिसंगत अवसर उसे न दिया जाये, उस पर इस प्रकार दण्ड करना....."

कांस्टीट्यूशन का जो ओरीजिनल आर्टिकिल ३११(२) है उस में यह शब्द लिखे हुए हैं :—

"जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दिया गया हो....."

अब रीजनबुल अपौरचुनिटी औफ़ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब **शोइंग काज** कैसे हो गया? माननीय मंत्री ओरीजनल आर्टिकिल की जो वर्डिंगस हैं उनको क़ायम नहीं रखना चाहते हैं । मेरा कहना है कि उसमें गवर्नमेंट जो संशोधन कर रही है उसका उद्देश्य कर्मचारियों का जो सैकेंड अपौरचुनिटी का हक़ है उसको नष्ट करना है । संविधान की वर्तमान शब्दावली के क़ायम रहने से कभी कभी हाईकोर्टस में शासन को नीचा देखना पड़ता है, उसको शासन इसमें संशोधन करके हमेंशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है इसी कारण कर्मचारियों के इस बुनियादी हक़ पर इस प्रकार से कुठराघात हो रहा है ।

अगर यह सरकार दरअसल दिस से इस देश में सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी को क़ायम करना चाहती है और यह चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों के राइट्स पर कुठाराघात न हो और वे सुरक्षित रहें और जैसा कि कल हाउस में मंत्री महोदय ने कहा भी है तो मैं कहता हूं कि उनको यह शोइंग काज़ रखने में कौन सी आपत्ति है ? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर केवल यही रहेगा कि वह अपना रिप्रेजेंटेशन लिख कर दे सकता है तो वह पर्याप्त न होगा और इसलिए मैं पुनः कहता हूं यह रिप्रैजेंटेशन का शब्द निकलना काहिए और उसके बजाय शोइंग काज जैसा कि पहले था वही क़ायम रखना चाहिए । मैं ने यह देखा है कि आज कल जैसा शासन का रवैय्या जनता के प्रति है उसके मुक़ाबले जब कांस्टीट्यूशन बन रहा था और पास किया जा रहा था तब शासन की जनता के प्रति उदार कल्पना थी ।

अब सरकाह धीरे धीरे उस कल्पना को निकाल कर एक दूसरी कल्पना को अपना रही है और जनता के हकों को अपने हाथ में ले कर एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमैंट और हिटलर की गवर्नमैंट स्थापिन करने और आतंक जमाने के उदेश्य से काम कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में पोलीटिकल पार्टीज का स्थान होता है और उन पोलीटिकल पार्टीज में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और कम्यूनिष्ट पार्टी जैसी आपोज़ीशन पार्टिया भी हैं । यदि कोई भी एक-आध कर्मचारी मेरे पास या जनसंघ के पाश गया, तो झट उस के खिलाफ़ एप्लिकेशन दे दी जाती है क्योंकि जो छोटे छोटे नेता और छुटभैये नेता होते है, वे उस कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाने लगते हैं । इस अवस्था में उस के विरुद्ध एन्क्वायरी करने के वाद उसको सेंकंड अपरटूनिटी न देना उचित नहीं हे । डेमोक्रेसी में गाव-गांव में पोलीटि-पार्टीज़ का वातावरण रहता है । इसलिए कमचारियों के हकों कों कायम रखने के लिए माननीय मत्री जी को आरिजिनल क्लाज को ही रखना चाहिए । तभी जनता और साधारण कमचारियों में शासन क प्रति विश्यास उत्पन्न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार :** विधि मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह अनुच्छेद ३११ में किया जाने वाला संशोधन वापस ले लें । इस में कुछ रियायत की गई है किन्तु अधिक नहीं । इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है कि यह संक्षिप्त शक्ति निरंकुश रूप में प्रयुक्त नहीं की जायेगी । असैनिक कर्मचारियों से यह मूलभूत अधिकार ले लेना और उवन्हें पदाधिकारियों की दया पर आश्रित कर देना गलत है । इन कर्मचारियों ने प्रशासन के विकास में महत्वपूर्न भाग लिया है । इस संकट काल में उन्हों ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी का परिचय दिया है । संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य देने वाले सब व्यक्तियों ने इस संशोधन का विरोध किया है । अनुच्छेद ३११ में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री प्रिय गुप्त:** मैं विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं । दुनिया के और देश कहेंगे कि हमारे यहां श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है तथा जिन के पास शक्ति है उन में कुछ परिवर्तन हो गया है । अबडी कांग्रेस और समाजवादी ढंग के समाज निर्माण की स्थापना के निर्णय के पश्चात् क्या हम श्रमिकों के मूल भूत अधिकारों को कम कर रहे हैं ।

संकट काल में एकपक्षीय रूप में सेवा सम्बन्धी दशाओं में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय औद्योगिक समझौते के अन्तर्गत किया गया था । समझ में नहीं आता कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है । ऐसा करने से श्रमिकवर्ग के अधिकार कम हो जायेंगे । श्रमिक इसे सहन नहीं करेंगे । श्रमिकों का विश्वास प्राप्त किये बिना सरकार का काम कैसे चलेगा । मैं इस का विरोध करता हूं । यह भारत के संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों का हनन है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी :** सरकार ने जो निर्णय किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस का प्रभाव अपरिमित संख्या में कर्मचारियों पर होगा । इस विषय में व्यापक रूप में देश में चिन्ता व्यक्त की गई है । संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस दिशा में पर्याप्त आशंका अभिव्यक्त की गई है । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने पद में कमी, जो नौकरी समाप्त करने अथवा उस से हटाने के समान है, के सम्बन्ध में दी गई गारण्टी दूर करने का निर्णय कर लिया है । किन्तु कर्मचारी के लिये अब प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में दूसरा अवसर देने के बारे में संयुक्त समिति के अनुसार सरकार ने बिल में उपबन्ध नहीं किया है ।

अब केवल अभ्यावेदन की व्यवस्था है । हम सब जानते हैं कि अभ्यावेदन रद्दी की टोकरी में भेंट हो जाता है । यथार्थता यह है कि दूसरा अवसर निरा भ्रम है । सरकार को अधिक प्रभावपूर्ण अपील का उपबन्ध करना चाहिये ताकि कर्मचारियों की उचित शिकायतें दूर की जा सकें ।

†**श्री रंगा** (त्रित्तूर) : मैं विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं । प्रत्येक कर्मचारी को यह आशंका रहती है कि कहीं उच्च पदाधिकारी उस के प्रति स्वेच्छाचारी व्यवहार न करे । हमारा अनुभव है कि सिविल कर्मचारियों के मामलों में राजनीति का प्रभाव लक्षित होता है । जो भी कर्मचारी राजनीति के क्षेत्रों में अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के सामने नतमस्तक नहीं होते उन्हें सदा किसी न किसी हानि का भय बना रहता है । संविधानके अधीन सिविल सर्विस को जो संरक्षण प्रदान किया गया है हमें उस का हनन नहीं करना चाहिये । यदि हम इस प्रकार कोई परिवर्तन करेंगे तो सामाजिक जीवन की नींव को ही खतरा पैदा हो जायेगा ।

मेरी सरकार और कांग्रेस से अपील है कि वे सभा में समग्र विरोधी दलों द्वारा दिये गये चेतावनी के इस स्वर की ओर ध्यान देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** सामान्य जन की तुलना में सिविल कर्मचारियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं । इस तरह की बात कठिन है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों कठिनाई का सामना करेंगे । अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में सिविल कर्मचारियों की स्थिति अच्छी है ; वे अधिक सुरक्षित हैं । सिविल कर्मचारी सुसंगठित हैं ; उन के पीछे शक्ति है ; उन को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हैं ।

'इंडिया लॉ इंस्टीटयूट' ने एक मामले का अध्ययन करते हुए दूसरे अवसर की उपयोगिता के बारे में कहा है कि इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि दूसरी बार की उपपत्ति से अपराधी कर्मचारी निरपराध सिद्ध हो जायेगा ।

†**श्री दाजी :** मैं "प्रस्तावित दण्ड" शब्दों का अर्थ जानना चाहता हूं । क्या इस का अर्थ यह है कि कर्मचारी दण्ड में कमी करने के बारे में निवेदन कर सकता है किन्तु दण्ड के विरुद्ध नहीं कर सकता है । उसे दोनों बातों के बारे में निवेदन करने का अवसर मिलना चाहिये ।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : यह सिविल कर्मचारियों की सेवा की दशाओं में एक मूलभूत परिवर्तन है । न्यायालयों के अनेक निर्णयों से यह बात स्पष्ट हो गई है । अंग्रेजी शासन में भी यही स्थिति थी । इस मूलभूत परिवर्तन का क्या कारण है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालकार** (होशियारपुर) : विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन से न्याय की आवश्यकतापूर्ति नहीं होगी । जब हम दंड की चरम सीमा के विषय पर विचार कर रहे हैं तो न्याय की मांग है कि उन्हें पूरे अवसर दिये जायें ।

उस संशोधन को स्वीकार कर लेने से पदाधिकारियों की वृत्ति अधिक कटोर हो जायेगी और इस संशोधन से उन्हें यह आभास मिल जायेगा कि जांच के समय उन्हें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सिविल कर्मचारियों को आज प्रथम मई के दिवस पर स्तुति प्रदान की जा रही है--उसे श्रमिक और कार्यकर्त्ता के विशेषण से सम्बोधित किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि सिविल कर्मचारियों को यह शब्द सुन कर निस्सन्देह ही प्रसन्नता होगी । सरकार के अतिरिक्त और व्यक्ति भी उस के बारे में विचार करते हैं ।

मूल धारणा के बारे में मेरा मत दुष्ट हो गया है कि संविधान की वर्तमान व्यवस्था से अनेक व्यक्तियों ने यह सम्मति बना ली है कि अनुच्छेद ३११ में प्रयुक्त शब्दों से सम्बन्धित पदाधिकारियों को दूसरी जांच का अवसर मिलता है । मुझे यहां श्री दाजी और अन्य सदस्यों ने बताया है कि उन सब की इच्छा है कि प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में अभ्यावेदन का अधिकार दिया जाये क्योंकि उन की सम्मति में अनुच्छेद ३११ के अधीन दूसरे अवसर का उपबन्ध नहीं है । श्री कृष्ण मेनन और अन्य सदस्यों के भाषण सुनने के पश्चात् यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस विषय में पर्याप्त मतभेद है । श्री प्रिय गुप्त के मतानुसार एक महत्वपूर्ण अधिकार का हनन किया जा रहा है । सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावित दण्ड पर अभ्यावेदन की आवश्यकता नहीं है परन्तु जैसा संथानम् समिति की रिपोर्ट में बताया गया है, उस की निरपराधिता के प्रश्न पर पुनः सुनवाई की आवश्यकता है ।

श्री मेनन ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा संवैधानिक संरक्षण का हरण किया जा रहा है । इस संशोधन द्वारा हम संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कही गई बात से भी कुछ अतिरिक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था कर रहे हैं । सभासदों ने मांग की है कि वे प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में अभ्यावेदन का उपबन्ध चाहते हैं । यहां मांग की गई है कि आरोपों की सुनवाई और तथ्यों के निष्कर्ष के पश्चात पदाधिकारी को तथ्यों और प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में अभ्यावेदन का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । मैं ने यह संशोधन उस समय प्रस्तुत किया है जब सिविल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मुझ से एक भेंट में यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें मामले में पुनः सुनवाई का अधिकार नहीं चाहिये परन्तु प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में अभ्यावेदन का अवसर चाहिये ।

मुझे जो ड्राफ्ट प्रारम्भ में दिया गया था उस में केवल "पहले से निष्कर्ष किया गया साक्ष्य" शब्द थे और मैंने उन्हें बदल कर "जांच के दौरान निष्कर्ष किया गया साक्ष्य" शब्द कर दिये । मैंने लाबी में जो जांच पड़ताल की, जिस में श्री दाजी भी थे, वह यह थी कि क्या "प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में अभ्यावेदन का अधिकार" शब्द "प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध" शब्द के पर्याय हैं । मैं यह बात समझ सकता हूं किन्तु यह कथन कि एक बड़ा संवैधानिक संरक्षण लिया जा रहा है सर्वथा निराधार है ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी :** मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस संशोधन में केवल उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अक्षरशः रख दिया गया है । उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि दूसरा अवसर प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर मात्र है फिर अनुच्छेद ३११ को पूर्ववत क्यों नहीं बना रहने दिया जाये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यदि ऐसी बात है तो इस का स्पष्टीकरण करने में कोई हानि नहीं है

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अनुच्छेद में संशोधन क्यों कर रहे हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** श्री मेनन जैसे कुछ कुछ उत्तरदायी व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि एक बड़ा संवैधानिक संरक्षण छीन लिया है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस मामले को इतना स्पष्ट कर दिया जाये कि भविष्य में इस प्रश्न पर कोई मतभेद न हो ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावित दण्ड सम्बन्धी अभ्यावेदन "प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध" शब्द "प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अवसर" के समान ही हैं । वस्तुतः ये शब्द व्यापक हैं क्योंकि इन्हें "दण्ड के विरुद्ध" शब्दों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये । इन में दण्ड से सम्बन्धित सब बातें सम्मिलित हो सकती हैं । अतः "दण्ड सम्बन्धी" शब्दों को प्रयुक्त हम इसे इतना व्यापक बनाना चाहते हैं कि उस में दण्ड सम्बन्धी अभ्यावेदन भी सम्मिलित किया जा सके ।

उस से सब आपत्तियां दूर हो जाती हैं । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर ही हम ने यह बात स्पष्ट कर दी है । मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस यथार्थ धारणा के अधीन यह संशोधन किया गया है कि यही विधि की स्थिति है, अर्थात् दूसरा अवसर न्यायालय के निर्णय से कहीं अधिक व्यापक है और सरकार इसे अनुच्छेद का उचित क्षेत्राधिकार समझती है । इस आशंका के कारण ही इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की स्थिति असंदिग्ध कर दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं इन में से किसी संशोधन को मौखिक मतदान के लिये प्रस्तुत करूं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जी नहीं, मेरा आग्रह है कि इस पर मत विभाजन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३०० ; विपक्ष में ९ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २८८ ; विपक्ष में ३५ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २५ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३७ ; विपक्ष में २८८ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सख्या ३१ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३२ ; विपक्ष में २९० ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या प्रत्येक संशोधन पर मत विभाजन होगा ?

†**कुछ माननीय सदस्य:** ध्वन्यात्मक मतदान ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३०, २६ और २९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड ४ पर कुल संशोधन अस्वीकृत हो गये । इस खंड पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है । इसलिए अब मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत:** इस खंड के दो उपखंड हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं । इसलिए इन्हें अलग-अलग मतदान के लिये रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में अब कुछ नहीं किया जा सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम पहले प्रक्रमों में अपना मत नहीं दे सके क्योंकि हम पुस्तकालय में थे और हमें वहां घंटी सुनाई नहीं दी । घंटी बजने से पहले ही परीक्षा कर ली जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी परीक्षा करवाऊंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९१ ; विपक्ष में ३७ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५

अध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या ४६ तथा ३४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३१३ ; विपक्ष में ११ ।

प्रस्ताव सभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५ और ४७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३१० ; विपक्ष में १४ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २८९ ; विपक्ष में ४१ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३२४ ; विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३२८ ; विपक्ष में कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या किसी संशोधन पर मत विभाजन होना है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या ३८ को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं, किन्तु संशोधन संख्या ४० पर मत विभाजन किया जाये ।

सशोधन सख्या ३८, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सख्या ५३, ५१ और ५२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४० मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३८; विपक्ष में २९० ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति १८—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"and where it is proposed, after such inquiry, to impose on him any such penalty, until he has been given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed but only on the basis of the evidence adduced during such inquiry".

["और जिस मामले में ऐसी जांच के बाद उस पर कोई ऐसा दण्ड लगाने का प्रस्ताव हो, जब तक कि प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में उसे अपनी बात कहने का समुचित अवसर न दिया गया हो बल्कि ऐसी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर"] (४१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० और २१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २८७ ; विपक्ष में ४१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** इस अनुच्छेद में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । विरोधी पक्ष के सर्वसम्मत मत और बाहर के बहुमत को सरकार ने स्वीकार नहीं किया । इस के विरोध में मैं सभा का त्याग करता हूं ।

(श्री अ० क० गोपालन और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये ।)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आज अत्यन्त दुर्भाग्य का दिन है । मैं भी अपना विरोध प्रकट करता हूं और सभा का त्याग करता हूं ।

(श्री हरि विष्णु कामत और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये ।)

†**श्री रंगा :** मैं भी विरोधस्वरूप सभा का त्याग करता हूं ।

(श्री रंगा और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये ।)

†**अध्यक्ष महोदय :** . . . . खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०, संशोधित में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९० ; विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २८९; विपक्ष में १ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९० ; विपक्ष में १ ।

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३, संशोधित रूप में, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा के कार्य के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री स्वर्णसिंह वक्तव्य देंगे ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं सभा के स्थगित होने के पूर्व ही विभिन्न बातों और हाल ही में होने वाली घटनाओं के विषय में एक वक्तव्य दूंगा । इस समय बहुत से व्यक्ति यहां आये हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं । यह अच्छा होगा यदि बातचीत समाप्त होने के बाद ही मैं वक्तव्य दूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रेलवे मंत्री पहले ही कांग्रेस दल की बैठक में इस विषय में एक वक्तव्य दे चुके हैं । इस विषय में पहले संसद् में वक्तव्य दिया जाना चाहिये था ।

मत विभाजन के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या मैं एक बात के विषय में आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूं ? यहां पर १३ बार मत विभाजन हुआ । जहां तक मुझे ज्ञात है प्रत्येक बार, मत-विभाजन के बाद, घंटी बजाना चाहिये और दरवाजों को खोल देना चाहिये । हम यहां किन्तु दरवाजे बन्द थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे याद है कि कम से कम एक बार दरवाजे खोले गये थे । मैंने ऐसा करने के लिए कहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : किन्तु फिर भी दरवाजा नहीं खुला। हम बाहर ही बैठे रहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]।

---

*दिल्ली में खाद्य-पदार्थों में मिलावट

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक विषय पर चर्चा उठाना चाहता हूं जो हमारे लाखों देशवासियों के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। आज कल खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मिलावट की जाने वाली है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं कलकत्ता में अपने एक भाषण में कहा था कि मिलावट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। श्री करमरकर ने पिछली संसद् में कहा था कि मिलावट करने वाले अप्रत्यक्ष हत्यारे होते हैं उन्हें मत्युदण्ड दिया जाना चाहिये। आँध्र के मुख्य मंत्री श्री संजीवा रेड्डी ने भी कहा था कि उनके प्रदेश में बिकने वाले आधे से अधिक खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट होती है। सरकार जानती है कि मिलावट करने वाले कौन हैं, किन्तु सरकार का इरादा अच्छा होने के बाद भी इसकी उनके प्रति कार्यवाही करने की इच्छा नहीं होती। हम नहीं जानते कि सरकार इस विषय में कौन से कदम उठाने जा रही है। इसविषय में हम अभी तक अंधेरे में ही हैं।

हम योजना तो करते हैं किन्तु इसको कार्यान्वित नहीं करते। इस असफलता का कारण या तो कर्मचारियों की अकुशलता है या भ्रष्टाचार। मिलावट का पता चलाने के उपकरण भी उपयुक्त नहीं हैं और सरकार ने इस दिषा में अधिक ध्यान नहीं दिया है।

मैं ने सूचना में ४ बातों का उल्लेख किया है। पहली बात तो मंत्री द्वारा कलकत्ता में दिये गये भाषण में मिलावट करने के सामान के उत्पादन के बारे में थी। दूसरी बात इन कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में थी। दिल्ली में भी ऐसे कई भूमिगत कारखाने हैं। खाद्य पदार्थ और औषधियां दोनों ही बिना मिलावट के नहीं मिल पाते। यहाँ तक कि जहर में भी मिलावट की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि दिल्ली न्यूयार्क के समान मंहगी है। परन्तु न्यूयार्क में इतना कुछ दे कर एक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिलता है, जब कि यहाँ क्या स्थिति है खाद्यान्न नहीं मिलता, दवाईयाँ नहीं मिलती। यहाँ अपमिश्रण मिलता है और ज़हर मिलता है। मंत्री महोदय को तुरन्त ही एक नमूना सर्वेक्षण करवा कर यह मालूम करना चाहिये कि बाजार में जितनी दवाईयाँ मिलती हैं उन में से कितनी दवाइयाँ अपमिश्रित हैं यहाँ पर चावल, सोडावाटर, बर्फ आदि खाद्य वस्तुयें अपमिश्रित हैं। अभी अभी एक टाफी अथवा चाकलेट में से तार का टुकड़ा निकला था। यदि उसे वह बच्चा खा जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती।

स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना कि उन्होंने इस विभाग का कार्यभार थोड़े ही समय पूर्व सम्भाला है युक्तियुक्त हो संकता है परन्तु पर्याप्त नहीं। राजकुमारी अमृतकौर और श्री करमरकर

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के पूर्वाधिकारी थे। उन्होंने १५ वर्ष में क्या किया ? परन्तु अब भी संसद् के सम्मुख एक विधेयक लाने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? मेरा सुझाव है कि अपमिश्रण आदि को रोकने के लिये तुरन्त एक विधेयक लाया जाय और उस विधेयक में कड़ी से कड़ी सज़ा का उपबन्ध हो। रूस में ऐसे अपराध के लिये मत्युदण्ड रखा गया है। परन्तु मेरा सुझाव है कि इस अपराध के लिये खुले आम कोड़े लगने की सज़ा होनी चाहिये और यदि ऐसा अपराध बार बार किया जाये तो नागरिक अधिकारों से वंचित करने संबंधी उपबन्ध होना चाहिए। और अंत में ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को पूर्णत: जब्त कर लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह एक क्रूर उपचार है परन्तु क्रूर बीमारी के लिये क्रूर उपचार का होना भी आवश्यक है। यदि आप बहुत से लोगों का हित करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के साथ ज़ुल्म भी करना पड़ेगा।

"नान्य: पन्था विद्यते"।

इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस समस्या को और अधिक समय और अधिक ध्यान दे कर ऐसा विधेयक लायें ताकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो खतरा बना हुआ है उसे दूर कर सकें। खाद्यान्न और दवाईयों में अपमिश्रण होने से विदेशों में भी हमारी प्रतिष्ठा कम होती है। मुझे पूर्ण आशा है कि वह समय पर ही इस बीमारी का इलाज करेंगे ताकि यह उग्र रूप धारण न कर ले।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : स्वास्थ्य मंत्री ने कलकत्ता में कहा था कि बहुत से कारखाने ऐसी दवाईयों आदि का उत्पादन कर रहे हैं जिन से जनता के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिये सरकार क्या निश्चित कदम उठा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: उपाध्यक्ष महोदय,मैं श्री कामत और श्री हेम बरुआ के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने ने मुझे अपमिश्रण की स्थिति को बताने और इसे रोकने के लिये जो कार्यवाही की गई है और जिस कार्यवाही के किये जाने का प्रस्ताव है उसकी चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। यह ठीक है कि कलकत्ता में कुछ कारखानों द्वारा अपमिश्रित वस्तुयें तैयार किये जाने के बारे में वक्तव्य दिया था। जिस व्यक्ति ने मुझे ऐसी सूचना दी थी मैंने उसे ऐसे कारखाने में ले चलने के लिये कहा था परन्तु अभी तक वह मुझे नहीं ले गये। इस बीच में, हम ने तथ्यों को जानने का प्रयत्न किया और जो दो उदाहरण मेरे सामने हैं मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य भी उन से अवगत हों। एक कारखाना महाराष्ट्र में था। वहाँ पर चने के छिलके, फेरस लोहा और प्रतिषिद्ध रंगने की वस्तु, मरानिल, को मिला कर एक "गोल्डन ड्रिंक" निकाला गया। वह सार्थ उस के लिये एकस्व प्राप्त करने में भी सफल हो गया। जब यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई तो उस एकस्व को रद्द कर दिया गया और महाराष्ट्र सरकार को कहा गया कि वह आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर के व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा ७९ के उपबन्धों के अन्तर्गत धोखा दे कर माल की बिक्री करने पर, उस सार्थ के विरुद्ध वैधिक कार्यवाही करे।

एक कारखाना पंजाब में है। उस कारखाने में बढ़िया रंग के काग़ज़ के टुकड़े तैयार किये जाते थे जिन का प्रयोग केसर के अपमिश्रण में होता था। केन्द्रीय सरकार ने खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम की धारा २३(१)(१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार से कहा है कि इस माल के निर्माण पर प्रतिषेध लगा दिया

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

जाय । खाद्य मानकी केन्द्रीय समिति से परामर्श कर के सरकार किसी ऐसी वस्तु के निर्माण अथवा विनियमन के लिये नियम बना सकता है जिन का प्रयोग खाद्य के अपमिश्रण के प्रयोजनार्थ किया जाता है । यह हमें २८ मार्च, १९६३ को प्राप्त हुआ है और कार्यवाही की जा रही है ।

इस के अतिरिक्त, राजस्थान के एक साथी ने हमें सूचित किया है कि गुड़ शीरे के अपमिश्रण के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा उन से संगमरमर के टुकड़े और पाऊडर खरीदे गये। आवश्यक कार्यवाही के लिये उस पत्र की प्रतियाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भेज दी गई हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाई गई है कि बम्बई जैसे शहरों में बलाटिंग पेपर का प्रयोग आईस क्रीम बनाने में किया जा रहा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यह सूचना मेरे लिये नई है । परन्तु एक रिपोर्ट यह है कि प्रयोग में लाई गई चाय की पत्ती को ताज़ा चाय की पत्ती के साथ मिलाया जा रहा है । यह भी रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्थानों पर बढ़िया पत्थरों को चावलों में मिलाया जाता है । उन सब बातों की जाँच हो रही है । इस मामले में सूचना उपलब्ध करने के लिये हम ने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि अपमिश्रण के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुयें भूमि-गत स्थानों में तैयार की जा रही हैं । मैं समझती हूं कि हमें विस्तृत सूचना देना अधिक अच्छा होगा बजाय आधे घंटे की चर्चा के दौरान ऐसी घोषणायें की जायें, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का उत्तर दायित्व है कि वे जहाँ कहीं ऐसी बात देखने में आये उसे सरकार के ज्ञान में लाया जाय और सरकार उस पर नागरिकों के सहयोग से कार्यवाही करेगी, केवल पुलिस की सहायता से ही नहीं (**अन्तर्बाधा**) । मैं माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि जब खाद्य इंस्पैक्टर नमूने लेने जाते हैं तो परिनियत उपबन्धों के अनुसार उन्हें दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होती है और उस समय लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते । केवल उसी कारण कई मामले समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में; प्रस्तावित संशोधन के अनुसार हमारा विचार है कि दो की बजाय केवल एक गवाह की आवश्यकता पड़े । परन्तु दो गवाह न होने के कारण मामले को समाप्त नहीं होना चाहिये ।

इसलिये, यह आवश्यक है कि इस प्रकार की फैली हुई समाज-विरोधी गतिविधियों को रोका जाय, जनता सतर्क हो, उपभोक्ता संघटन भी सतर्क हों । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार का उत्तर दायित्व न रहे । कार्यवाही करने के लिये सरकार उत्तरदायी है, इसे कार्यवाही करनी चाहिए और अत्यधिक दण्ड का उपबन्ध करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूं कि अब जिन दण्डों का उपबन्ध है उनके अनुसार दो वर्ष तक कैद की सजा और २,००० रुपय तक जुर्माना किया जा सकता है, और यदि कोई दण्डाधिकारी इस में कमी करता है तो उसे ऐसा करने पर लिखित रूप में कारण देने पड़ते हैं । परन्तु दण्डाधिकारियों ने ऐसे मामलों में अधिक तत्परता नहीं दिखाई जिस के परिणामस्वरूप प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा दण्डाधिकारी से स्वविवेक की शक्ति ले ली जा रही है और

†मूल अंग्रेजी में

छः मास की कैद की सजा अनिवार्य हो जायेगी । पहली बार अपराध करने पर छः मास कैद, और २००० रुपये जुर्माने की सजा है, दूसरे वर्ष ३ वर्ष कैद और ३००० रुपये जुर्माने की सज़ा और तीसरे वर्ष ६ वर्ष कैद की सज़ा और जुर्माना उस से भी अधिक होगा । जब विधेयक सभा के समक्ष आयेगा तो शायद वह प्रवर समिति के पास जाये ताकि यदि माननीय सदस्य चाहें तो और भी कड़ी सज़ा का उपबन्ध करने संबंधी सुझाव दें । जो बड़े बड़े संशोधन हैं वह इसी बारे में हैं कि दण्ड अधिक कड़ा हो और पहलीबार अपराध करने पर भी कैद की सज़ा अनिवार्य हो ।

दूसरा प्रश्न प्रवर्तन कर्मचारियों के बारे में है जिस के बारे में हम ने राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिये हैं । एक सूझाव यह है कि खाद्य इन्स्पैक्टर प्रदेशों में होने चाहिये ताकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को भजा जा सके और इस प्रकार प्रवर्तन अच्छी प्रकार हो सके और अवैधिक सम्पर्क बनाने के विरुद्ध रोक थाम की जा सके । इस के अतिरिक्त प्रशासन व्यवस्था को अधिक संगठित किया जा रहा है । संशोधन विधेयक द्वारा अभियोग चलाने के लिये कुछ केन्द्रीय इस्पैक्टर नियुक्त करने का अधिकार भी लिया जा रहा है । वर्तमान में केवल राज्य सरकारों कोही इंस्पैक्टर नियुक्त करने अथवा अभियोग चलाने का अधिकार है ।

यह कहना कि दिल्ली में स्थिति खराब से खराब हो रही है और लोगों को जहर दी जा रही है गलत है । जो नमूने भरे गये और जिन मामलों में अपमिश्रण पाया गया और जिन लोगों से जुर्माने वसूल किये गये, उन के आंकड़े मेरे पास हैं, १–१–५८ से ३०–६–५८ तक, २,१६७ नमूने लिये ये जिन में से ८६२ अपमिश्रित पाये गये, और यह ३९.८१ प्रतिशत है तथा ३७,६६५ रुपये जुर्माना वसूल किया गया । १–७–६२ से ३२–१२–६२ तक ४,०६३ नमूने लिये गये और इन में से ८१८ मामलों में अपमिश्रण पाया गया और यह २०.१ प्रतिशत है तथा १,३५,०५० रुपया जुर्माने के रूप में प्राप्त किया गया । इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाया जा रहा है और अपमिश्रण का प्रतिशत कम हो रहा है और जुर्माने अधिक वसूल किये जा रहे हैं ।

विश्लेषणार्थ कुछ प्रयोगशालायें आरम्भ की गई हैं ।

हम इस बारे में राज्य सरकारों से सम्पर्क रखे हुए हैं कि प्रयोगशालायें बढ़ानी हैं उनका विस्तार करना है और कार्यवाही करनी है । परन्तु ऐसे मामलों में सुधार के लिये समय लगता है । मैं केवल यही कह सकती हूं कि हम समस्या के प्रति जागरूक हैं और हम जनता में जागरूकता लाने में सफल हुए हैं । हमारे समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा हो रही है, और इस का प्रभाव व्यापार पर भी अवश्य पड़ेगा ।

हम केवल दण्डादि का उपबन्ध ही नहीं कर रहे बल्कि व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बैठकें और सम्मेलन भी कर रहे हैं ताकि इस खतरे का सामना करने के लिये हमें उन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके ।

मैं इस बात को फिर दोहराऊंगी कि हमें जहां अधिक अच्छी प्रभावशाली विधियां बनानी हैं और कड़ी सज़ा का उपबन्ध करना है, वहां उपभोक्ता और व्यापारी को प्रशिक्षित भी करना है और यह सब हम कर रहे हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर)** : यदि एक व्यक्ति अपमिश्रण पर तुला हुआ है तो आप की शिक्षा का प्रभाव कैसे हो सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** शिक्षा से बहुत कुछ हो सकता है । यदि एक उपभोक्ता को मालूम हो जाय कि अमुक दूकान पर अच्छी वस्तु नहीं मिलती तो वह उस दूकान पर जाना छोड़ देगा । उपभोक्ता की सस्ती माल खरीदने की प्रवृत्ति भी अपमिश्रण को प्रोत्साहन देती है । सभी देशों में अपमिश्रण रोकने में उपभोक्ताओं ने काफी पार्ट अदा किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या माननीय मंत्री कलकत्ता की जिन कारखानों का उन्होंने उल्लेख किया है उन का निरीक्षण करेंगे और यह बतायेंगे कि क्या दिल्ली में भी ऐसे कारखाने हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** दिल्ली में किसी ऐसे कारखाने का हमारे पास प्रमाण नहीं है । ३ कारखानों की सूचना मैं ने दी है । इस समय किसी अन्य कारखाने की सूचना हमारे पास नहीं है । परन्तु बहुत सी राज्य सरकारें अब भी जांच कर रही हैं ।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : हमारे देश में अपमिश्रण इतना बढ़ कर हो रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक भी ऐसी दूकान नहीं बता सकता जहां स्वच्छ सामान मिल सके ।

†**डा० सुशीला नायर :** हर स्थान में ऐसी दूकाने हैं जिन पर लोगों का विश्वास है और जहां अच्छी वस्तुयें मिलती हैं । अभी अभी मैं पटना गई थी वहां एक 'किराना' स्टोर है जहां बिल्कुल शुद्ध सामान मिलता है . . . (**अन्तर्बाधा**) ऐसी ही दूकाने हर जगह हैं । उपभोक्ता अच्छी कीमत देकर अच्छी दूकान से सामान खरीद सकता है ।

इसके पश्चात् लोक–सभा गुरुवार, २ मई, १९६३/२ वैशाख १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १ मई, १९६३
११ वैशाख, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५६२७—५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११०९	बरौनी में शैल-रासायनिक विकास	५६२७—२९
१११०	मद्रास में अनिवार्य हिन्दी परीक्षा	५६२९—३१
१११९	कोयला खानों के लिये रुपया ऋण	५६३२—३३
१११३	मद्रास में तेल शोधक कारखाना	५६३३—३४
१११४	सान्द्रित मिश्रित खाद्य	५६३४—३६
१११५	मिनिकाय द्वीप	५६३६—३८
१११६	राजनीतिक पीड़ित	५६३८—४१
१११७	एक फर्म के मामले पर महान्यायवादी की सलाह	५६४१—४५
१११८	शैल-रासायनिक उद्योग	५६४५—४६
११२०	भारत में चीनी नजरबन्दी	५६४६—४८
११२१	भारत प्रशासन सेवा परीक्षा के लिये आयु की छूट	५६४८—५०
११२२	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों को पढ़ाना	५६५०—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५६५१—९२
लघुतांकित प्रश्न संख्या		
१११२	परीक्षाओं में अंग्रेजी में असफलता	५६५१
१११९	गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये खनन पट्टे	५६५१—५२
११२३	सह-शिक्षा	५६५२—५३
११२४	प्राथमिक शिक्षा के लिये आवंटन	५६५३
११२५	सीमा क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिये संस्थायें	५६५३
११२६	ग्राम्य उच्च शिक्षा	५६५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२७	बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय	५६५४
११२८	केन्द्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों में कमी	५६५४–५५
११२९	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी उच्च-स्तरीय जांच समिति	५६५५
११३०	उजबेकिस्तान में पुरातत्व खुदाई	५६५५–५६
११३१	सनंद (गुजरात) में तेल	५६५६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५५२	सामान्य शिक्षा	५६५६
२५५३	दिल्ली विश्वविद्यालय में तीसरी श्रेणी के विद्यार्थी	५६५६–५७
२५५४	उड़ीसा के लिये कोयले के वैगन	५६५७
२५५५	राजस्थान के लिये कोयले के वैगन	५६५७
२५५६	भारत सेवक समाज, उड़ीसा	५६५७–५८
२५५७	उड़ीसा का सतर्कता विभाग	५६५८
२५५८	उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज	५६५८–५९
२५५९	उड़ीसा में तेल सर्वेक्षण	५६६०
२५६०	सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर चीजों का दिया जाना	५६६०
२५६१	दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले की मरम्मत	५६६०–६१
२५६२	आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा	५६६१
२५६३	लक्कद्वीप समूह के उत्पादों की बिक्री	५६६१
२५६४	फीस का लिया जाना	५६६१–६२
२५६५	सीमावर्ती जिले	५६६२
२५६६	माताटीला परियोजना	५६६३
२५६७	होमगार्ड	५६६३
२५६८	क्रय-विक्रय प्रणाली पर गृह-निर्माण	५६६४
२५६९	गंगानगर में हथियारों की बरामदगी	५६६४–६५
२५७०	दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समितियां	५६६५
२५७१	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहन सहन की स्थिति	५६६५
२५७२	अनुसन्धान अग्रिम परियोजनायें	५६६५–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५७३	अखिल भारत सेवाओं के व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें	५६६६
२५७४	पुलिस के लिये आचार संहिता	५६६६
२५७५	होशियारपुर में सोडियम सिलिकेट कारखाना	५६६७
२५७६	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की आय	५६६७
२५७७	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की संस्था	५६६७–६८
२५७८	पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	५६६८
२५७९	उत्तर प्रदेश में भूतत्ववीय सर्वेक्षण	५६६८—७०
२५८०	उच्च न्यायालयों में लेख याचिकायें	५६७०–७१
२५८१	अखिल भारतीय पदाली में पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच	५६७१
२५८२	जेनेवा को भारतीय वैज्ञानिक शिष्टमंडल	५६७१–७२
२५८३	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति	५६७२
२५८४	इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिये बीनाई का स्तर	५६७२–७३
२५८५	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क का निर्माण पूरा न होना	५६७३
२५८६	दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग	५६७३–७४
२५८७	कालीकट में महिलाओं के लिये पोलीटैक्नीक	५६७४–७५
२५८८	कन्नानूर में पोलीटैक्नीक	५६७५
२५८९	दिल्ली में उच्चन्यायालय	५६७५
२५९०	केरल में तकनीकी संस्थाओं के लिये छात्रावास	५६७६–७७
२५९१	कन्नानूर और कालीकट में जूनियर टेक्नीकल स्कूल	५६७७
२५९२	लद्दाख का विकास	५६७७
२५९३	पिछड़े वर्गों का कल्याण	५६७७–७८
२५९४	दिल्ली में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां	५६७८
२५९५	राजस्थान में डकैतों को समाप्त करने के लिये भारत-पाक आन्दोलन	५६७८
२५९६	भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	५६७९
२५९७	लक्कादीव में विवाह और तलाक	५६७९
२५९८	अध्यापक "वर्कशाप" परियोजना	५६७९–८०
२५९९	एडिनबरा संगीत समारोह	५६८०
२६००	मैंगनीज़ अयस्क लिमिटेड	५६८०–८१
२६०१	राजस्थान में फ्लोराइट की खोज	५६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६०२	निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	५६८२
२६०३	अंग्रेजी पढ़ाने वाले विशेषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन	५६८२
२६०४	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	५६८२
२६०५	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	५६८३
२६०६	केरल में चीनी मिट्टी	५६८३
२६०७	राजस्थान के लिये भाषा सम्बन्धी आंकड़े	५६८३
२६०८	राजस्थान राज्य का अधिसूचित क्षेत्र	५६८४
२६०९	कोयला धोने के कारखाने	५६८४–८५
२६१०	दिल्ली में बी० ए० बी० टी० अध्यापक	५६८५
२६११	सेक्शन अफसर ग्रेड परीक्षा	५६८६
२६१२	शिक्षा मंत्रालय से राज्यों को ऋण	५६८६
२६१३	भारतीय ज्योतिष तथा संस्कृत अनुसंधान संस्था	५६८६–८७
२६१४	टेक्निकल अफसरों का स्थानान्तरण	५६८७–८८
२६१५	भारतीय आर्थिक तथा सांख्यकीय सेवायें	५६८८
२६१६	मध्य प्रदेश में कोयला खानें	५६८८
२६१७	"दि रोटेरियन" में भारत का नक्शा	५६८८–८९
२६१८	आसाम और उड़ीसा में कोयले के निक्षेप	५६८९
२६१९	तिब्बती बच्चों के लिये बाल-गृह	५६८९
२६२०	विज्ञान गोष्ठी	५६९०
२६२१	बलिया में प्राप्त दुर्लभ मूर्तियां	५६९०
२६२२	इलाहाबाद के गांव में पुरातन अवशेष	५६९०–९१
२६२३	पंजाब में पोलीटैक्नीक	५६९१
२६२४	पंजाब में समान शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के लिये अनुदान	५६९१
२६२५	अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिये अनुदान	५६९२
२६२५–क	केन्द्रीय कल्याण समिति	५६९२
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५६९२—९६

श्री यशपाल सिंह ने पंजाब में ढलाई के कारखानों को दिये गये ढलवें लोहे के कोटे में की गई कथित अत्यधिक कटौती की और इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय **पृष्ठ**

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रहणयम) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५६९६–९७

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कापीराइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०२२ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(ख) वर्ष १९६२-६३ के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(ग) वर्ष १९६१-६२ के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वार्षिक तकनीकी प्रतिवेदन ।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५१५ ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस०आर० संख्या ६०७ ।

(३) जमाबीमा निगम अधिनियम, १९६१ की धारा ३२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम के कार्य संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति उसके वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(४) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप- धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १४ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६१ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन— उपस्थापित ५६९ –५७००

इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

सदस्म के निलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव

श्री बड़े ने सभा में १३ , अप्रैल १९६३ को स्वीकार किये गये संकल्प द्वारा श्री कछवाय के विरुद्ध दिये गये निलम्बन आदेश की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा २ मई, १९६३ तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	५७००--३३

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ। पक्ष में २७०; विपक्ष में ५१ मत मिले। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, पारित किया गया :--

मत विभाजनों का परिणाम इस प्रकार रहा :--

खंड २ : पक्ष में ३००; विपक्ष में ९।

खड ३ : पक्ष में २८८; विपक्ष में ३५।

खंड ४ : पक्ष में २९१ ; विपक्ष में ३७।

खंड ५ : पक्ष में ३१३; विपक्ष में ११।

खंड ६ : पक्ष में ३१०; विपक्ष में १४।

खंड ७ : पक्ष में ३८९ ; विपक्ष में ४१।

खंड ८ : पक्ष में ३२४; विपक्ष में कोई नहीं।

खंड ९ : पक्ष में ३२८ ; विपक्ष में कोई नहीं।

खंड १०, संशोधित रूप में : पक्ष में २८७; विपक्ष में ४१।

खंड ११ : पक्ष में २९०; विपक्ष में कोई नहीं।

खंड १२ : पक्ष में २८९; विपक्ष में कोई नहीं।

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव : पक्ष में २९०; विपक्ष में १।

आधे घंटे की चर्चा	५६३४--३८

श्री हरि विष्णु कामत ने दिल्ली में खाद्य-पदार्थों में मिलावट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के दिनांक १८ अप्रैल, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने चर्चा का उत्तर दिया।

गुरुवार, २ मई, १९६३/१२ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में और निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक पर चर्चा तथा इनका पारित किया जाना।

GMGIPND—LSIII—594 (ai) LSD—18-6-63—160

PLS. 41. XVIII. 56. 63.
160

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।